हिंदी व्याकरण और रचना

(नौवीं-दसवीं श्रेणी के लिए)

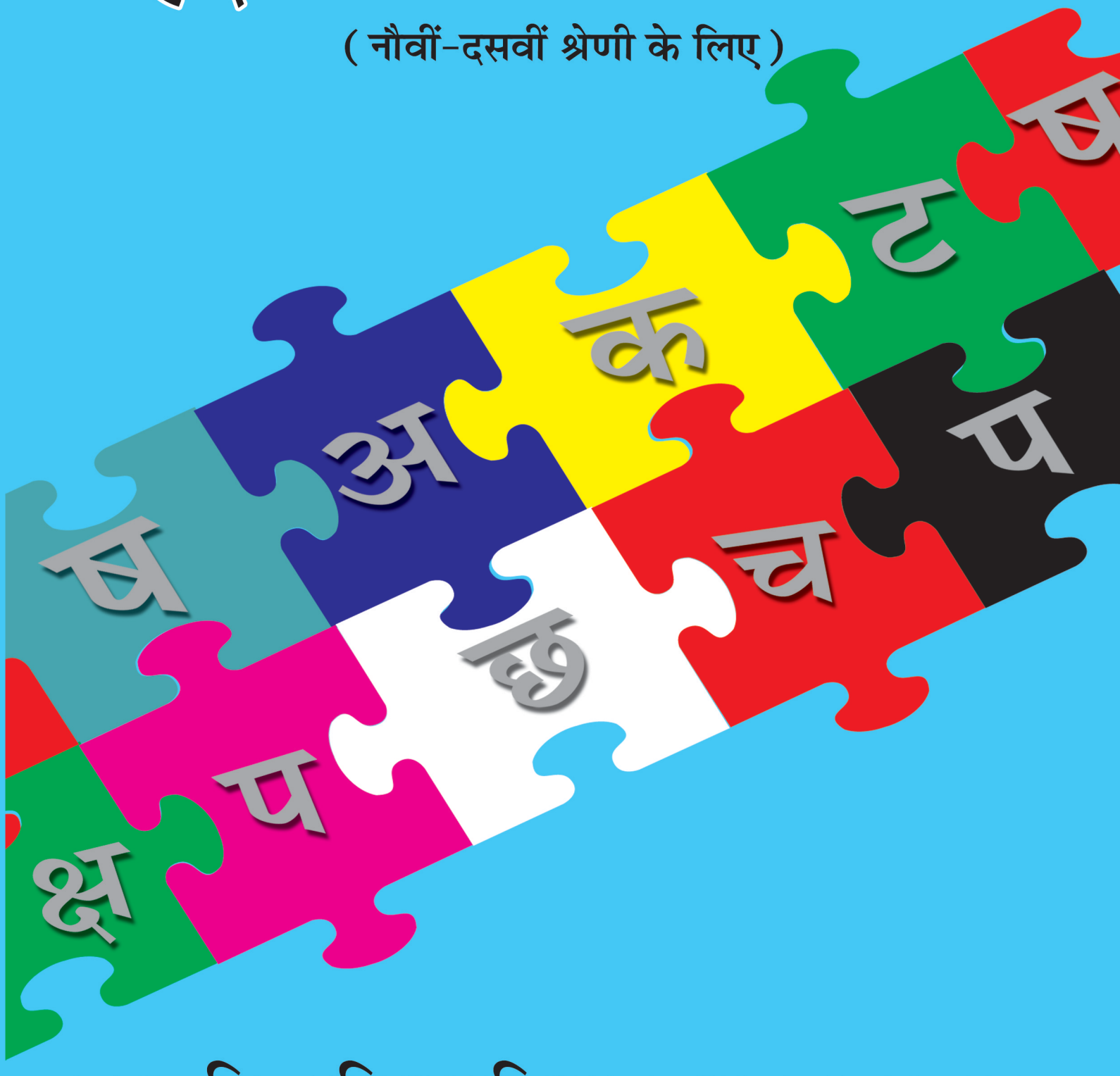

माध्यमिक शिक्षा विभाग, असम सरकार

हिंदी व्याकरण और रचना

(वैकल्पिक हिंदी)

(नौवीं-दसवीं श्रेणी की पाठ्यपुस्तक)

लेखक
रामलाल वर्मा

असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, गुवाहाटी

Hindi Vyakaran Aur Rachana : A textbook of Elective Hindi for class IX & X. Approved by the Board of Secondary Education Assam, Guwahati. Vide their letter No. SEBA/EU/TXB/HN/139, dated 17.01.1974, Prepared and Published by Asom Rastrabhasha Prachar Samiti, Guwahati-32

Free Textbook

प्रकाशक :

असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति

गुवाहाटी -32

© सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन

प्रथम प्रकाशन : 1974
छब्बीसवाँ संस्करण : 2017
पुनर्मुद्रण : 2018
पुनर्मुद्रण : 2019
पुनर्मुद्रण : 2021
पुनर्मुद्रण : 2022
पुनर्मुद्रण : 2023

असम सरकार द्वारा निःशुल्क वितरण हेतु प्रकाशित पाठ्यपुस्तक

(टैक्स्ट पेपर 70 जीएसएम और कवर पेपर 165 जीएसएम पर मुद्रित)

मुद्रक :

जेन्यूइन ट्रेडिंग एजेंसी

बामुनीमैदाम, गुवाहाटी-21

डॉ. रनोज पेगु, एम.बी.बी.एस.
मंत्री, असम

शिक्षा, मैदानी जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

संदेश

विद्यालयीन शिक्षा का आवश्यक हिस्सा है – पाठ्यपुस्तक। विद्यार्थी अपनी पाठ्यपुस्तक के माध्यम से ही ज्ञान अर्जित करते हैं। विद्यार्थी ही हमारे राज्य व देश के भविष्य के वास्तविक संसाधन हैं। मानव सभ्यता की धारा शिक्षा द्वारा ही गतिमान होती है। इन बातों को ध्यान में रखकर ही वर्तमान में हमारी सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को सर्वाधिक महत्व दिया है।

मौजूदा राज्य सरकार ने विद्यार्थियों को शैक्षणिक सफलता दिलाने के साथ-साथ उनके जीवन के लक्ष्यों की पूर्ति तथा राज्य के कल्याण के लिए अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं को लागू किया है। **प्रज्ञान भारती** के तहत नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत **क वर्ग** से **द्वादश वर्ग** तक के विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक अविराम रूप से दी जा रही है। सन् 2020 से हमारी सरकार ने इस योजना को स्नातक वर्ग तक विस्तारित किया है। समूचे राज्य में उच्चतर माध्यमिक और स्नातक वर्गों में नामांकन शुल्क की माफी की घोषणा होने से एक सकारात्मक पहल की शुरुआत हुई है।

समाज में आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के शिक्षार्थियों को मैट्रिक एवं उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं के शुल्कों को माफ करने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही माध्यमिक स्तर पर भी विद्यार्थियों की पोशाकों (यूनीफॉर्म) की आपूर्ति के लिए सरकार ने आवश्यक व्यवस्था की है। **आनंदराम बरुवा योजना** के जरिए मैट्रिक पास मेधावी छात्र-छात्राओं को **लैपटॉप** या उसके बदले में आर्थिक अनुदान देने की व्यवस्था की गई है।

विद्यार्थियों के शिक्षण-मार्ग को सुगम बनाने के महान उद्देश्य से कार्यान्वित **प्रज्ञान भारती** योजना के तहत नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण जैसे पवित्र कार्यों के निष्पादन में योगदान दे रहे राज्यिक शिक्षा-गवेषणा एवं प्रशिक्षण परिषद्, असम माध्यमिक शिक्षा परिषद्, असम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा संसद तथा असम राज्यिक पाठ्यपुस्तक प्रणयन और प्रकाशन निगम एवं असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति को मैं धन्यवाद देता हूँ। ज्ञानार्जन की दिशा में हमारे विद्यार्थी निरंतर परिश्रम करते हुए राष्ट्र के संसाधन के रूप में अपने आप को निर्मित करने में सक्षम होंगे। इसी आशा के साथ मैं उन्हें हार्दिक शुभकामनाएँ प्रदान करता हूँ।

(डॉ. रनोज पेगु)
शिक्षा मंत्री, असम

दो शब्द

निरक्षरता ही किसी राष्ट्र तथा समाज के विकास में रुकावट डालती है। समाज के लिए यह एक अभिशाप है। भारतवर्ष से पूर्णरूपेण निरक्षरता-उन्मूलन के उद्देश्य से केंद्रीय सरकार ने पूरे देश में 'शिक्षा का अधिकार कानून, 2009' लागू किया है। इसके अनुसार देश के विद्यालयों के कैरिकुलम और पाठ्यक्रमों में भी नवीनता लाई गयी है। असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने नवीन पाठ्यक्रम के अनुरूप बच्चों को आकर्षित करनेवाली हिंदी पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन किया है।

मुद्रण और प्रकाशन के क्षेत्र में शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण पाठ्यपुस्तक प्रकाशित कर यथासमय छात्र-छात्राओं तक पहुंचाना ही समिति का मुख्य उद्देश्य है। मूलत: इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए असम सरकार की ओर से नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक वितरित करने का सराहनीय कार्य किया जा रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अनुकंपा से और भारत रत्न लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै जी के नेतृत्व में सन् 1938 में संस्थापित असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का मुख्य लक्ष्य है-भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को सुचारु रूप से संचालित करना। इन कार्यक्रमों में हिंदी पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन अन्यतम है। उल्लेखनीय है कि असम सरकार के निर्देशानुसार शैक्षिक वर्ष 1974 से ही समिति हिंदी पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन करती आई है। परवर्ती समय में केंद्र सरकार की सहायता से असम सरकार ने सन् 1986 से नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित की है।

सन् 2011 से राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के अनुसार नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें केंद्रीय रूप से राज्य के प्रत्येक शिक्षा खंड तक निर्धारित समयसीमा के अंदर सफलतापूर्वक पहुंचायी जा रही हैं। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के चलते असम सरकार ने शिक्षावर्ष जनवरी के बदले अप्रैल महीने तक बढ़ा दिया है। वर्तमान परिस्थिति के साथ सामंजस्य रखते हुए इस वर्ष भी असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने हिंदी पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति हेतु सभी प्रकार की व्यवस्थाएँ हाथों ली हैं।

असम के शिक्षा क्षेत्र के आमूलचूल परिवर्तन और विकास के जरिए देश के भीतर एक उत्कृष्ट राज्य के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए असम सरकार ने विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाएँ चला रही हैं। वर्तमान में सरकार ने नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना को 12वीं कक्षा तक विस्तारित की है। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से मध्याह्न भोजन, पोशाक वितरण, गरीब परिवार के बच्चों का शुल्क माफी, गुणोत्सव कार्यक्रम के साथ-साथ महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रा-छात्राओं को अनुदान राशि दी जा रही है। इसके अंतर्गत 'क' श्रेणी से 12वीं कक्षा तक नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण की यह प्रशंसनीय और शिक्षार्थी केंद्रित योजना है। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को सफल बनाने में असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति पूरी निष्ठा व तत्परता के साथ काम करने के लिए संकल्पबद्ध है।

डॉ. क्षीरदा कुमार शइकीया
मंत्री
असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति

पहली बार का निवेदन

असम राज्य के हिंदीभाषी तथा अहिंदीभाषी स्कूलों की सभी हिंदी पुस्तकों के प्रणयन व प्रकाशन का भार राज्य सरकार ने असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति पर सौंपा है। सरकार ने समिति पर जो अनुकंपा दिखाई है, इसके लिए समिति कृतज्ञ है।

पाठ्यपुस्तक रचना जहाँ पाठ्यक्रम के सुचारु अनुकरण की माँग करती है, वहीं उसमें विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल भाषा-शैली और शिक्षा-प्रणाली व पाठ्य-सामग्री की अधुनातन जानकारी भी अपेक्षित होती है। इसलिए पाठ्यपुस्तक लेखन का दायित्व दुहरा है।

प्रस्तुत पुस्तक 'हिंदी व्याकरण और रचना' राज्य के अहिंदीभाषी स्कूलों की नौवीं-दसवीं कक्षा की वैकल्पिक पाठ्यपुस्तक है। लेखक श्री रामलाल वर्मा जी ने बहुत ही कम समय में परिश्रमपूर्वक पुस्तक की रचना की है। सेल सदस्यों तथा जाँचक ने शीघ्रता से अपने बहुमूल्य सुझाव सहित इसकी जाँच कर दी है। असम माध्यमिक शिक्षा परिषद् की स्वीकृति के बाद अब इसे प्रकाशित किया जा रहा है।

हितैषी लेखक, सेल सदस्यों, जाँचक तथा असम माध्यमिक शिक्षा परिषद् को समिति धन्यवाद देती है।

पुस्तक की भूल-त्रुटि के लिए सुझाव सादर आमंत्रित है।

राष्ट्रभाषा भवन
गुवाहाटी-3
मार्च - 1974

महेश्वर महंत
साहित्य सचिव

विषय-सूची

अध्याय	पृष्ठ संख्या
प्रथम अध्याय	
भाषा और व्याकरण का महत्व	**1-2**
द्वितीय अध्याय	
वर्ण-विवेचन	**3-7**
तृतीय अध्याय	**8-33**
शब्द-विवेचन/9, विकारी शब्द—संज्ञा/13, विकारी शब्द—सर्वनाम/15, विकारी शब्द—विशेषण/21, विकारी शब्द—क्रिया/23, अविकारी शब्द—क्रिया-विशेषण/27, अविकारी शब्द—संबंधबोधक/29, अविकारी शब्द—समुच्चयबोधक/29, अविकारी शब्द—विस्मयादिबोधक/30, समास/31	
चतुर्थ अध्याय	**34-65**
पद-विवेचन/34, लिंग/36, वचन-प्रयोग/41, कारक-प्रयोग/45, प्रत्यय-परिचय/50, क्रिया के काल/55, वाच्य/59, उपसर्ग/62, पद-व्याख्या/ !65	
पंचम अध्याय	**66-72**
वाक्य-विवेचन/66, वाक्य के अंग/68, वाक्य में विराम-चिह्न/69	
छठा अध्याय	**73-106**
रचना/73, भाषा संबंधी सामान्य अशुद्धियाँ/74, विशेष शब्द और शब्द-समूह का प्रयोग /76, एकार्थक शब्द (विशेष भावबोधक शब्द)/78, समानार्थक शब्द/80, विपरीतार्थक शब्द/81, हिंदी की कुछ लोकोक्तियाँ और मुहावरे/85, अनुवाद कला और उसके प्रकार/88, सारांश-लेखन/89, पत्र-लेखन/91, निबंध-लेखन/98, वर्षा ऋतु/100, हमारा विद्यालय/101, लोकनायक शंकरदेव/102, श्रेष्ठ पशु—गाय/103, राष्ट्र और विद्यार्थी/104, राष्ट्रभाषा का महत्व/105	

*****

प्रथम अध्याय

भाषा और व्याकरण का महत्व

1. भाषा

गोपाल और मोहम्मद एक दूसरे को प्यार करते हैं।

वे आपस में परम मित्र हैं।

वे दोनों प्रेम से बात कर रहे हैं।

गोपाल : मोहम्मद, तुमने काजीरंगा देखा है।

मोहम्मद : हाँ गोपाल, मैंने काजीरंगा देखा है।

गोपाल : काजीरंगा में तुमने क्या-क्या देखा?

मोहम्मद : वहाँ का उद्यान देखा। उद्यान में सुंदर फूल, पौधों के वृक्ष हैं। वहाँ अनेक प्रकार के पशु भी हैं।

गोपाल : भैया! मुझे भी एक बार काजीरंगा ले चलना।

ऊपर, गोपाल और मोहम्मद अपनी बात एक दूसरे से कह रहे हैं। इसी प्रकार भाव प्रकट करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को भाषा की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह समाज में रहता है। यदि भाषा न होती तो हम सब गूँगे होते। भाव के अनेक प्रकार होते हैं। जैसे-उच्चरित, लिखित, सांकेतिक।

1. **उच्चरित भाषा :** मुख से बोलकर अपने विचार प्रकट करने की भाषा ही उच्चरित भाषा है। जैसे - ऊपर गोपाल और मोहम्मद अपने विचार प्रकट कर रहे हैं।
2. **लिखित भाषा :** जब हम अपने विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे - पत्र या चिट्ठी द्वारा।
3. **सांकेतिक भाषा :** जब हम संकेतों के द्वारा अपने विचार प्रकट करते हैं, तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे - हाथ हिला कर बुलाना, उँगली दिखा कर डाँटना, रेलगाड़ी रोकने या छोड़ने के समय हरी या लाल झंडी दिखाना।

इन सभी कार्यों में हमारे दैनिक जीवन के लिए उच्चरित व लिखित भाषा का विशेष महत्व है। व्यावहारिक जीवन में उच्चरित तथा लिखित भाषा को ही भाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है।

2. व्याकरण

सीता घर जाता है।	सीता घर जाती है।
रमेश गुवाहाटी पर रहा है।	रमेश गुवाहाटी में रहता है।
असम प्रदेश भारत की राज्य है।	असम प्रदेश भारत का राज्य है।

ऊपर के बायीं ओर की वाक्य शुद्ध नहीं है। पर दायीं ओर के तीनों वाक्य शुद्ध हैं। भाषा की शुद्धता और अशुद्धता का ज्ञान हमें व्याकरण से होता है। व्याकरण एक ऐसी विद्या है, जिसके द्वारा हम भाषा को उसके शुद्ध रूप में लिख व बोल सकते हैं।

हिंदी व्याकरण

हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। उसको अच्छी तरह से सीखना हमारा कर्तव्य है। हिंदी व्याकरण राष्ट्रभाषा को सीखने में हमारी सहायता करता है। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग विशेषताएँ होती हैं – जो दूसरी भाषा के साथ मेल नहीं रखती। हिंदी की भी अपनी विशेषताएँ हैं। इन विशेषताओं को हम हिंदी व्याकरण की सहायता से अच्छी तरह जान सकते हैं। भाषा, वर्ण, शब्द और वाक्य के मेल से बनती हैं। व्याकरण भाषा के इन तीन विभागों की हमें जानकारी देता है। ये तीन विभाग इस प्रकार हैं —

1. **वर्ण विचार :** इनमें वर्णों के रूप, भेद तथा उच्चारण पर विचार किया जाता है।
2. **शब्द विचार :** इसमें शब्दों के भेद, रूपांतर, उत्पत्ति आदि पर विचार किया जाता है।
3. **वाक्य विचार :** इसमें वाक्यों के भेद, उनके अंगों का पारस्परिक संबंध आदि पर विचार किया जाता है।

अभ्यास

1. मनुष्य किन-किन साधनों द्वारा विचार प्रकट करते हैं ?
2. रिक्त स्थानों की पूर्त्ति सही शब्दों से करो —

   (अ) विचारों को प्रकट करने के लिये मनुष्य को .....की आवश्यकता होती है। (धन, शक्ति, भाषा, ज्ञान)

   (आ) यदि भाषा न होती तो हम .....होते। (बलवान्, बुद्धिमान, गूंगे, बहरे)

   (इ) हम दैनिक जीवन में अधिकतर ..... भाषा का प्रयोग करते हैं। (सांकेतिक, लिखित, उच्चरित)

   (ई) व्याकरण से हमें ..... भाषा का ज्ञान होता है। (अशुद्ध, गलत, बिगड़ी हुई, शुद्ध)

   (उ) हिंदी हमारी ..... भाषा है। (प्रांतीय, ग्रामीण, विदेशी, राष्ट्र)

द्वितीय अध्याय

वर्ण-विवेचन

1. वर्ण

1. राम फल खाता है।
2. रा | म | फ | ल | खा | ता | है।
3. र् | आ | म् | अ | फ् | अ | ल् | अ | ख् | आ | त् | आ | ह् | ऐ

ऊपर के वाक्य - 'राम फल खाता है'। — में क्रमशः र्, आ, म्, अ, फ्, अ, ल्, अ, ख्, आ, त्, आ, ह्, ऐ वर्ण हैं।

भाषा में वर्णों का विशेष महत्व हैं। भाषा के छोटे-से-छोटे टुकड़े हैं। भाषा के छोटे-से-छोटे टुकड़े को 'वर्ण' कहते हैं। इनको ध्वनि या अक्षर भी कहते हैं।

वर्णमाला

अ, आ, इ, ई
क, ख, ग, घ

ऊपर के वर्णों में दो प्रकार के वर्ण हैं। परन्तु वे समूह में क्रमशः लिखे हुए हैं। इसी पद्धति से जब किसी भाषा के सभी वर्णों को क्रम से जब हम लिखते हैं, तब उस वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं।

''वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है।''

हिंदी वर्णमाला

अ आ इ ई उ ऊ ऋ	ए ऐ ओ औ अं अः
क ख ग घ ङ	च छ ज झ ञ
ट ठ ड ढ ण	त थ द ध न
प फ ब भ म	य र ल व
श ष स ह	क्ष ड़ ढ़ त्र ज्ञ

वर्ण के प्रकार —

पृथ्वी पर जितनी भी भाषाएँ बोली जाती हैं, उनकी वर्णमालाओं में दो प्रकार के वर्ण होते हैं।

स्वर और व्यंजन, हिंदी भाषा की वर्णमाला में भी दो प्रकार के वर्ण हैं।

स्वर—अ, इ-इन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण या ध्वनि की सहायता हम नहीं लेते हैं। इनको हम स्वंतत्रतापूर्वक, जिह्वा के बिना इधर-उधर उठाए उच्चारण कर सकते हैं।

''स्वर वर्ण उसे कहते हैं, जिसकी उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है।''

हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर हैं—

अ आ, इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ

व्यंजन—क, ख - इन वर्णों में 'स्वर' वर्ण की सहायता ली जाती है।

क-ख व्यंजन वर्ण में — क+अ, ख+अ, अ स्वर वर्ण के सहयोग से हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं।

हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन वर्ण हैं।

प्रयत्न—व्यंजन का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा भीतर से आने वाली प्राणवायु को रोकती है। इस रोकने की क्रिया को ही प्रयत्न कहते हैं। जैसे — क व्यंजन का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा प्राणवायु को कंठ से स्पर्श कर रोक रही है। अत: क स्पर्श व्यंजन हुआ।

संपूर्ण व्यंजन वर्णों को हम इस प्रकार वर्गों में रख सकते हैं।

	स्थान	1. स्पर्श	2. उष्म	3. अंतस्थ
1.	कंठ	क ख ग घ ङ	ह	—
2.	तालु	च छ ज झ ञ	श	य
3.	मूर्धा	ट ठ ड ढ ण	ष	र
4.	दंत	त थ द ध न	स	ल
5.	ओष्ठ	प फ ब भ म	—	व

अभ्यास

1. इन्हें 'है' या 'नहीं' जोड़ कर सही करो —

   (अ) वर्ण भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। (आ) हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर है। (इ) हिंदी वर्णमाला में 70 व्यंजन हैं।

2. हिंदी वर्णमाला में कितनी प्रकार के वर्ण होते हैं ?
3. 'प्रयत्न' से तुम क्या समझते हो।
4. स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है ?
5. स, च, र वर्णों के उच्चारण स्थान बताओ।

2. विशेष वर्ण

हिंदी भाषा में कुछ ऐसे विशेष वर्ण हैं, जिनके आकार प्रकार और उच्चारण को जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। ये निम्नलिखित हैं –

1. **अः** — 'अ' स्वर के आगे दो बिंदु (:) लगा हुआ है। इसका उच्चारण 'अह' जैसा होता है। इसे विसर्ग कहते हैं। विसर्ग के इन बिंदुओं को हमेशा स्वर या अक्षर के आगे लगाते हैं। जैसे – प्रायः, दुःख।

विसर्ग को व्यंजन माना गया है, क्योंकि इसका मूल उच्चारण 'ह' जैसा ही है।

2. **अं** — 'अ' स्वर के ऊपर एक बिंदु (ं) लगा हुआ है। इसे अनुस्वार कहते हैं। उच्चारण के अनुसार ये अनुनासिक व्यंजन हैं, क्योंकि ये ङ्, ञ्, ण्, न्, म् आदि नासिक्य व्यंजनों के स्थान पर आता है। अनुस्वार बिंदु (ं) के रूप में यह हमेशा अन्य वर्णों के ऊपर लगता है। जैसे –

(अनुस्वार अं)

अंक — अ + ङ + क + अ = ङ कवर्ग पंच — प + अ + ङ + च् + अ = ञ चवर्ग

ठंड — ठ + अ + ण + ड + अ = ण टवर्ग मंत्र — म + अ + न + त् + र् + अ = त् तवर्ग

पंप — प + अ + म् + प + अ = म पवर्ग

3. **अँ** — (अ) स्वर के ऊपर जो चंद्रबिंदु (ँ) लगा हुआ है, इसे अर्द्ध अनुस्वार कहते हैं। उच्चारण के अनुसार यह भी अनुनासिक व्यंजन है। यह स्वर के साथ आता है, किंतु अनुनासिक है। यह सभी अनुनासिक व्यंजनों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इसका एक समान उच्चारण होता है, जो सीमित अनुनासिक्य रहता है। जैसे —

हंस — ह् + अं + स् + अ = अँ चाँद — च् + आँ + द् + अ = आँ

साँप — स् + आँ + प् + अ = आँ आँख — आँ + ख + अ = आँ

4. ए-ऐ-ओ-औ-ये चारों स्वर वर्ण हैं। इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं, क्योंकि ये दो मूल स्वरों के मेल से बने हैं। इनका उच्चारण दो स्वरों को मिलाने से होता है। जैसे —

मूल स्वर	संयुक्त स्वर	उच्चारण	मूल स्वर	संयुक्त स्वर	उच्चारण
आ + इ	ए	नरेश, नरेंद्र	आ + ए	ऐ	सदैव
अ + ओ	औ	महौषधि	आ + उ	ओ	महोदय

5. क्ष, त्र, ज्ञ — ये तीनों वर्ण ऐसे हैं, जो लिखित रूप में हिंदी वर्णमाला के स्वतंत्र वर्ण हैं, किंतु उच्चारण के अनुसार ये मूल वर्ण नहीं हैं, क्योंकि ये दो मूल व्यंजन वर्ण के मेल से बने हैं। इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण भी मूल वर्ण के अनुसार ही होता है। जैसे —

मूल व्यंजन	संयुक्त व्यंजन	उच्चारण	मूल व्यंजन	संयुक्त व्यंजन	उच्चारण
क् + ष्	= क्ष् + अ + क्ष्य = क्ष	— रक्षा, कक्षा	ज् + ञ्	= ज्ञ् + अ + ज्ञ = ज्ञ, ग्य	— ज्ञान, आज्ञा
त् + र्	= त्र् + अ + त्र	— यात्रा, सत्र	श् + र्	= श्र् + अ = श्र + श्र	— श्रम, श्री

टिप्पणी : ज + ञ = ज्ञ का उच्चारण आजकल हिंदी में 'ग्य' हो गया है।

6. ड़, ढ़ — ये दोनों वर्ण व्यंजन है। ड् ढ् वर्ण के विकसित रूप है। ड और ढ में जिह्वा का अग्रभाग मूर्द्धा स्थान में लगता है, किंतु इसमें जिह्वा का अग्रभाग उलटा होकर मूर्द्धा भाग में लगता है। ड़ और ढ़ के पहले एक स्वर ध्वनि का होना जरूरी है। इसलिए ये शब्द के आदि में कभी नहीं आते। हमेशा शब्द के मध्य या अंत में इनका प्रयोग होता है।

जैसे — अखाड़ा, लड़का, अड़तालीस, जड़।

7. य, व—ये दोनों वर्ण व्यंजन है, किंतु कभी कभी ये स्वर के रूप में बदल जाते हैं। इसीलिए इन्हें अर्द्ध स्वर भी कहते हैं। जैसे — हलुवा = हलुआ, गये = गए

8. स्वर की मात्रा — जब स्वर शब्द के आदि में स्वर आते हैं तो उनको मूल रूप में ही लिखना चाहिए। जैसे — आम,

इमली, उल्लू और जब शब्द के भीतर या अंत में स्वर आते हैं तो साथ के व्यंजन से वे स्वर कुछ परिवर्तित होकर मिल जाते हैं। स्वर के इस परिवर्तित रूप को 'मात्रा' कहते हैं। जैसे — र + आ + म = राम । न + द + ई = नदी ।

स्वर की मात्रा	शब्दों में उच्चारण	शब्दों में मात्रा का	लिखित रूप
अ = 0	क् + अ + म् + अ + ल् + अ	= कमल	
आ = ा	म् + आ + त् + आ	= माता	
इ = ि	त् + इ + थ् + इ	= तिथि	
ई = ी	श्र् + ई + म् + अ + त् + ई	= श्रीमती	
उ = ु	म् + उ + क् + उ + ट् + अ	= मुकुट	
ऊ = ू	स् + अ + प् + ऊ + त् + अ	= सपूत	
ए = े	म् + ए + ख् + अ + ल् + आ	= मेखला	
ऐ = ै	क + ऐ + स् + आ	= कैसा	
ओ = ो	र् + ओ + ट् + ई	= रोटी	
औ = ौ	य + औ + व् + अ + न् + अ	= यौवन	
ऋ = ृ	क् + ऋ + ष् + इ	= कृषि	

टिप्पणी - 1. 'अ' स्वर का कोई स्वतंत्र मात्रा-चिह्न, नहीं होता, क्योंकियह हमेशा ही व्यंजन में मिला रहता है।
जैसे — क् + अ = क
2. हिंदी भाषा के शब्दांत वाले 'अ' स्वर का उच्चारण नहीं होता। राम + राम् आठ + आठ्

अभ्यास

1. अनुस्वार और अर्द्ध अनुस्वार में क्या अंतर है ?
2. अनुस्वार कौन-कौन से नासिक्य व्यंजनों के स्थान पर आता है ?
3. संयुक्त व्यंजनों के नाम बताओ।
4. ऐ, ओ, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र- इन संयुक्त वर्णों को मूल वर्णों में बदलो।
5. 'सीता की साड़ी सुंदर है।' — इसमें कौन-कौन से स्वरों की मात्राओं का व्यवहार हुआ है ?

3. संधि

हिम + आलय = अ +आ = आ = हिमालय
विद्या + आलय = आ + आ = आ = विद्यालय
महा + आशय = आ + आ = आ = महाशय
औषध + आलय = अ + आ = आ = औषधालय

शब्द में जब दो अक्षर पास-पास आते हैं तो उच्चारण के अनुसार उनमें मेल होकर एक विशेष अक्षर हो जाता है।
''दो वर्णों के पास-पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं।''

संधि के प्रकार

स्वर व्यंजन और विसर्ग वर्णों के अनुसार संधि तीन प्रकार ही होता है।
जैसे — स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि।

(अ) स्वर संधि — परमार्थ = परम + अर्थ = अ + आ = आ कपीश = कपि + ईश = इ + ई = ई
भानूदय = भानु + उदय = उ + उ = ऊ इत्यादि = इति + आदि = इ + आ = या
महर्षि = महा + ऋषि = आ + ऋ = अर्

ऊपर के शब्दों के क्रमश: परम + अर्थ, कपि + ईश, भानु + उदय, इति + आदि, महा + ऋषि, दो-दो खण्ड हैं। प्रत्येक शब्द में दो स्वर पास-पास हैं। इन स्वरों का जब मेल हुआ तब उच्चारण के अनुसार क्रमश: आ, ई, ऊ, या, अर् स्वर बन गए। इन स्वरों के मेल से खण्डित शब्द भी मिल कर एक हो गए और उनका रूप —
परमार्थ, कपीश, भानूदय, महर्षि, जैसा हो गया।

'दो स्वरों के पास पास आने के कारण, उनके मेल से दो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं।'

(आ) व्यंजन संधि —

षड़ानन = षट् + आनन = ट् + आ = ड़ा जगदीश = जगत् + ईश = त् + ई = दी

उच्चारण = उत् + चारण = त् + चा = च्चा सज्जन = सत् + जन = त् + ज = ज्ज

ऊपर के शब्दों में क्रमशः ट् + आ = ड़ा, त् + ई = दी, त् + चा = च्चा, त् + ज = ज्ज रूप व्यंजन और स्वर के मिलने से हुआ। एक स्वर और एक व्यंजन या दो व्यंजन मिलकर जब एक नये व्यंजन निर्माण करते हैं तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ऊपर इन नये व्यंजनों के निर्माण के कारण क्रमशः पड़ानन, जगदीश, उच्चारण और सज्जन शब्द बने हैं।

'पहला वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर या व्यंजन हो तो उनकी संधि को व्यंजन संधि कहते हैं।'

(इ) विसर्ग संधि —

पुरस्कार = पुरः + कार = : + क = स्क दुरुपयोग = दुः + उपयोग= : + उ = रु

नीरोग = निः + रोग = : + र = र निर्गुण = निः + गुण = : + ग = र्ग

प्रातःकाल = प्रातः + काल = : + क = क

ऊपर के शब्दों में विसर्ग के मेल से दो वर्णों में क्रमशः इस प्रकार परिवर्तन हुआ हैं —

: + क = स्क, : + उ = रु, : + र = र, : + ग = र्ग, : + क = क

अतः विसर्ग जब अपने पास के स्वर या व्यंजन से मिलता है तो वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। इस परिवर्तन से कभी तो या वर्ण आ जाता है और कभी वर्ण लुप्त भी हो जाता है। जैसे कि ऊपर दिखाया गया है। विसर्गों में परिवर्तन या मेल से ही ऊपर के शब्द - पुरस्कार, दुरुपयोग, निरोग, निर्गुण, और प्रातःकाल बने हैं।

'जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं।'

संधि-ज्ञान से लाभ —

1. वर्णों की संधि के ज्ञान से हम शब्द के टुकड़े कर सकते हैं। 2. इससे शब्दों के अर्थ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं।
3. नया वर्ण किस प्रकार निर्मित होता है, इसका भी ज्ञान होता है। 4. वर्ण कभी-कभी लुप्त भी हो जाते हैं, यह भी समझ सकते हैं।

अभ्यास

1. इनमें 'है या नहीं' जोड़ कर सही करो —
   (अ) शब्दों के मेल को संधि कहते हैं।
   (आ) स्वरों के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं।
   (इ) संधि के ज्ञान से हम शब्दों का अर्थ समझ सकते हैं।
2. रिक्त स्थानों में सही शब्द भरो —
   (अ) ..... के मेल को संधि कहते हैं।
   (वाक्यों, शब्दों, वर्णों, भाषाओं)
   (आ) स्वरों के मेल को ..... संधि कहते हैं।
   (व्यंजन, विसर्ग, स्वर)
   (इ) ..... के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं।
   (स्वर और विसर्ग, स्वर और स्वर, व्यंजन और स्वर)
3. संधि-विच्छेद करो —
   विद्यालय, पुस्तकालय, जगदीश, पुरस्कार।
4. संधि करो —
   महा + आशय, सत् + जन, दुः + उपयोग।

तृतीय अध्याय

शब्द-विवेचन

1. शब्द

हम अपने विचारों को बोल कर या लिख कर व्यक्त करते हैं। सुबह से संध्या तक हम कितने ही वाक्य बोलते हैं, परंतु इन वाक्यों का मुख्य आधार शब्द है, क्योंकि शब्दों के मेल से ही वाक्य बनते हैं।

शब्दों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। हम जितने अधिक शब्द जानेंगे, उतना ही भाषा पर अधिकार कर सकेंगे। भाषा की लघुतम इकाई अक्षर है। जैसे—

म, अ, र, ख आदि इन्हीं अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं।

जैसे — मा, मारा, रामा, खारा आदि।

इसी प्रकार — तू, नगर, माँ, पर्वत, काम, कटहल।

ऊपर के उदाहरणों में तू, माँ, काम, नगर आदि ध्वनियों में मेल से बने हुए सार्थक इकाई हैं। भाषा की सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। जैसे —

त + ऊ = तू म्+ आँ = माँ

क् + आ + म = काम न + ग + र = नगर

टिप्पणी — ''जब इन शब्दों का व्यवहार वाक्य में होता है, तब वे पद कहलाते हैं।'' जैसे —

तू काम कर। तू नगर जा। तू माँ को बुला।

ऊपर के वाक्यों में तू, काम, कर, नगर, जा, माँ, बुला, आदि पद हैं।

अर्थात्, जब भाषा की सार्थक इकाई स्वतंत्र आती है तो शब्द है और जब वाक्य में व्याकरण के नियमों के साथ आती है तो पद।

जैसे —

1—	अक्षर	रा / म / आ / ओ 2 2 3 4	
2 —	शब्द	राम /	आओ 1 2
3 —	पद	राम /	आओ 1 2

अभ्यास

1. इन ध्वनियों से शब्द बनाओ — रा स न म प टी ता
2. इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करो —
   धीरेंद्र, मछली, कटहल, तांबूल, पान
3. शब्द किसे कहते हैं ?
4. पद किसे कहते हैं ?
5. शब्द और पद में क्या अंतर है ?

2. शब्द-भेद

सभी भारतीय आर्यभाषाओं का मूल आधार संस्कृत है। हिंदी भाषा भारतीय आर्यभाषा है। संस्कृत के अनेक शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। कुछ शब्द तो मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं, जिन्हें तत्सम कहा जाता है। मुसलमान, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली अनेक जातियों ने इस भू-भाग पर शासन किया। इसलिए इनकी भाषा क्रमश: अरबी, फारसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाली के अनेक शब्द हिंदी में आ गये।

इसी प्रकार व्याकरणिक इकाइयों के प्रभाव से भी शब्द में परिवर्तन होता है। अत: हम हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले शब्दों को नीचे लिखे आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं।

शब्द-भेद - हिंदी भाषा में शब्दों को हम चार आधारों पर वर्गीकरण कर सकते हैं —

1. अर्थ के आधार पर
2. प्रयोग के आधार पर
3. उत्पत्ति के आधार पर
4. परिवर्तन के आधार पर

1. अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं -

(अ) **सार्थक —** इनका भाषा में अर्थ होता है। घर, पानी, हम, आम, क्या - ये सार्थक शब्द हैं।

(आ) **निरर्थक—** इनका भाषा में कोई अर्थ नहीं होता। रकट, टधम, फफाट, ओठा, वानी, बड़की- ये सब निरर्थक शब्द हैं।

टिप्पणी - कुछ निरर्थक शब्द ऐसे भी हैं, जो सार्थक शब्द के साथ आकर एक विशेष अर्थ देते हैं। जैसे —

रोटी-वोटी खाकर आना। रोटी-वोटी - रोटी या रोटी के समान और कुछ।

पानी-वानी पिलाओ। पानी-वानी - पानी या पानी के समान और कुछ।

2. प्रयोग के आधार पर हिंदी में शब्दों के चार प्रकार हैं —

(अ) तत्सम — संस्कृत के वे मूल शब्द जिनका हिंदी में प्रयोग होता है। जैसे — माता, पिता, शिक्षा, ज्ञान, अक्षर, आदि।

(आ) तद्भव— संस्कृत के वे परिवर्तित शब्द जिनका हिंदी में प्रयोग होता है।
जैसे —अग्नि से आग। भ्रातृ से भाई। कर्म से काम आदि।

(इ) देशज — हमारे देश की बोली या भाषा के विशेष शब्द जिनका हिंदी में प्रयोग होता है।
जैसे — डिबिया, ढेंकी, बेटी, खिड़की आदि।

(ई) विदेशी — भारत के बाहर में दोशों की भाषाओं के शब्द जिनका हिंदी में प्रयोग होता है। जैसे —

फारसी भाषा से — आराम, चश्मा, दिमाग, सरकार आदि।

अरबी भाषा से — अल्ला, किताब, हिसाब, तारीख आदि।

तुर्की भाषा से — कुली, चाकू, दारोगा, कैंची आदि।

अंग्रेजी भाषा से — डॉक्टर, टिकट, रेल, स्कूल आदि।

फ्रांसीसी भाषा से— कूपन, जज, होटल, फैशन आदि।

पुर्तगाली भाषा से— आचार, आलमारी, चाबी, गोभी आदि।

3. उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के तीन प्रकार होते हैं—

(अ) रूढ़ — वे ऐसे शब्द होते हैं जो किसी दूसरे शब्द के योग से नहीं बनते हैं। इनकी उत्पत्ति, स्वतन्त्र रूप से होती है। यदि हम इनका खण्ड कर दें तो ये अर्थहीन हो जाते हैं।

मन (म/न) धन (ध/न) कान (का/न) रात (रा/त)

(आ) यौगिक — वे शब्द हैं जो दो या अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और खण्ड करने पर भी वे अपना-अपना अर्थ रखते हैं। जैसे — रामपुर (राम पुर), पाठशाला (पाठ शाला), देशद्रोही (देश द्रोही)

(इ) योगरूढ़ — वे शब्द हैं जो योगिक शब्दों से ही बनते हैं किन्तु ये सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ देते हैं। इनका यदि

हम खण्ड करें तो विशेष अर्थ की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि इनका अर्थ किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति के साथ रूढ़ (स्थायी) हो जाता है। जैसे —

जलज (जल/ज) = कमल　　दशानन (दश/आनन) = रावण

पीतांबर (पीत/ अंबर) = श्रीकृष्ण　　गजानन (गज/आनन) = गणेश

4. परिवर्तन के आधार पर दो प्रकार के शब्द होते हैं —

विकारी — ये वे शब्द हैं जो वाक्य में प्रयोग होने पर परिवर्तित हो जाते हैं। विकारी शब्द क्रमशः — संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के रूप में होते हैं। जैसे —

लड़का/ लड़के, लड़की　　तुम/ तुम्हें, तुमको, तुम्हारा, तुम्हीं

अच्छा/ अच्छे, अच्छी　　पढ़ना/ पढ़ा, पढ़ेगा, पढ़ी

अविकारी — वे शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होने पर परिवर्तित नहीं होते । इनको अव्यय भी कहते हैं। इन अविकारी शब्दों को क्रमशः- क्रिया-विशेषण, संबंधबोधक, समुच्चयबोधक और विस्मयादिबोधक कहते हैं। जैसे —

धीरे-धीरे = शर्मा धीरे-धीरे आया।　　ऊपर = माधवी ऊपर गया।

और = दिनेश और राधा आये हैं।　　शाबास = शाबास! हमारी टीम ने कमाल कर दिया।

टिप्पणी — शब्द-भेद के चारों आधार अर्थ, प्रयोग उत्पत्ति, परिवर्तन में परिवर्तन का आधार भाषा में अपना प्रमुख स्थान रखता है। इसे विकास, रूपांतर, विकार आदि का आधार भी कहते हैं। इसके दोनों वर्णों-विकारी और अविकारी का अगले पाठों में विस्तार से विवेचन किया जाएगा।

अभ्यास

1. भारतीय आर्य भाषाओं का मूल आधार क्या है?
2. हिंदी में कौन-कौन-सी भाषाओं के शब्द प्रयुक्त होते हैं?
3. हम हिंदी भाषा के शब्दों को कितने वर्णों में रख सकते हैं?
4. निरर्थक शब्द किसे कहते हैं?
5. तत्सम शब्द के पाँच उदाहरण दो।
6. आलमारी, डॉक्टर, नर्स, कोट, सरकार - ये किस प्रकार के शब्द हैं?
7. रिक्त स्थानों में सही शब्द भरो —
   (अ) दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल से ..... बनते हैं। (शब्द, पद, वाक्य)।
   (आ) शब्द भेद- के ..... आधार हैं। (आठ, दस, चार, दो)
   (इ) शब्द-भेद के आधारों में ..... का आधार महत्वपूर्ण है। (अर्थ, उत्पत्ति, प्रयोग, परिवर्तन)
   (ई) ..... शब्द सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ रखता है। (योगरूढ़, देशज, निरर्थक, विकारी)
8. 'है या नहीं' लगाकर इनको लिखो।
   (अ) शब्द और पद एक ही है।
   (आ) निरर्थक शब्द सार्थक शब्द के साथ मिलकर विशेष अर्थ देता है।

(इ) तत्सम और तद्भव शब्द समान होते हैं।

(ई) विकारी और अविकारी शब्दों का भाषा में महत्वपूर्ण स्थान होता है।

9. नीचे लिखे शब्दभेदों के पाँच-पाँच उदाहरण लिखो।

रूढ़ शब्द, देशज शब्द, निरर्थक शब्द, विकारी शब्द।

10. हिंदी भाषा में किन-किन विदेशी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग होता है? प्रत्येक के पाँच-पाँच उदाहरण लिखो।

3. विकारी शब्द

हिंदी के विकारी शब्दों को हम चार वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। व्याकरण में इन को क्रमश : -

1. संज्ञा	-	(रीता)
2. सर्वनाम	-	(वह)
3. विशेषण	-	(अच्छा)
4. क्रिया	-	(गाती)

कहतें हैं।

विकारी शब्द — संज्ञा

1. धीरेंद्र ब्रह्मपुत्र में नहाता है।
2. असम की एंडी भारत में प्रसिद्ध है।
3. डिगबै में तेल बहुत होता है।
4. अमेरिका में सोना बहुत होता है।

ऊपर के वाक्यों में क्रमश: ब्रह्मपुत्र, असम, एंडी, भारत, डिगबै तेल, अमेरिका, सोना ये सब संज्ञा शब्द हैं।

''किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं।''

संज्ञा के भेद-अर्थ के विचार में संज्ञा के पाँच भेद होते हैं। जैसे—

1. व्यक्तिवाचक संज्ञा
2. जातिवाचक संज्ञा
3. समूहवाचक संज्ञा
4. द्रव्यवाचक संज्ञा

(हिंदी व्याकरण में कुछ विद्वान इन्हें जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही मानते हैं।)

5. भाववाचक संज्ञा

व्यक्तिवाचक संज्ञा

गुवाहाटी सुंदर नगर है। शंकरदेव भारत के महान संत थे।

सती जयमती और रानी लक्ष्मीबाई वीर नारियाँ थीं। नील नदी मिस्र में बहती है।

गुवाहाटी, शंकरदेव, लक्ष्मीबाई, नील नदी, मिस्र आदि शब्द किसी व्यक्ति, नदी, देश आदि के नाम हैं। ये विशिष्ट नाम वाले संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं।

'ये संज्ञा शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, स्थान आदि के विशिष्ट नाम सूचित हों, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।'

जातिवाचक संज्ञा

असम की सभी औरतें कपड़ा बुनना जानती हैं।

कश्मीर में फल बहुत होते हैं।

काजीरंगा में पशु बहुत हैं।

जयपुर में भवन सुंदर हैं।

औरतें, कपड़ा, फल, पशु, भवन ये शब्द एक-एक जाति के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 'औरत' शब्द किसी भी औरत के लिये प्रयुक्त हो सकता है। इसी प्रकार कपड़ा, फल, पशु, भवन, पक्षी, मनुष्य, नदी, पहाड़, वृक्ष आदि शब्द भी जातिबोधक हैं।

''वे शब्द जिससे किसी वस्तु, प्राणी या पदार्थ की संपूर्ण जाति का बोध होता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।''

समूहवाचक संज्ञा

मेले में भीड़ होती है।

कक्षा में ही सभा होगा।

मेला, भीड़, कक्षा सभा, आदि शब्द समूहवाचक है। 'मेला' में अनेक आदमी होते हैं। इसी प्रकार भीड़, कक्षा, सभा, गुच्छा, झुण्ड, टोली, सेना आदि भी समूहवाचक शब्द हैं।

''वे शब्द जिनसे पदार्थों या प्राणियों के समूह का बोध हो, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं।''

द्रव्यवाचक संज्ञा

उत्तर प्रदेश में गेहूँ अधिक खाया जाता है।

असम में चावल अधिक खाया जाता है।

सोना और चाँदी से आभूषण बनते हैं।

आजकल दूध में पानी अधिक मिलाया जाता है।

गेहूँ, चावल, सोना, चाँदी, दूध, पानी — ये शब्द द्रव्यवाचक हैं। इन द्रव्यों का नापा या तौला जा सकता है। लोहा, घी, दही, ताँबा आदि भी द्रव्यवाचक संज्ञा हैं।

''वे शब्द जिनसे किसी द्रव्य का बोध हो और इन द्रव्यों को जिसे नापा या तौला जोखा जा सके, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं।''

भाववाचक संज्ञा

उमेश बचपन में बहुत खेलता था।

चोरी करना अच्छा नहीं है।

चीनी में मिठास अधिक होती है।

फूल में खुशबू होती है।

बचपन, चोरी, मिठास, खुशबू - इन शब्दों से किसी अवस्था, गुण, दोष, धर्म, व्यापार आदि का बोध होता है। शीतलता, गर्मी, धूप, शत्रुता, मित्रता, खट्टापन आदि भी इसी प्रकार के शब्द हैं।

ये शब्द किसी भाव को प्रकट करते हैं। भाव बताने वाले संज्ञा शब्द भाववाचक संज्ञा हैं।

''वे शब्द जिनसे किसी वस्तु या प्राणी के गुण दोष, अवस्था अथवा भाव का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं।''

अभ्यास

1. विकारी शब्द कितने प्रकार के हैं ?
2. संज्ञा किसे कहते हैं ?
3. इन वाक्यों से व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द चुनकर लिखो —
   शंकरदेव और माधवदेव असम के महापुरुष थे।
   तेजपुर, चण्डीगढ़ और पेरिस सुंदर नगर हैं।
   गंगा, यमुना, नर्मदा और गोदावरी पवित्र नदियाँ हैं।
   कामाख्या, बद्रीनाथ और सोमनाथ तीर्थ-स्थान हैं।
4. इनमें से जातिवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं को अलग करो —
   मनुष्य, भीड़, पशु, झुण्ड, पहाड़, कक्षा, टोली, वृक्ष, मेला, नदी।
5. इनमें से द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञाओं को अलग करो —
   सोना, सुगंध, लोहा, ठण्ड, धूप, चीनी, पानी, तेल, कड़वाहट, मिठास।
6. इन शब्दों को जोड़कर भाववाचक संज्ञाएँ लिखो —
   खट्टा + ई, शत्रु + ता, बूढ़ा + पा, बाल + पन, चिकना + हट, नम्र + ता।

4. भाववाचक संज्ञा का गठन

हिंदी में भाववाचक संज्ञाएँ प्राय: किसी न किसी प्रत्यय के मिलने से बनती हैं। ये प्रत्यय पाँच प्रकार के विकारी शब्दों से मिलकर भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं।

1. संज्ञा से —

संज्ञा	**प्रत्यय**	**भाववाचक संज्ञा**
लड़का	+ पन	= लड़कपन
शत्रु	+ ता	= शत्रुता
चोर	+ ई	= चोरी

टिप्पणी— जातिवाचक संज्ञा में पन, ता, ई प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनायी जा सकती है।

2. सर्वनाम से —

सर्वनाम	**प्रत्यय**	**भाववाचक संज्ञा**
अपना	+ पन	= अपनापन
अपना	+ त्व	= अपनत्व
मैं	+ पन	= मैं-पन

3. विशेषण से —

विशेषण	**प्रत्यय**	**भाववाचक संज्ञा**
सरल	+ पन	= सरलता
लम्बा	+ ता	= लंबाई
भला	+ ई	= भलाई
गरम	+ ई	= गरमी

टिप्पणी — हिंदी में अधिकतर भाववाचक संज्ञाएँ विशेषण से बनती हैं।

4. क्रिया से

क्रिया	**प्रत्यय**	**भाववाचक संज्ञा**
चढ़ना	+ ई	= चढ़ाई
रोना	+ ई	= रुलाई
खुजलाना	+ आहट	= खुजलाहट
पढ़ना	+ ई	= पढ़ाई
लिखना	+ आवट	= लिखावट

टिप्पणी— क्रिया से जब प्रत्यय मिलता है तो धातु तो प्राय: मूल रूप में ही रहती है किंतु उनका 'ना' लुप्त हो जाता है।

5. अव्यय से —

अव्यय	**प्रत्यय**	**भाववाचक**
सम	+ ता	= समता
समीप	+ य	= सामीप्य

भाववाचक संज्ञाएँ प्राय: आई, ई, ता, त्व, हट, वट, पा, पन आदि प्रत्ययों से बनायी जाती हैं। जैसे—

1. आई – चढ़ + ता = चढ़ाई
2. ई – चोर + ई = चोरी
3. ता – मानव + ता = मानवता
4. त्व – मनुष्य + त्व = मनुष्यत्व
5. आहट – घबराना + आहट = घबराहट
6. आवट – लिखना + आवट = लिखावट
7. पा – बूढ़ा + पा = बुढ़ापा
8. पन – लड़का + पन = लड़कपन

अभ्यास

1. भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं ?
2. भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती हैं ?
3. भाववाचक संज्ञा में दूसरा शब्द कौन-सा होता है ?
4. कौन-सी संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनायी जाती है ?
5. भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्ययों के नाम बताओ।
6. इनमें से भाववाचक संज्ञाओं को अलग करो –

   राम, सलीम, लड़ाई, गर्मी, लड़का, पशु, पशुत्व, बचपन, बनावट, चाँदी, लोहा, कक्षा, घबराहट।

राम बीमार है, इसलिए वह स्कूल नहीं जाएगा।

शीला भूखी है, इसलिए वह खाना खाएगी।

ऊपर के वाक्यों में क्रमशः राम और शीला शब्द संज्ञा है। इन्हीं शब्दों के स्थान पर दोनों वाक्यों में 'वह' का प्रयोग हुआ है। अर्थात् संज्ञा के स्थान पर 'वह' का प्रयोग हुआ। हिंदी में इसे सर्वनाम कहते हैं। इसी प्रकार मैं, तुम, वे, ये, हम, तू आदि सर्वनाम हैं।

सर्वनाम के प्रकार

हिंदी में छः प्रकार के सर्वनाम हैं -

1. पुरुषवाचक सर्वनाम
2. निजवाचक सर्वनाम
3. निश्चयवाचक सर्वनाम
4. अनिश्चयवाचक सर्वनाम
5. संबंधवाचक सर्वनाम
6. प्रश्नवाचक सर्वनाम

1. पुरुषवाचक सर्वनाम—

मैं जाता हूँ। तुम जाते हो। वह जाता है।

यहाँ मैं, तुम और वह पुरुषवाचक सर्वनाम हैं।

मैं = कहने वाला, तुम = सुनने वाला और वह = जिसके विषय में कहा गया है।

पुरुषवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं, जिससे कहने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में कहा जाए इसका विवेचक हो।

पुरुषवाचक सर्वनाम में तीन बातें अलग-अलग हैं। इसलिए इनके तीन भेद हैं।

(अ) प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम—

मैं घर जाऊँगा	मैं (एकवचन) — प्रथम पुरुष
हम तेजपुर जाएँगे	हम (बहुवचन) — प्रथम पुरुष

''जिस सर्वनाम से स्वयं के बारे में कहने वाले का बोध होता है, उसे प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है।''

टिप्पणी — वचन का अर्थ है संख्या। जब किसी शब्द से ऐसी वस्तु प्राणी या पदार्थ का बोध होता है उस शब्द को हम एकवचन कहते हैं और जब एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों का ज्ञान होता तो उसे बहुवचन कहते हैं।

(आ) प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम—

तुम घर जाओ	तुम — बराबर के लिए मध्यम पुरुष
तू उमानंद जा	तू — छोटे के लिए मध्यम पुरुष
आप कामाख्या जाइए	आप — बड़े के लिए मध्यम पुरुष

जिस सर्वनाम से सुनने वाले या पढ़ने वाले का बोध हो उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।

(इ) अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम—

वह खाना खा रही है।	वह — एकवचन अन्य पुरुष
वे खाना खा रही हैं।	वे — बहुवचन अन्य पुरुष

जिस सर्वनाम से प्रथम और मध्यम पुरुष को छोड़ कर किसी अन्य पुरुष का बोध हो उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।

2. **निजवाचक** सर्वनाम —

मैं अपना काम आप कर लूँगा।

मैं स्वयं आपके पास आऊँगा।

मैं खुद ही जाऊँ।

मैं अपने आप चला जाऊँगा।

ऊपर के वाक्यों में आप, स्वयं, खुद, अपने आप - ये सब 'मैं' सर्वनाम के लिए ही प्रयुक्त हुए हैं। अत: इन्हें हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है।

''जिस सर्वनाम से स्वयं या निज के बारे में अर्थ प्रकट हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं।''

3. **निश्चयवाचक सर्वनाम** —

यह पुस्तक है। ये पुस्तकें हैं। वह नामघर है। वे आलमारियाँ हैं।

यह, वह निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। इनसे किसी निश्चित वस्तु का बोध हो रहा है। वस्तुएँ क्रमश: पुस्तक, नामघर हैं। यह, वह सर्वनाम के बहुवचन का रूप क्रमश: ये और वे हैं।

''जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।''

4. **अनिश्चयवाचक सर्वनाम—**

कोई सो रहा है। कुछ जा रहे हैं, कुछ रहे हैं।

कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। ये ऐसे सर्वनाम हैं, जिनसे

प्राणी, वस्तु या पदार्थ के बारे में निश्चित ज्ञान नहीं होता। 'कोई' एक वस्तु के लिए और 'कुछ' अनेक वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है।

''जिस सर्वनाम से अनिश्चय बना रहे अर्थात् जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत न करे, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।''

5. **संबंधवाचक सर्वनाम—**

जो पैदा हुआ है वह मरेगा भी।

जो आपने कहा था, वह मैंने कर दिया।

ऊपर के दोनों वाक्यों में से प्रत्येक वाक्य दो-दो उपवाक्यों से बना हुआ है। ये दोनों उपवाक्य जो-वह सर्वनाम से संबंधित हैं। इसलिए जो-वह संबंधवाचक सर्वनाम हैं।

''जिस सर्वनाम से किसी एक शब्द या वाक्य के किसी अन्य शब्द या वाक्य से संबंध का बोध हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं।''

6. **प्रश्नवाचक सर्वनाम—**

दिल्ली कौन जाएगा?

नगाँव में क्या होगा?

आपका शुभ नाम क्या है?

ऊपर के वाक्यों में कौन, क्या - ये सर्वनाम प्रश्न करने के लिए आए हैं।

''जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं।''

अभ्यास

1. सर्वनाम किसे कहते हैं ?
2. निम्नलिखित वाक्यों से सर्वनाम चुनो —

   गुवाहाटी सुंदर नगर है। यह असम का बड़ा नगर भी है।

   मैं ब्रह्मपुत्र में स्नान करता हूँ।

   तुम और हम कल चेन्नई जाएँगे।

   हम सब भारतीय हैं।
3. पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं ?
4. निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनामों में क्या अंतर है ?
5. संबंधवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनामों में क्या अंतर है ?
6. निम्नलिखित सर्वनाम को अलग-अलग कर उनके नाम बताओ। जैसे—

   मैं, तुम, हम — पुरुषवाचक सर्वनाम

   क्या, कौन — प्रश्नवाचक सर्वनाम

   वे, ये, वह, कोई, तुम, तू, मैं, आप, स्वयं, अपने आप, कुछ, खुद, हम, जो, सो, यह।

सर्वनाम का रूप-परिवर्तक - कारक

(अ) **कारक और विभक्ति चिह्न :** हिंदी में संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्दों से संबंध को 'कारक' कहा जाता है। कारकों का अपना अपना एक विषेश चिह्न होता है, जिसे विभक्ति कहते हैं। इन्हीं विभक्ति चिह्नों से शब्दों के संबंध का पता चलता है। जैसे —

मैंने तुमको एक पत्र लिखा।

राम ने मोहन को एक पत्र लिखा।

ऊपर के वाक्यों में 'ने' और 'को' विभक्ति चिह्न हैं। ये क्रमश: कर्ता और कर्म कारक के चिह्न हैं। इससे प्रथम वाक्य में सर्वनाम से सर्वनाम का और दूसरे वाक्य में संज्ञा का संबंध ज्ञात होता है।

कारक—

''संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप द्वारा उनका अन्य शब्दों से संबंध ज्ञात होता है, उसे कारक कहते हैं।''

विभक्ति—

''प्रत्येक कारक का एक निश्चित चिह्न होता है, जिसे विभक्ति कहते हैं।''

(आ) कारक के प्रकार —

हिंदी में आठ प्रकार के कारक हैं —

कारक	विभक्ति
1. कर्ता	ने, —0
2. कर्म	को, —0
3. करण	से, —0

4. संप्रदान — को, के, लिए
5. अपादान — से
6. संबंध — का, के, की, रा, रे, री
7. अधिकरण — में, पै, पर
8. संबोधन — हे, अरे, अजी

(इ) कारक — विभक्ति से सर्वनाम का रूप-पवित्तन —

सर्वनाम के साथ जब ये विभक्तियाँ लगती हैं तो सर्वनाम शब्द के साथ मिल जाती हैं और उसका रूप भी बदल देती हैं। जैसे —

उसने मोहन को मारा। उन्होंने उनको बुलाया।

प्रथम वाक्य में —'वह' सर्वनाम के साथ कर्ता कारक 'ने' की विभक्ति लगी हुई है। 'ने' के कारक 'वह' सर्वनाम का रूप बदल कर 'उस' हो गया और तब उस + ने = उसने हुआ।

इसी प्रकार दूसरे वाक्य में — (वे-उन + ने = उन्होंने)
(वे-उन + को = उनको) हुआ।

सर्वनामों का रूप-परिवर्तन

1. पुरुषवाचक सर्वनाम — उत्तम (प्रथम) पुरुष

मैं

कारक	**एकवचन**	**बहुवचन**
कर्ता	मैं, मैंने	हम, हमने
कर्म	मुझको, मुझे	हमको, हमें
करण	मुझसे, मेरे द्वारा	हमसे, हमारे द्वारा
संप्रदान	मुझको, मुझे, मेरे लिए	हमको, हमें, हमारे लिए
अपादान	मुझसे	हमसे
संबंध	मेरा-रे-री	हमारा-रे-री
अधिकरण	मुझमें-पर	हममें, हमारे में-पर

पुरुषवाचक सर्वनाम - मध्यम (द्वितीय) पुरुष

तू

कारक	**एकवचन**	**बहुवचन**
कर्ता	तू, तूने	तुम, तुमने
कर्म	तुझको, तुझे	तुमको, तुम्हें
करण	तुझसे, तेरे द्वारा	तुमसे, तुम्हारे द्वारा
संप्रदान	तुझको तुझे, तेरे लिए	तुमको, तुम्हें, तुम्हारे लिए
अपादान	तुझसे	तुमसे
संबंध	तेरा, तेरी, तेरे	तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे
अधिकरण	तुझमें-पर-पै	तुममें-पर-पै

पुरुषवाचक सर्वनाम-अन्य (तृतीय) पुरुष

वह

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	वह, उसने	वे, उन्होंने
कर्म	उसको, उसे	उनको, उन्हें
करण	उससे, उसके द्वारा	उनसे, उनके द्वारा
संप्रदान	उसको, उसे, उसके लिए	उनको, उन्हें, उनके लिए
अपादान	उससे	उनसे
संबंध	उसका, उसकी, उसके	उनका, उनकी, उनके
अधिकरण	उसमें, उस पर	उनमें, उन पर

2. निजवाचक सर्वनाम

आप

कर्ता	आप
कर्म	अपने को
करण	अपने से
संप्रदान	अपने को, के लिए
अपादान	अपने से
संबंध	अपना, अपने, अपनी
अधिकरण	अपने, में, पर

3. निश्चयवाचक सर्वनाम

यह

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	यह, इसने	ये, इन्होंने
कर्म	इसे, इसको	इन्हें, इनको
करण	इससे	इनसे
संप्रदान	इस, इसको, इसके, लिए	इन्हें, इनको, इनके लिए
अपादान	इससे	इनसे
संबंध	इसका, इसको, इसके	इनका-को-के
अधिकरण	इसमें, इस पर	इनमें, पर

टिप्पणी—इसी प्रकार 'वह' और 'वे' का भी रूप-परिवर्तन होता है। जैसे —

कर्ता	वह	उसने, वे, उन्होंने
कर्म	उसका, उसे	उनको, उन्हें

4. अनिश्चयवाचक सर्वनाम

कोई

कारक	**एकवचन**	**बहुवचन**
कर्ता	कोई, किसी ने	कोई, किन्होंने
कर्म	किसी को	किन्हीं को
करण	किसी से	किन्हीं से
संप्रदान	किसी को, किसी के लिए	किन्हीं को, किन्हीं के लिए
अपादान	किसी से	किन्हीं से
संबंध	किसी का, किसी की, किसी के	किन्हीं का-के-की
अधिकरण	किसी में, किसी पर	किन्हीं में, किन्हीं पर

टिप्पणी— 'कोई' का बहुवचन रूप 'कोई-कोई', किसी-किसी ने, किसी-किसी को जैसा भी होता है।

2. अनिश्चयवाचक सर्वनाम 'कुछ' का रूप परिवर्तन नहीं होता, किंतु उनके आगे विभक्ति अवश्य लगती है। जैसे — कुछ + ने-कुछ ने। कुछ + को = कुछ को आदि।

5. संबंधवाचक सर्वनाम

जो

कारक	**एकवचन**	**बहुवचन**
कर्ता	जो, जिसने	जो, जिन्होंने
कर्म	जिससे, जिसको	जिन्हें, जिनको
करण	जिससे	जिनसे
संप्रदान	जिसको, जिसके लिए	जिनको, जिनके लिए
अपादान	जिससे	जिनसे
संबंध	जिसका-की-के	जिनका-की-के
अधिकरण	जिसमें-पर	जिनमें-पर

टिप्पणी — संबंधवाचक अन्य सर्वनामों का रूप परिवर्तन नहीं होता।

6. प्रश्नवाचक सर्वनाम

कौन

कारक	**एकवचन**	**बहुवचन**
कर्ता	कौन, किसने	कौन, किन्होंने
कर्म	किसको, किसे	किनको, किन्हें
करण	किससे	किनसे
संप्रदान	किसको, किसे	किनको, किन्हें
अपादान	किससे, किसे	किनसे
संबंध	किसमें-पर	किनमें-पर

टिप्पणी — प्रश्नवाचक सर्वनाम 'क्या' का रूप-परिवर्तन नहीं होता और न ही इसके आगे विभक्ति लगती है। बहुवचन बनाने के लिए इसके द्वितीय रूप का प्रयोग किया जाता है।

जैसे — नीलू शिलांग से क्या-क्या लाई?

अभ्यास

1. सर्वनाम का रूप कौन बदलाता है ?
2. कारक किसे कहते हैं ?
3. कारक की विभक्तियों के नाम बताओ।
4. विभक्तियाँ सर्वनाम पर अधिक प्रभाव डालती हैं या संज्ञा पर ?
5. नीचे लिखे सर्वनाम में संबंध कारक की विभक्ति लिखो —
   मैं, हम, वह, कोई
6. निम्नलिखित सर्वनामों में कर्मकारक की 'को' विभक्ति लगाओ।
   मैं, तू, तुम, वह, वे, ये, हम, क्या, कुछ, कोई, कौन, आप, जो।
7. निम्नलिखित सर्वनामों से विभक्ति हटाकर उनके मूल रूप लिखो —
   मैंने, उसने, उन्होंने, इसने, इन्होंने, उसने, किसने, किसी ने, हमने,जिसने।

विकारी शब्द—विशेषण

(अ) विशेषण —

1. असम में सुंदर घर होते हैं।
2. असम हरा-भरा राज्य है।
3. पंजाब उपजाऊ राज्य है।
4. मैं तीन भाषाएँ पढ़ता हूँ।

ऊपर के वाक्यों में क्रमशः सुंदर, हरा-भरा, उपजाऊ, तीन विशेषण हैं, क्योंकि ये घर, राज्य, भाषाओं की विशेषता बतला रहे हैं। इसी प्रकार अच्छा, बुरा, छोटा, बड़ा, लंबा, मोटा, कम, अधिक, पाँच, बहुत आदि भी विशेषण हैं।

'जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, अवस्था आदि बताता है, उसे विशेषण कहते हैं।'

विशेषण विकारी शब्द है, क्योंकि इसका लिंग, वचन आदि के अनुसार रूप बदलाता है। जैसे — अच्छा लड़का। अच्छे लड़के को—अर्थात् 'अच्छा' अच्छे हो गया।

(आ) विशेषण के प्रकार —

गुण, संख्या, परिमाण आदि के अनुसार विशेषण पाँच प्रकार के हैं।

जैसे —

1. गुणवाचक विशेषण
2. संज्ञावाचक विशेषण
2. परिमाणवाचक
4. संकेतवाचक विशेषण
5. व्यक्तिवाचक विशेषण

1. गुणवाचक विशेषण

यह सुंदर चित्र है। सलीम अच्छा लड़का है।

सुंदर और अच्छा क्रमशः चित्र और लड़का संज्ञाओं के गुण बता रहे हैं। ये गुणात्मक विशेषण हैं। इसी प्रकार मीठा, बुरा, भला, पीला आदि भी गुणवाचक विषेशण हैं।

'जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण प्रकट करता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं।'

2. संख्यावाचक विशेषण

असम के विद्यालय में तीन भाषाएँ पढ़ायी जाती हैं।

मैंने दो पुस्तकें खरीदीं। भारत में सैकड़ों लोग गरीब हैं।

ऊपर के वाक्यों में तीन, दो, सैकड़ों संख्यावाचक विशेषण हैं, क्योंकि ये विशेषण भाषाएँ, पुस्तकें और लोगों की संख्या का बोध करा रहे हैं। इसी प्रकार पाँच, हजारों, दस, कुछ, थोड़ा, आदि भी संख्यावाचक विशेषण हैं।

'जो विशेषण किसी वस्तु की संख्या प्रकट करता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं।'

टिप्पणी — संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार का होता है।

पहला, निश्चित संख्यावाचक विशेषण— जैसे - पाँच लड़के, चौथा लड़का।

दूसरा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण- जैसे — कुछ पुस्तकें, सैकड़ों रुपये।

3. परिमाणवाचक विशेषण

थोड़ा पानी लाओ। आप बहुत बुद्धिमान है।

मैंने चार मीटर कपड़ा खरीदा।

थोड़ा, बहुत, चार परिमाणवाचक विशेषण हैं, क्योंकि ये ऐसी वस्तुओं का परिमाण बता रहे हैं, जिन्हें हम तौल या नाप सकते हैं।

'जो विशेषण नाप-तौल या परिणाम प्रकट करता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं।'

4. संकेतवाचक विशेषण

यह कपड़ा नीला है।

वह लड़का प्रमोद है।

इस पुस्तक का नाम क्या है ?

ऊपर के वाक्यों में यह, वह, इस संकेतवाचक विशेषण हैं। ये क्रमशः नीला, प्रमोद, पुस्तक और फल की ओर संकेत कर रहे हैं। इसे सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, क्योंकि यह, उस, कौन, क्या, कुछ आदि सर्वनाम हैं। ये जब किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, तब ये विशेषण माने जाते हैं।

'जो विशेषण संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं।'

टिप्पणी— संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। इसके तीन भेद-माने जाते हैं। जैसे —

1. प्रश्नवाचक — कौन, क्या
2. निश्चयवाचक — यह, वह, उस, इस
3. अनिश्चयवाचक — कुछ, कोई

5. व्यक्तिवाचक विशेषण

भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी सेना को हरा दिया।

असमीया रेशम सारे भारत में प्रसिद्ध है।

कश्मीरी सेब सब पसंद करते हैं।

जापानी रेडियो मजबूत है।

ऊपर भारतीय, पाकिस्तानी, असमीया, कश्मीरी, जापानी व्यक्तिवाचक विशेषण हैं, क्योंकि ये क्रमशः भारत, पाकिस्तान, असम, कश्मीर, जापान व्यक्तिवाचक स्थान सूचक संज्ञाओं से बने हैं। इसी प्रकार पंजाबी गेहूँ, नागपुरी संतरा, बंगाली मिठाई, गोवालपरीया बोली में पंजाबी, नागपुरी, बंगाली, गोवलपरीया भी व्यक्तिवाचक विशेषण हैं।

''व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनने वाले विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं।''

(इ) अन्य शब्दों से बनने वाले विशेषण

हिंदी भाषा में मूल विशेषणों के अतिरिक्त अन्य शब्दों से मिलकर भी विषेषण बनते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय - इन शब्दों का विशेषणों के निर्माण में प्रमुख स्थान है। जैसे —

1. संज्ञा से बनने वाले विशेषण

संज्ञा	**प्रत्यय**	**विशेषण**
पहाड़	+ ई	= पहाड़ी
ग्राम	+ इन	= ग्रामीण
सेना	+ इक	= सैनिक
धन+	वान =	धनवान
श्री	+ मान	= श्रीमान

भूख + आ = भूखा
दुख + इया = दुखिया
असम + ईया = असमीया

2. सर्वनाम से बनने वाले विशेषण

यह + से = ऐसा, इतना
वह + से = वैसा, उतना
जो + से = जैसा, जैसे
मैं + रा = मेरा (हमारा, तुम्हारा)
उस + का = (उनका, इनका) आदि।

3. क्रिया से बनने वाले विशेषण

धातु	प्रत्यय	विशेषण
टिक	+ आऊ	= टिकाऊ
झगड़ा	+ आलू	= झगड़ालू
बढ़	+ इया	= बढ़िया
मर	+ इयल	= मरियल
लूट	+ एरा	= लूटेरा
गा	+ वैया	= गवैया
मिलन	+ सार	= मिलनसार
पढ़ना	+ वाला	= पढ़नेवाला

4. अव्यय से बनने वाले विशेषण

भीतर + ई = भीतरी
ऊपर + ई = ऊपरी
बाहर + ई = बाहरी

अभ्यास

1. विशेषण किसे कहते हैं ?
2. विशेषण कितने प्रकार के होते हैं ?
3. नीचे लिखे विशेषण किस प्रकार के विशेषण हैं ?
   सुंदर, अच्छा, बुरा, काला, पीला, मीठा, दो, तीन, पाँच, सैकड़ों, हजारों, कुछ, थोड़ा, बहुत, चौथा, पाँचवाँ, उस, इस, कौन, क्या, असमीया, जापानी, बंगाली।
4. नीचे लिखे शब्दों में प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाओ।
   पहाड़, ग्राम, असम, भारत, मैं, जो, लूट, पढ़ाना, भीतर, बाहरी।
5. विशेषण और सर्वनाम में क्या अंतर है ?

विकारी शब्द — क्रिया

क्रिया अर्थात् करना या होना। वाक्य में जिस शब्द में कुछ करना या होना सूचित होता है, उसे क्रिया कहते हैं।

जैसे— राम गया। यहाँ 'गया' क्रिया है।

वैसे ही — सुरेश ब्रह्मपुत्र में स्नान कर रहा है।

ऊपर के वाक्य में यदि हम 'स्नान कर रहा है' को छोड़ दें तो अर्थ प्राप्त नहीं होगा। 'सुरेश ब्रह्मपुत्र में' कहने से सुनने वाला अनेक अर्थ निकालेगा।

सुरेश ब्रह्मपुत्र में — मर रहा था
कूद रहा था

बह रहा था
नहा रहा था
मछली मार रहा था
नाव चला रहा था
डूब रहा था - आदि

अत: वाक्य का एक निश्चित अर्थ प्राप्त करने के लिए क्रिया का होना आवश्यक है। हिंदी में क्रिया वाक्य के अंत में आती है। जैसे —

	कर्ता	**कर्म**	**क्रिया**
1.	राम	फल	खा रहा है।
2.	नीलू	कीर्तन-घोषा	पढ़ रही है।
3.	सलीमा	भात पका	रही है।

क्रिया एक विकारी शब्द (पद) है, क्योंकि लिंग, वचन, काल के अनुसार इसमें परिवर्तन होता है। जैसे —

1. राम जा रहा है।
2. राम और रहीम जा रहे हैं।
3. तू तेजपुर जा रहा है।
4. हम कानपुर जा रहे हैं।

इसी प्रकार लिंग और काल के अनुसार भी परिवर्तन होता है।

क्रिया के प्रकार—

हिंदी भाषा में क्रियाओं के मुख्य पाँच भेद होते हैं। जैसे —

1. सकर्मक क्रिया 2. अकर्मक क्रिया 3. प्रेरणार्थक क्रिया
4. नामधातु-प्रधान क्रिया 5. संयुक्त क्रिया

वर्गीकरण में प्रथम दो का संबंध कर्म से है। ये क्रियाएँ कर्म या कर्ता से अपनासंबंध रखती हैं और रूप भी बदलाती हैं।

अंतिम-तीन भेद व्युत्पत्ति में आधार पर किये गए हैं। इनमें से प्रत्येक क्रिया-वर्ग मूल धातु से संबंध रखते हुए अन्य शब्दों या प्रत्ययों से मिलकर बनता है और विशेष अर्थ देता है।

1. सकर्मक क्रिया

सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ

रीता भात खा रही है।

1 2 3

ऊपर के वाक्यों में 'रीता' खाने का काम कर रही है। इसलिए 'रीता' कर्ता पद है और 'खा रही है' क्रिया पद है। 'भात' कर्ता की क्रिया का आधार है, अत: कर्म है।

कर्म का अर्थ है कर्ता के काम या क्रिया का आधार। इसकी विभक्ति 'को' है - जो प्राणीवाचक कर्म के साथ प्राय: लगती है और अप्राणीवाचक कर्म पद के साथ प्राय: नहीं लगती है।

दिनेश कुत्ते को मारता है।

मोहम्मद लकड़ी काटता है।

''जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं।''

सकर्मक क्रिया के प्रकार —

(अ) एक कर्म वाली क्रियाएँ - जिनका एक ही कर्म हो। जैसे —

1. हम कटहल खाते हैं।
2. सीता चाय बनाती है।

(आ) द्विकर्मक क्रियाएँ - जिनका साथ अर्थ प्रकट के लिये दो कर्म आते हैं। जैसे —

गुरुजी हमको हिंदी पढ़ाते हैं।

माताजी सुरेश को फल देती है।

(इ) सजातीय क्रियाएँ - कोई अकर्मक क्रिया भी यदि अपनी धातु से बने हुए कर्म के साथ आती है तो वह सकर्मक हो जाती है और उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे —

वह गाना गाता है।

2. अकर्मक क्रिया

अकर्मक का अर्थ है 'कर्म से रहित'।

उमेश रोता है।

धीरेन नहाता है।

सीता बोलती है।

ऊपर के वाक्यों में रोता, नहाता, बोलती क्रियाएँ क्रमश: उमेश, धीरेन और सीता के अनुसार हैं। ये तीनों कर्ता पद हैं। इन क्रियाओं का कोई कर्म नहीं है। ये अकर्मक क्रियाएँ हैं।

टिप्पणी— अकर्मक क्रियाएँ दो प्रकार की होती हैं।

1. पूर्ण अकर्मक — इन क्रियाओं से पूरे अर्थ की प्राप्ति हो जाती है। जैसे — सीता सोती है।

2. अपूर्ण अकर्मक — इन क्रियाओं से पूरे अर्थ की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए अकर्मक क्रिया के पहले विशेषण या संज्ञा पद को जोड़ना पड़ता है। जैसे —

पिताजी हो गए हैं। (अपूर्ण अर्थ)

पिताजी बीमार हो गए हैं। (पूर्ण अर्थ)

व्युत्पत्ति के आधार पर हिंदी धातुओं में प्रमुख दो भेद होते हैं — मूल और यौगिक।

1. मूल धातु — जो धातु किसी दूसरे शब्द के योग से नहीं बनती हो, उसे मूल धातु कहते हैं। जैसे — हो, जा, पढ़, लिख, हँस, उठ, बोल।

2. यौगिक धातु — जो धातु किसी अन्य शब्द के योग से बने, उसे यौगिक धातु कहते हैं। जैसे —

हो + जाना = हो जाना पढ़ + लेना = पढ़ लेना

यौगिक धातु तीन प्रकार के होते हैं —

1. प्रेरणार्थक 2. नामधातु 3. संयुक्त धातु

1. प्रेरणार्थक क्रिया

वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग तब होता है, जब वाक्य का कर्ता स्वयं काम न करे अपितु किसी अन्य से उस कम को करवाये। कर्ता भी सक्रिय रहता है, किंतु वह स्वयं उस काम को अपने हाथ से नहीं करता है। जैसे—

रेखा सविता से चिट्ठी लिखवाती है।

राम मुझसे श्याम को पिटवाना चाहता है।

ऊपर के वाक्यों में रेखा और राम कर्ता है, किंतु लिखने और पीटने का काम क्रमश: ''सविता और मुझसे'' होता है।

इसी प्रकार—

कर + वाना = करवाना

मर + वाना = मरवाना

बोल + वाना = बोलवाना

दौड़ + वाना = दौड़वाना

लड़ + वाना = लड़वाना - आदि प्रेरणार्थक क्रियाएँ हैं।

'जब कर्ता किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु को प्रेरणा देकर कोई कार्य करवाता है, तब उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं।'

2. नामधातु क्रिया

नामधातु क्रिया भी यौगिक धातु का ही एक भेद है। इसमें क्रिया संज्ञा विशेषण के साथ जुड़ी हुई होती है।

1. राम ने सलीम का दिल दुखाया।
2. चीन ने भारत की जमीन हथिया ली।

नाम	धातु	नामधातु क्रिया
हाथ	+ आ	= हथिया (हथियाना)
दुख	+ आ	= दुखा (दुखाना)
चिकना	+ ना	= चिकनाना

ऊपर के वाक्यों में 'हाथ', 'दुख' संज्ञा और 'चिकना' विशेषण है। इन्हें 'नाम' कहा जाता है। इनमें 'आ' + 'ना' जोड़कर नामधातु क्रियाएँ बनाई गई हैं।

'संज्ञा या विशेषण शब्दों के आगे 'आ' या 'ना' जोड़कर जो क्रिया बनती हैं, उन्हें नामधातु क्रियाएँ कहते हैं।'

3. संयुक्त क्रियाएँ

संयुक्त क्रिया का अर्थ है - कोई क्रियाओं का मिला हुआ रूप। किसी मुख्य क्रिया को शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ सहायक क्रियाओं का सहारा लिया जाता है। ऐसी क्रियाओं में मुख्य क्रिया के अनुसार ही अर्थ निश्चित होता है।

ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आ गई।

क्या, तुम कामाख्या पहाड़ पर चढ़ सकते हो?

इस समय तांबूल तो खाया ही जा सकता है।

ऊपर के वाक्यों में - आ गई, चढ़ सकते हो, खाया जा सकता है, क्रियापद हैं- इनमें आ, चढ़, खाया मुख्य क्रियाएँ हैं और गई, सकते हो, जा सकता है -ये सहायक क्रियाएँ हैं। इसी प्रकार - आया करता है, आया-जाया करता है, रो रहा है, रोया नहीं जा रहा है आदि भी संयुक्त क्रियाएँ हैं। ''दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से बनी क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं।''

अभ्यास

1. क्रिया किसे कहते हैं?
2. क्रियाएँ कितने प्रकार की होती हैं?
3. नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया स्थानों की पूर्ति पास दी गई क्रियाओं से करो—
   1. कैलाश नदी में ·····। (चलता है, नहाता है, सोता है)
   2. गणेश कुसुम से स्वेटर ·····। (उठवाना है, लिखवाता है, बुनवाता है)
   3. मैं अगले हप्ते चेन्नई .....। (बैठूँगा, जाऊँगा, सुनूँगा)
   4. रमेश पुस्तक .....। (पढ़ती है, पढ़ाते हैं, पढ़ता है)
   5. नीलू से यह पत्र .....। (पढ़ी नहीं जा रही है, पढ़ा नहीं जा रहा है)
4. नीचे दी हुई क्रियाओं के प्रकार बताओ —

   जैसे — खाना - सकर्मक क्रिया
   हँसना - अकर्मक क्रिया
   हथियाना - नामधातु क्रिया
   पिलवाना - प्रेरणार्थक क्रिया
   आ सकना - संयुक्त क्रिया

   नहाना, मुस्कराना, लिखना, पढ़ना, खाना, दुखाना, चिकनाना, पिटना, करवाना, दागना, छींकना, दिलवाना, जाने लगना, पढ़ सकना, सोना सुलवाना, आ जाना।
5. द्विकर्मक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया में क्या अंतर है?

अविकारी शब्द

भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जिनका लिंग, वचन, काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। हिंदी व्याकरण में ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। इन्हें अव्यय, अपरिवर्तनशील आदि भी कहते हैं।

अविकारी शब्दों को हम चार भागों में रख सकते हैं —

1. क्रिया-विशेषण 2. संबंधबोधक 3. समुच्चयबोधक 4. विस्मयादिबोधक

1. अविकारी शब्द — क्रिया-विशेषण

1. क्रिया-विशेषण

क्रिया-विशेषण का अर्थ है क्रिया की विशेषता बताना। हिंदी भाषा में क्रिया-विशेषण का अर्थ के विचार से विशेष महत्व बताना। यह शब्द कभी क्रिया की विशेषता बताना है तो कभी क्रिया विशेषण की।

वाक्य में क्रिया-विशेषण प्राय: क्रिया के पूर्व ही आता है, परंतु कभी-कभी वह क्रिया से कुछ हटकर भी प्रयुक्त होता है। ऐसे अवस्था से क्रिया-विशेषण का पता लगाना कठिन हो जाा है, परंतु इसका अन्य रूपों में जब हम प्रयोग करके देखें तो हमें मालूम हो जाएगा कि यह क्रिया-विशेषण है या विशेषण। फिर भी साधारणत: क्रिया-विशेषण का संबंध क्रिया से है, यह क्रिया के साथ आता है और अपरिवर्तनशील होता है। दूसरी ओर विशेषण का संबंध संज्ञा या सर्वनाम से है, यह संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ आता है और परिवर्तनशील है।

विशेषण—

सलीम अच्छा लड़का है।

उषा अच्छी लड़की है।

क्रिया-विशेषण —

थॉमस धीरे पढ़ता है।

मीना धीरे पढ़ती है।

सतीश जोर-जोर से हँसता है।

सुनीता जोर-जोर से हँसती है।

ऊपर के प्रथम दो वाक्यों में 'अच्छा, अच्छी' विशेषण हैं। ये शब्द लड़का, लड़की की विशेषता बता रहे हैं और परिवर्तनशील हैं।

अंतिम चार वाक्यों में - धीरे, जोर-जोर से क्रिया-विशेषण हैं। ये शब्द क्रमश: पढ़ना और हँसना क्रियाओं की विशेषता बतला रहे हैं और अपरिवर्तनशील हैं। चाहे स्त्री या पुरुष, एक हो या अनेक क्रिया-विशेषण सदा एक समान अपरिवर्तनशील होते हैं। इसी प्रकार धीरे-धीरे, जल्दी, तेज, झट, पश्चात्, पीछे, आगे, बहुत आदि भी क्रिया-विशेषण हैं।

''जिस अव्यय शब्द से किसी क्रिया की विशेषता प्रकट हो, उसे क्रिया-विशेषण कहते हैं''।

2. **क्रिया-विशेषण के प्रकार—**

क्रिया-विशेषण अर्थ के अनुसार चार प्रकार हैं —

1. स्थानवाचक
2. कालवाचक
3. परिमाणवाचक
4. रीतिवाचक

स्थानवाचक क्रिया-विशेषण

1. रामू पीछे आ रहा है।
2. रिक्शा बाएँ मुड़ गया।
3. शीला, इधर-उधर मत दौड़ो।

ऊपर के वाक्यों में पीछे, बाएँ, इधर-उधर क्रिया-विशेषण, स्थान, स्थिति, दिशा आदि की सूचना दे रहे हैं। ये सब स्थानवाचक क्रिया-विशेषण हैं। इसी प्रकार आर-पार, ऊपर, नीचे, आगे आदि भी स्थानवाचक क्रिया-विशेषण हैं।

''जो शब्द किसी व्यापार के होने का स्थान निश्चित करें, उसे स्थानवाचक क्रिया-विशेषण कहते हैं।''

कालवाचक क्रिया-विशेषण

पिताजी कामाख्या मंदिर सबेरे जाएँगे।

हमें दिन भर मेहनत करनी चाहिए।

सुरेश ने मुझको बार-बार बुलाया।

ऊपर के वाक्यों में सबेरे, दिन-भर, बार-बार क्रिया-विशेषण समय और अवधि की ओर संकेत कर रहे हैं। इसलिए ये कालवाचक क्रिया-विशेषण हैं। इसी प्रकार आजकल, अब, फिर, कभी-कभी, प्रतिदिन, घड़ी-घड़ी आदि भी कालवाचक क्रिया-विशेषण हैं।

''जो शब्द किसी व्यापार के होने का समय प्रकट करता है, उसे कालवाचक क्रिया-विशेषण कहते हैं।''

परिमाणवाचक क्रिया-विशेषण

असम में चाय बहुत होती है।

यह काम लगभग पूरा हो गया है।

पंजाब में गेहूँ काफी होता है।

अमेरिका में सोना अधिक है।

मुहम्मद और थॉमस बारी-बारी से गा रहे हैं।

ऊपर के वाक्यों में बहुत, लगभग, अधिक, काफी, बारी-बारी से परिमाणवाचक क्रिया-विशेषण हैं। इनसे किसी क्रिया के कम-ज्यादा होने का परिमाण मालूम होता है। कोई क्रिया-व्यापार पर्याप्त, बराबर, कम या ज्यादा हो, उस समय क्रिया के साथ इस प्रकार के विशेषणों का व्यवहार होता है। इसी प्रकार खूब, थोड़ा, जरा, निरा, बस, यथेष्ट, इतना, कितना, बढ़ कर, क्रमशः, तिल-तिल आदि भी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं।

''जो शब्द क्रिया के परिमाण प्रकट करते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया-विशेषण कहते हैं।''

रीतिवाचक क्रिया-विशेषण

सतीश धुबड़ी से एकाएक आ गया।

हाथी धीरे-धीरे चल रहा है।

मैं कल आपके घर अवश्य आऊँगा।

तुम कल यहाँ मत आना।

ऊपर के वाक्यों में एकाएक, धीरे-धीरे, अवश्य, मत रीतिवाचक क्रिया-विशेषण हैं। इनसे क्रिया के होने की रीति, तरीका आदि का बोध होता है। इसी प्रकार क्रिया के संबंध में प्रकार, स्वीकार, निश्चय, अनिश्चय, कारण, निषेध आदि भावों का बोध कराने वाले शब्द भी रीतिवाचक क्रिया-विशेषण ही होते हैं। जैसे — स्वयं, मानो, प्रेमपूर्वक, जी, हाँ, ठीक, शायद, क्यों, ही, भी, तो, मात्र, भर, तक, न, नहीं, मत आदि।

''जो शब्द क्रिया के होने की रीति का बोध करता है, उसे रीतिवाचक क्रिया-विशेषण कहते हैं।''

टिप्पणी — वाक्य में क्रिया-विशेषण का प्रयोग प्रायः क्रिया के पूर्व ही होता है। इनका स्थान बदलने से प्रायः वाक्य के अर्थ में भी कुछ अंतर आ जाता है। जैसे —

राम आज शायद आ जाए।

शायद आज राम आ जाए।

आज शायद राम आ जाए।

अभ्यास

1. क्रिया-विशेषण किसे कहते हैं ?
2. क्रिया-विशेषण और विशेषण में क्या अंतर है ?
3. क्रिया-विशेषण कितने प्रकार के होते हैं ?
4. नीचे लिखे विशेषणों और क्रिया-विशेषणों को अलग-अलग करो —
   धीरे, मीठा, अब, जब, बुद्धिमान, सीधा, बस, दिनभर, लंबा, छोटा, बार-बार, आजकल, दो, तीन, चार, कभी-कभी, यहाँ, वहाँ, चालक, सुस्त, पीला।
5. नीचे लिखे क्रिया-विशेषणों को अलग-अलग वर्गों में रखो—
   जैसे - आजकल—कालवाचक क्रिया-विशेषण
   ऊपर—स्थानवाचक क्रिया-विशेषण
   कभी-कभी, अब, बस, दिनभर, नीचे, बाएँ, तुरंत, फिर, बहुत, लगभग, एकाएक, रोते हुए, लगातार, धीरे-धीरे, खूब, इतना, बढ़कर, शायद, नहीं, ही, अवश्य।
6. नीचे लिखे क्रिया-विशेषणों को वाक्यों में प्रयोग करो।
   धीरे-धीरे, कभी-कभी, दिनभर, इधर-उधर, अवश्य।

2. अविकारी शब्द—संबंधबोधक

संबंधबोधक का अर्थ है संबंध बताने वाला। वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ संबंधबोधक शब्द का व्यवहार होता है। ये शब्द अपरिवर्तनशील होते हैं और संज्ञा का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से निश्चित करते हैं।

हेमांगिनी के साथ रजनी भी सिनेमा देखने गई।

महेंद्र के पास दो पुस्तकें हैं।

माधव की अपेक्षा वासुदेव कम काम करता है।

अब्दुल के लिए एक कलम चाहिए।

ऊपर के वाक्यों में 'साथ' रजनी का संबंध 'सिनेमा देखने' क्रिया से जोड़ता है। इसी प्रकार संबंधबोधक शब्द व्युत्पत्ति और अर्थ के आधार पर अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे—

1. मूल संबंधबोधक — बिना, तक, भर आदि।
2. यौगिक संबंधबोधक — वास्ते, अपेक्षा, मारफत आदि।
3. स्थानवाचक संबंधबोधक — बाहर, भीतर, पास, निकट आदि।
4. कालवाचक संबंधबोधक — पूर्व, पश्चात्, बाद, पीछे आदि।
5. शादृश्यवाचक संबंधबोधक — भाँति, तरह, समान, जैसा आदि।
6. विपरीतवाचक संबंधबोधक —विरुद्ध, खिलाफ, विपरीत आदि।
7. तुलनावाचक संबंधबोधक — सामने, अपेक्षा, बनिस्बत आदि।

उपर्युक्त संबंधबोधक शब्दों के अतिरिक्त और भी अनेक शब्द हैं, जिनको हम अन्य वर्गों में रखकर वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे — आर-पार, बाबत, द्वारा, जरिए, साथ, रहित, सिवा, खातिर, कारण, भर, मात्र, पर्यंत आदि।

''जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उनका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करता है, उसे संबंधबोधक कहते हैं।''

3. अविकारी शब्द — समुच्चयबोधक

समुच्य का अर्थ है —'मिलाना'। समुच्चयबोधक शब्द वाक्य में दो शब्द या उपवाक्यों की मिलाने का काम करता है।

डिब्रुगढ़ और तेजपुर असम के सुंदर शहर है।

मैंने कल तुम्हारी प्रतीक्षा की, किंतु तुम नहीं आए।

गाय की रक्षा करना हमारा धर्म है, क्योंकि वह दुधारू पशु है।

ऊपर के वाक्यों में और, किंतु, क्योंकि समुच्चयबोधक शब्द है। 'और' डिब्रुगढ़ से तेजपुर को जोड़ रहा है, इसी प्रकार 'किंतु' और 'क्योंकि' भी दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं। अर्थ के आधार पर इनके अनेक भेद हो सकते हैं। जैसे—

1. संयोजक समुच्चयबोधक — तथा, एवं, और आदि।
2. विभाजक समुच्चयबोधक — अथवा, नहीं तो आदि।
3. विरोधक समुच्चयबोधक — लेकिन, मगर, किंतु आदि।
4. परिमाणवाचक समुच्चयबोधक — अतः, अतएव, इसलिए आदि।
5. उद्देश्यवाचक समुच्चयबोधक — जो, ताकि, कि आदि।
6. संकेतवाचक समुच्चयबोधक — यदि, तो, चाहे, जो-जो आदि।
7. स्वरूपवाचक समुच्चयबोधक — अर्थात्, मानो आदि।

इसी प्रकार अर्थ और प्रयोग के आधार पर समुच्चयबोधक शब्द के और विभाजन हो सकते हैं।

''जो शब्द दो वाक्यों, उपवाक्यों या शब्दों को मिलाते हैं उन्हें समुच्चयबोधक शब्द कहते हैं।''

4. अविकारी शब्द—विस्मयादिबोधक

विस्मय का अर्थ है आश्चर्य प्रकट करना। भाषा के माध्यम से हम दुःख, हर्ष आदि भावों को प्रकट करने के लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं। इन शब्दों का वाक्य के अंत के शब्दों से संबंध नहीं होता। ये वाक्य के आरंभ में आते हैं और एक विशेष भाव प्रकट करते हैं।

ओह! मैं परीक्षा में पास हो गया।

हाय! मेरा दोस्त मर गया।

अच्छा! तुम्हें इतना अभिमान हो गया।

शाबास! इस वर्ष तुमने इनाम जीत लिया।

ओह!, हाय!, अच्छा!, शाबास! — ये सब विस्मयाबोधक शब्द हैं, क्योंकि वाक्य में ये एक विशेष भाव को प्रकट कर रहे हैं। अर्थ के आधार पर ये अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे —

1. हर्षबोधक — वाह वाह, शाबास, अहा आदि।
2. शोकबोधक — हाय, आह, हा हा आदि।
3. आश्यर्यबोधक — है, क्या आदि।
4. तिरस्कारबोधक — छिः, हट, धिक् आदि।
5. संबोधनबोधक — अरे, ओ, अजी आदि।

इसी प्रकार प्रयोग और अर्थ के अनुसार और भी भेद हो सकते हैं।

''जिस शब्द का संबंध वाक्य के अन्य किसी शब्द से नहीं होता और जो केवल प्रसन्नता, भय, शोक, दुःख, आश्चर्य आदि भाव प्रकट करता है, उसे विस्मयादिबोधक शब्द कहते हैं।''

अभ्यास

1. 'अव्यय' किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं?
2. संबंधबोधक और समुच्चयबोधक शब्दों में क्या अंतर है?
3. नीचे लिखे प्रश्नों के 'हाँ' या 'नहीं' जोड़कर सही उत्तर दो -
   (अ) क्या विकारी और अविकारी शब्द एक समान होते हैं?
   (आ) क्या अविकारी शब्दों का ही दूसरा नाम अव्यय है?
   (इ) क्या विशेषण और संबंधबोधक शब्द समान अर्थ देते हैं?
   (ई) क्या समुच्चयबोधक और विस्मयादिबोधक शब्द वाक्य में एक जैसे अर्थ रखते हैं?
   (उ) क्या विस्मयादिबोधक शब्द वाक्य के मध्य में आता है?

4. नीचे लिखे वाक्यों को 'हाँ' या 'नहीं' लगाकर सही करो –

(अ) संज्ञा शब्द को अव्यय शब्द कहते हैं।

(आ) अविकारी शब्दों का ही दूसरा नाम अव्यय है।

(इ) संबंधबोधक शब्द शब्दों या वाक्यों का संबंध जोड़ता है।

(ई) विस्मयादिबोधक शब्द वाक्य के शब्दों को अलग करता है।

(उ) अव्यय शब्दों में क्रिया-विशेषण शब्द का विशेष महत्व है।

5. नीचे लिखे अव्यय (अविकारी) शब्दों का वर्गीकरण करो –

धीरे-धीरे, आगे, अपेक्षा, साथ, क्योंकि, और, लगभग, आजकल, पास, किंतु, हाय, अरे, अथवा, घड़ी-घड़ी।

समास

1. समास

समास का अर्थ है सम्मिलन, अर्थात् दो या उससे अधिक शब्दों का मिल कर एक होना। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक स्वतंत्र शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाना ही समास है। जिस प्रकार दो वर्णों के मेल से संधि बनती हैं, उसी प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से समास बनता है।

उदाहरण

संधि — विद्या + आलय = विद्यालय

आ + आ = आ

समास — राजा का कुमार = राजकुमार

राज + कुमार

इसी प्रकार — सीताराम अच्छा लड़का है।

राजकुमार शिकार खेलने गए हैं।

रसोईघर में मत आओ।

हमें माता-पिता का कहना मानना चहिए।

राम ने दशानन को मारा।

ऊपर के वाक्यों में —

सीताराम = सीता और राम

राजकुमार = राजा और कुमार

रसोईघर = रसोई का घर

माता-पिता = माता और पिता

दशानन = दस आनन (मुख) वाला

इन सामासिक शब्दों का विग्रह करने में अर्थ स्पष्ट हो जाता है। विग्रह का अर्थ है शब्दों को अलग-अलग करना। जब इनको जोड़कर लिखा जाता है तो संबंध बताने वाले विभक्ति चिह्न का लोप हो जाता है। जैसे कि ऊपर के शब्दों में – और का चिह्न लुप्त हो गया। इससे अर्थ में भी विशेषता आ जाती है और विस्तार से बच जाते हैं।

''दो शब्दों का परस्पर संबंध सूचित करने वाले शब्दों या प्रत्ययों का लोप हो जाने पर उन शब्दों के योग को समास कहते हैं।''

2. समास के भेद

पदों की प्रधानता के आधार पर हम समास के छह भेद कर सकते हैं।

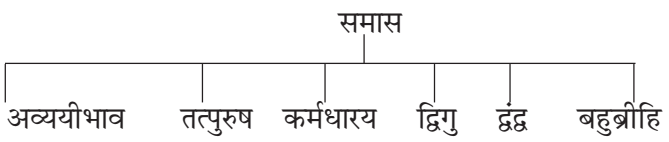

अव्ययीभाव—

प्रतिदिनि घर-घर भीख माँगना ठीक नहीं है।

राम और श्याम दिन भर पास-पास बैठे रहें।

प्रतिदिन, पास-पास, ये पद अव्यय हैं। इसी प्रकार यथाशक्ति, अनजाने, बेशक, हरघड़ी, हाथोंहाथ, तड़ातड़, भी अव्यय शब्द हैं। उपयुक्त सामासिक शब्दों में अव्यय शब्दों की प्रधानता है। ये कभी एक, कभी दो और कभी पुनरुक्ति के रूप में प्रयुक्त होते हैं।

''जब किसी सामासिक पद में पहला शब्द अव्यय हो तो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं।''

तत्पुरुष—

धनहीन का रसोईघर फूस का होता है।

उपमंत्री ठाकुरबाड़ी में गए।

मुझे यात्रीगाड़ी में एक नालायक आदमी मिला।

ऊपर के वाक्यों में धनहीन, रसोईघर, उपमंत्री, ठाकुरबाड़ी, यात्रीगाड़ी, नालायक सामासिक पद हैं। इन सामासिक शब्दों का प्रथम पद गौण है, जबकि अंतिम पद के अर्थ की प्रधानता है।

''जिस समास का अंतिम पद का अर्थ प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं।''

तत्पुरुष समास वाले शब्दों का विग्रह करते समय इनमें कर्ता और संबोधन कारक की विभक्तियों को छोड़कर अन्य सभी विभक्तियाँ लगती हैं। जैसे -

धनहीन = धन से हीन

ठाकुरबाड़ी = ठाकुर की बाड़ी आदि।

कर्मधारय—

हिमगिरि पर प्रात:काल अच्छा लगता है।

पीतांबर और नीलकमल सुंदर दिखाई देते हैं।

हिमगिरि, प्रात:काल, पीतांबर, नीलकमल इन सामासिक पदों में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा है। विशेषण + संज्ञा या विशेषण + विशेषण के मिलने से कर्मधारय समास बनता है। इसे समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं, क्योंकि शब्द के दोनों पदों के लिंग, वचन समान होते हैं।

''जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं।''

द्विगु—

पंचवटी सुंदर स्थान है।

मैंने दोपहर को एक रुपये का चॉकलेट खाया।

पंचवटी, दोपहर, एक रुपये - इन सामासिक पदों में से प्रत्येक का प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण है और दूसरा पद संज्ञा है। इसी प्रकार — चौपाया, त्रिभुवन, नवरत्न, तिमाही, चतुर्वर्ग, सतसई, त्रिलोक, चौमासा आदि भी द्विगु समास वाले शब्द हैं।

''जिस समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और दूसरा पद संज्ञा हो, उसे द्विगु समास कहते हैं।''

द्वंद्व—

जिस समास में सभी पदों का अर्थ प्रधान होता है। उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे—

तुम माता-पिता की आज्ञा मानो।

हमें देश की तन-मन-धन से सेवा करनी चाहिए।

असम में कंद-मूल-फल अधिक होते हैं।

आपका घर-द्वार कहाँ है?

ऊपर के वाक्यों में माता और पिता शब्द मिलाकर माता-पिता बन गया, परंतु इसमें माता तथा पिता दोनों शब्दों की प्रधानता है। इसी प्रकार कंद-मूल-फल, घर-द्वार भी द्वंद्व समास हैं।

'जिस समास में सभी पद प्रधान हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ''

बहुब्रीहि—

गिरिधारी ! सबकी रक्षा करते हैं।

दशानन महा विद्वान था।

ऊपर के वाक्यों में – गिरिधारी = पहाड़ को धारण करने वाला अर्थात् श्रीकृष्ण, दशानन = दश मुख वाला अर्थात् रावण ये सामासिक शब्द किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। ये बहुब्रीहि समास के शब्द हैं। ऐसे ही चंद्रमुखी, सपरिवार, अनाथ, निर्दय, विधवा, कुरूप आदि भी बहुब्रीहि समास हैं।

''जिस समास में कोई भी पद प्रधान न होकर दोनों पदों का संयुक्त रूप हो और पदों का अर्थ न होकर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु का अर्थ दें, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं।''

टिप्पणी — तत्पुरुष में कोई एक पद प्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों या सभी पद प्रधान होते हैं, परंतु बहुब्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होता और दोनों पदों का अर्थ न होकर कोई तीसरा ही अर्थ प्राप्त होता है।

अभ्यास

1. समास किसे कहते हैं ?
2. समास कितने प्रकार के होते हैं ? नाम बताओ।
3. समास और संधि में क्या अंतर हैं।
4. नीचे लिखे शब्दों का सविग्रह समास बताओ—
   प्रतिदिन, घर-घर, रसोईघर, पीतांबर, पंचवटी, माता-पिता, दशानन, लंबोदर।
5. नीचे लिखे वाक्यों के रिक्त स्थानों पर सही सामासिक शब्द भरो—

(अ) रावण को ..... भी कहते हैं।	पंचानन, षड़ानन, चतुरानन, दशानन
(आ) श्रीकृष्ण को .....भी कहते हैं।	हलधर,धनुर्धर,गदाधर, डंबरूधर, गिरिधर।
(इ) हमें स्नान ..... करना चाहिए।	प्रतिपल, दिनभर, धीरे-धीरे , प्रतिदिन।
(ई) रमेन ..... को हाजो जाएगा।	सुबह, प्रतिदिन, आगे-पिछे, दोपहर, शाम।

चतुर्थ अध्याय

पद-विवेचन

पद

लड़का—घर—पर

ऊपर तीनों इकाइयाँ पद नहीं कही जा सकतीं, क्योंकि वे एक वाक्य में नहीं हैं, किंतु —'लड़का घर पर है।' यह एक पूर्ण वाक्य है और इसकी प्रत्येक इकाई पद या रूप है।

''वाक्य में प्रयुक्त शब्द जो व्याकरणिक नियमों की सीमा में हों, उन्हें पद कहते हैं।''

पदांतर

पद में जब अंतर, परिवर्तन या विकार होते हैं, तब उसे पदांतर, रूपांतर या पद-विकार कहा जाता है। अर्थ प्रकट करने के लिए वाक्यों के पदों में परिवर्तन होता है। जैसे —

1. मोहिनी सुंदर लड़की है।
2. महेश बलवान लड़का है।

अब यदि इन दोनों वाक्यों को बहुवचन में बदलना चाहे तो इनके पदों में भी परिवर्तन करना होगा। जैसे—

चंपा और चमेली सुंदर लड़कियाँ हैं।

महेश और रहीम बलवान लड़के हैं।

इसी प्रकार 'लड़की है' और 'लड़कियाँ हैं' और 'लड़के हैं' में बदल गए। यदि हम इन दोनों वाक्यों को भूत काल में लिखना चाहें तो इनकी क्रियाओं का रूप बदल जाएगा। जैसे —

लड़कियाँ हैं = लड़कियाँ थीं। लड़के हैं = लड़के थे।

''भिन्न अर्थ प्रकट करने के लिए वाक्य में प्रयुक्त जिस पद में विकार होता है, उसे पदांतर या रूपांतर कहते हैं।''

पदांतर (रूपांतर) के आधार

भाषा में वाक्य सबसे बड़ी इकाई है। वाक्य में अनेक प्रकार के पद होते हैं। इन पदों में संज्ञा या सर्वनाम में परिवर्तन अधिक होता है। यदि संज्ञा या सर्वनाम परिवर्तन होते हैं तो उससे संबंधित सभी पदों में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे—

एकवचन - वह जा रहा है।

बहुवचन - वे जा रहे हैं।

इसी प्रकार वचन के प्रभाव से सर्वनाम 'वह' का परिवर्तित रूप हुआ 'वे'। और 'वे' के अनुसार 'रहे' और 'हैं' हो गया। अत: वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के परिवर्तन होने पर उनसे संबंधित अन्य पदों में भी परिवर्तन होता है। विशेषण-क्रिया संज्ञा के अनुसार ही होते हैं, शब्दों में ये परिवर्तन करने वाले तत्व हैं- लिंग, वचन और कारक।

(अ) लिंग

लड़का स्कूल जाता है।

लड़की मंदिर जाती है।

ऊपर के वाक्यों में 'लड़का' पुरुष जाति सूचक है और 'लड़की' स्त्री जाति सूचक है। स्त्री और पुरुष जाति की सूचना देने वाले तत्व को व्याकरण में लिंग कहा जाता है। लिंग के आधार पर लड़का पुंलिंग है और लड़की स्त्रीलिंग है। इसी लिंग के आधार पर विशेषण और क्रिया में भी परिवर्तन होता है। जैसे—

वह मोटी लड़की लिख रही है।

यह मोटा लड़का लिख रहा है।

इसी प्रकार अच्छा-अच्छी, लंबा-लंबी, खाता है-खाती है, पढ़ता है-पढ़ती है आदि शब्द भी लिंग के कारण ही परिवर्तित हुए हैं।

'व्याकरण के जिस तत्व से संज्ञा के पुरुष अथवा स्त्री होने का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं।'

(आ) वचन

वह लड़का अच्छा गाता है।

वे लड़के अच्छा गाते हैं।

ऊपर के वाक्यों में 'वह लड़का' एक संख्या का सूचक है और 'वे लड़के' एक से अधिक संख्या के सूचक हैं। संख्या की सूचना देने वाले तत्व को व्याकरण में 'वचन' कहते हैं। यदि केवल एक से अधिक संख्या की सूचना मिले तो उसे 'बहुवचन' कहते हैं। वचन से संज्ञा में परिवर्तन होता है। जब संज्ञा में परिवर्तन होता है तो विशेषण और क्रिया में भी परिवर्तन होता है। जैसे कि ऊपर के वाक्यों में 'लड़का' एकवचन और 'लड़के' बहुवचन हुआ। 'लड़के' से संबंधित सभी शब्दों में परिवर्तन हुआ है।

इसी प्रकार आँख-आँखें, पुस्तक-पुस्तकें, साड़ी-साड़ियाँ, कुर्सी-कुर्सियाँ, अच्छा-अच्छे, मीठा-मीठे, छोटा-छोटे, जाता है-जाते हैं, खाता है-खाते हैं, पढ़ता है-पढ़ते हैं, आदि भी वचन के द्वारा परिवर्तित रूप हैं।

''जैसे रूप से वाक्य में एक या एक से अधिक व्यक्ति-वस्तु का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं।''

(इ) कारक

शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया।

शंकरदेव ने वैष्णव धर्म को असम में फैलाया।

ऊपर के वाक्यों में 'ने', 'को', 'में' प्रयुक्त संज्ञाओं का संबंध सूचित करते हैं। इन्हें व्याकरण में 'कारक चिह्न' या 'विभक्ति' कहते हैं। कारक हमेशा संज्ञा या सर्वनाम में ही होता है। अत: इन संज्ञाओं का आपसी संबंध बताने का कार्य ये 'कारक के चिह्न' ही करते हैं। यदि ये वाक्य में प्रयुक्त न किए जाए तो हमें वाक्य का पूर्ण अर्थ प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे—

उमेश रमेश मारा।

तुम मुझे घर मिलो।

कारक चिह्न न होने से ऊपर के वाक्यों का सही अर्थ प्राप्त नहीं हो रहा है। अत: कारक-चिह्न (विभक्ति) वाक्य को सार्थक, सजीव और बोधगम्य बनाता है। जैसे—

उमेश ने रमेश को मारा।

तुम मुझसे घर पर मिलो।

कारक संज्ञा या सर्वनाम को परिवर्तित करते हैं। जैसे—

तुम्हारा लड़का भात खाता है।

तुम्हारे लड़के ने भात खाया।

ऊपर के दूसरे वाक्य में कर्ता का 'ने' चिह्न लगाने से तुम्हारा से तुम्हारे, लड़का से लड़के हुआ।

इसी प्रकार कारक लगाने से सर्वनाम

मैं = मैंने, मुझसे, मेरे।

तुम = तुमने, तुम्हें, तुम्हारे।

वह = उसने, उसे, उसके लिए आदि हुए।

''संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप द्वारा उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं।''

अभ्यास

1. पद किसे कहते हैं ?
2. पदांतर किसे कहते हैं ?
3. लिंग किसे कहते हैं ?
4. लिंग और वचन में क्या अंतर है ?
5. कारक किसे कहते हैं ?
6. रिक्त स्थानों पर सही शब्द रखो –

(अ) ..... गाना गाती है। (राम, लड़का, मीनू)

(आ) ..... भात खाता है। (मीनू, लड़की, मोहन)

(इ) ..... दौड़ता है। (हम, वे, लड़कियाँ, लड़के, लड़का)

(ई) ..... खेलते हैं। (मैं, तू, राम, शीला, लड़के)

(उ) हमारे स्कूल ..... चोरी हो गई। (ने, को, में)

(ऊ) उस ..... मुझे पत्थर मारा। (को, में, पर, ने)

लिंग

संसार के सभी प्राणियों में दो वर्ग होते हैं। नरवर्ग को पुरुष कहते हैं और नारीवर्ग को स्त्री कहते हैं। इसी पुरुष और स्त्री के आधार पर हिंदी भाषा में दो लिंग निश्चित किए गए हैं।

1. पुरुषवर्ग–पुंलिंग–आदमी, घोड़ा आदि।
2. स्त्रीवर्ग–स्त्रीलिंग–औरत, घोड़ी आदि।

निर्जीव वस्तुएँ कुछ पुंलिंग और कुछ स्त्रीलिंग होती हैं।

पुंलिंग —

पलंग, ग्रंथ, वृक्ष, तालाब, चाकू, चमचा आदि।

स्त्रीलिंग —

खाट, पुस्तक, पौध, तलैया, छूरी, चम्मच आदि।

जैसे — राम बुद्धिमान लड़का है।
मुमताज बुद्धिमती लड़की है।
गाय दौड़ रही है।
बैल दौड़ रहा है।
पलंग बड़ा है।
चारपाई छोटी है।

ऊपर के वाक्यों में राम, लड़का, बैल, पलंग पुंलिंग और मुमताज, लड़की, गाय, खाट स्त्रीलिंग हैं।

''जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुंलिंग और स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं।''

लिंग निर्णय

हिंदी भाषा में प्राणी-वर्ग के शब्दों का लिंग-निर्णय करना कठिन नहीं है, क्योंकि हम उन्हें सरलता से पुरुषवर्ग और नारीवर्ग में विभाजित कर पुंलिंग-स्त्रीलिंग कर लेते हैं, परंतु अप्राणी वर्ग की वस्तुओं का लिंग निर्णय उनके आकार, प्रकार, गुण आदि के आधार पर किए जाते हैं। यानी हम अप्राणीवाचक शब्दों का वर्गीकरण कर दें तो उनका लिंग आसानी से मालूम कर सकते हैं।

कुछ प्राणीवाचक संदेहमूलक शब्दों का लिंग निर्णय—

1. पुंलिंग — कुछ शब्दों से पुरुष और स्त्री दोनों का बोध होता है फिर भी इसका प्रयोग हमेशा पुंलिंग में ही होता है।

जैसे — उल्लू, काग, केंचुआ, खटमल, चीता, झींगा, पक्षी, भेड़िया आदि।

समुदायवाचक — कुटुम्ब, दल, मण्डल, मछली, समूह, संघ आदि।

2. स्त्रीलिंग — कुछ शब्दों से स्त्री-पुरुष दोनों का बोध होता है, किंतु हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होता है।

जैसे — कोयल, गिलहारी, चिड़िया, चील, जूँ, जोंक, तितली, दीमक, मक्खी, मछली, मैना, संतान, सवारी आदि।

समुदायवाचक — टोली, प्रजा, फौज, सेना, भीड़, सभा, पुलिस, सरकार आदि।

अप्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्णय —

पुंलिंग

दूसरे पृष्ठ पर प्राणीवाचक शब्द पुंलिंग हैं, किंतु उनके नीचे दिए हुए अपवाद स्त्रीलिंग के बोधक हैं।

1. ग्रहों के नाम — सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, वरुण, राहु आदि।
   अपवाद — पृथ्वी।
2. भौगोलिक नाम — देश, नगर, पर्वत, समुद्र, द्वीप, मैदान, प्रकाश वायुमण्डल आदि।
   अपवाद — नदी, झील, घाटी, चोटी, जलवायु आदि।
3. देशों, पर्वतों और समुद्रों के नाम — पुंलिंग होते हैं।
4. समय-विभागों के नाम — वर्ष, माह, सप्ताह, दिन, घंटा, मिनट, सेकेंड आदि।
   अपवाद — दोपहर, साँझ, रात, घड़ी, बेला आदि।
5. धातुओं के नाम - सोना, लोहा, पीतल, ताँबा, काँसा आदि।
   अपवाद — चाँदी, मिट्टी, धातु आदि।
6. अनाजों के नाम — चावल, चना, मटर, बाजरा, तिल आदि।
   अपवाद — दाल, मूँग, मसूर, मकई आदि।
7. रत्नों के नाम — मूँगा, मोती, हीरा, पत्रा, लाल आदि।
   अपवाद — मणि।
8. वृक्षों के नाम — आम, अमरूद, कटहल, नींबू, पीपल, बरगद, सागौन आदि।
   अपवाद — इमली, जामुन, नारंगी आदि।
9. द्रव्य पदार्थों के नाम — दूध, दही, मट्ठा, पानी, तेल, रस आदि।
   अपवाद — कॉफी, चाय, छाछ, शराब, स्याही, स्पिरिट आदि।
10. शारीरिक अवयवों के नाम — बाल, सिर, मुँह, कान, ओठ, नख, पेट, तालू, हाथ आदि।
    अपवाद — आँख, नाक, जीभ, दाढ़ी, मूँछ, कलाई, कमर, छाती, भूजा, नस, हड्डी, रीढ़, पलक आदि।
11. हिंदी वर्णमाला के सभी अक्षर — अ से ह तक ।

स्त्रीलिंग

निम्नलिखित अप्राणीवाचक शब्द स्त्रीलिंग हैं, किंतु उनके नीचे दिए हुए अपवाद पुंलिंग हैं।

1. नक्षत्रों और तिथियों के नाम — अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, एकम् (प्रतिपदा) तिथि से पूर्णिमा तक।
   अपवाद — पुष्प, पुनर्वसु, हस्त आदि।

2. नदियों के नाम — गंगा, यमुना, नर्मदा, काबेरी, झेलम, महानदी, गंडक, कोसी आदि।
   अपवाद — सिंधु, सोन, ब्रह्मपुत्र।
3. मिर्च मसालों के नाम — इलायची, लौंग, चिरौंजी, दालचीनी, धनिया, मिर्च, सुपारी, हल्दी, हींग आदि।
   अपवाद — कपूर, नमक, जीरा, तेजपात आदि।
4. भोजन के व्यंजनों के नाम — पूरी, कचौरी, रोटी, जलेबी, खीर, दाल, सब्जी, पकौड़ी, मिठाई, बर्फी, खिचड़ी, चटनी आदि।
   अपवाद — भात, दही, पराठा, हलुआ, लड्डू, पेड़ा, रसगुल्ला, रायता आदि।

अनुकरणवाचक शब्द

बक-बक, झक-झक, भट-भट, गड़बड़, खटपट आदि।

1. संस्कृत और अंग्रेजी के स्त्रीलिंग शब्द हिंदी में भी स्त्रीलिंग माने जाते हैं।

संस्कृत की वे संज्ञाएँ, जिनके अंत में आ, इ, ई, उ स्वर लगा हुआ रहता है, प्राय: स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे —

आ —कृपा, क्षमा, आत्मा, महिमा आदि	अपवाद
इ — छवि, रात्रि, जाति, गति, योनि आदि	गिरि, जलधि, प्राणी आदि
ई— नदी, पृथ्वी, शताब्दी, वेणी आदि	घी, दही, पानी, मोटी आदि
उ — आयु, ऋतु, धातु, धेनु, वस्तु, वायु आदि	अश्रु, चक्षु, तालु, मधु आदि
ऊ — भू, भ्रू, दारू, झाड़ू, लू आदि	डमरू, भालू आदि

2. हिंदी की उनवाचक संज्ञाएँ —
   खटिया , डिबिया, पुड़िया, लड़िया आदि।
   अपवाद —जाँघिया।
3. हिंदी की वे भाववाचक संज्ञाएँ, जिनके अंत में — आई, ता, आहट, आवट हो।
   आ —लंबाई, चौड़ाई, गुड़ाई, निराई, चटाई, मुटाई आदि।
   ता — कोमलता, नम्रता, सुंदरता, नीचता, मलिनता, आदि।
   आहट — आहट, चिकनाहट, घबराहट, चिल्लाहट आदि।
   आवट — बनावट, बुनावट, सजावट, मिलावट, गिरावट आदि।
4. वे संज्ञाएँ, जिनके अंत में ख, ट, ता, ना, स, स, ह लगा हो।
   खा — चीख, भूख, भीख, राख, आँख, देख, रेख, ईख आदि।
   ट — झँझट, बाट, खाट, घाट, चरट, चोट, मोट आदि।
   त — छत, भीत, रात, मीत, जीत, शीत, रीत आदि।
   अपवाद — खेत, गीत, भात आदि।
   ना — प्रार्थना, प्रस्तावना, वेदना आदि।
   स — साँस, मिठास, बाँस, घास, आस, धूम, टीस आदि।
   अपवाद — रस, माँस।
   श — कोशिश, मालिश, तलाश, लाश, ताश आदि।
   अपवाद — जोश, होश आदि।
   ह — निगाह, सुबह, सलाह, राह, आह, चाह आदि।
   अपवाद — माह, मुँह आदि।

5. यदि अंग्रेजी या अन्य विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्दों के अंत में उपयुक्त वर्ण हो तो उनका लिंग निर्णय भी ऊपर दिए अनुसार होगा। जैसे —

आकारांत अंग्रेजी शब्द पुंलिंग होंगे —

अलजबरा, कामा, केमरा, सोडा आदि।

ईकारांत अंग्रेजी शब्द स्त्रीलिंग होंगे —

कंपनी, कमेटी, चिमनी, डिक्शनरी, पार्टी, हिस्ट्री आदि।

पुंलिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम

पुंलिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम ये हैं —

पुंलिंग शब्दों में प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बनाना —

1. अकारांत संज्ञा और विशेषण के अंत में 'अ' को 'आ' में बदल कर पुंलिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है।

पुं.	**स्त्री.**	**पुं.**	**स्त्री.**
बाल	बाल+आ–बाला		
प्रथम	प्रथमा	महोदय	महोदया
तनय	तनया	चंद्र	चंद्रा
प्रिय	प्रिया		
सुत	सुता		

2. अकारांत शब्द के 'अक' को 'इक' में बदल फिर उनमें 'आ' जोड़ कर —

पुं.	**स्त्री.**	**पुं.**	**स्त्री.**
उपदेश	उपदेशिका		
(उपदेश+अक)	(उपदेश+इक+आ)		
गायक	गायिका	अध्यापक	अध्यापिका
नायक	नायिका	बालक	बालिका

3. अकारांत संज्ञा को इकारांत कर —

पुं.	**स्त्री.**	**पुं.**	**स्त्री.**
कुमार	कुमारी	किशोर	किशोरी
दास	दासी	पुत्र	पुत्री
देव	देवी	तरुण	तरुणी

4. ईकारांत संज्ञाओं के अंत में 'नी' या 'णी' जोड़कर —
(पूर्व, दीर्घ, 'ई' ह्रस्व 'इ' हो जाता है।)

पुं.	**स्त्री.**
अधिकारी	अधिकारी + नी = अधिकारिणी
अनुगामी	अनुगामिनी
तपस्वी	तपस्विनी
हितकारी	हितकारिणी आदि।

5. जिन संज्ञाओं के अंत में 'वान' या 'मान' प्रत्यय लगे हों उन्हें 'वती' या 'मती' में बदल कर —

पुं.	**स्त्री.**
पुत्रवान	पुत्र + वती = पुत्रवती
भाग्यवान	भाग्यवती
श्रीमान	श्रीमती आदि

6. कुछ पुं. संज्ञाओं के अंत में - अन, आनी, आइन, इन प्रत्ययों को जोड़कर भी स्त्रीलिंग बनाते हैं —

पुं.	**स्त्री.**
कुम्हार + अन	कुम्हारिन (कुम्हार)
लुहार + अन	लुहारिन (लुहारन)
धोबी + अन	धोबन (धोबिन)
भव + आनी	भवानी
वर्मा + आनी	वर्मानी
मास्टर + आइन	मास्टराइन
डॉक्टर + आइन	डॉक्टराइन
नाई + आइन	नाईन

अपवाद -

पति	पत्नी
विद्वान	विदुषी
युवा	युवती

वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग-निर्णय

1. जब विभक्ति रहित कर्ता होगा तब क्रिया के लिंग भी कर्ता का ही लिंग होगा। जैसे —

बादल गरजता है।
पानी बरसता है।
दही खट्टा है।
बकरी भूखी है।
दाढ़ी लंबी है।
धोती मोटी है। आदि

2. जब 'ने' विभक्ति सहित कर्ता और विभक्ति रहित कर्म हो, क्रिया का लिंग कर्म के अनुसार होगा। जैसे—

नौकर ने भात खाया।	सीता ने भात खाया।
महेंद्र ने रोटी खाई।	बिल्ली ने पीठा खाया।

संबंधवाचक प्रत्यय— का, के, की के अनुसार हम, तू, तुम के साथ रा, रे, री में ना, ने, नी 'आप' के साथ होता है। जैसे —
सलीम का घर पहाड़ पर है।
मेरी पुस्तकें शीला की आलमारी में हैं।
मैं अपनी घड़ी लाया हूँ।
आप अपना मकान मुझे दे दीजिए।

ऊपर के वाक्यों में सलीम का घर 'का' प्रत्यय लगने से घर पुंलिंग मेरी पुस्तक 'री' प्रत्यय लगने से पुस्तक स्त्रीलिंग, अपनी घड़ी 'नी' प्रत्यय लगने से घड़ी स्त्रीलिंग, अपना मकान 'ना' प्रत्यय लगने से मकान पुंलिंग हुआ। इसी प्रकार — सीता का मेखला, रूपाली का चश्मा, बहनजी का नौकर, हमारा देश, तुम्हारा फूल, अपना बगीचा, अपना फर्नीचार में का-रा-ना संबंधवाचक प्रत्यय लगने से क्रमशः मेखला, चश्मा, नौकर, देश, फूल, बगीचा, फर्नीचर पुंलिंग हुए और रमेश की घड़ी, रीता की साड़ी, हमारी संस्कृति, अपनी चाय में की-री-नी संबंध प्रत्यय लगने से क्रमशः घड़ी, साड़ी, संस्कृति, चाय शब्द स्त्रीलिंग हुए।

जब आकारांत विशेषण का विकृत रूप संज्ञा के साथ प्रयुक्त हुआ हो तो उस विकृत विशेषण के अनुसार ही संज्ञा का लिंग होता है। जैसे —

अच्छी बात करो।
उजली चादर बिछाओ।
लंबा कोट पहनो।
बड़ा छाता खरीदो।
ठंडा शरबत लाओ।

ऊपर के वाक्यों से अच्छी, उजली, विशेषणों का लिंग स्त्रीलिंग है। इसलिए बात और चादर संज्ञाएँ भी स्त्रीलिंग हैं। लंबा, बड़ा, ठंडा विशेषणों का लिंग पुंलिंग है। इसलिए कोट, छाता, शरबत, संज्ञाएँ भी पुंलिंग हैं।

टिप्पणी — अकारांत का अर्थ है शब्द केअंत में 'अ' होना। इसी प्रकार अकारांत, सकारांत, ईकारांत, खकारांत, नकारांत आदि का अर्थ है —क्रमश: आ, स, ई, ख, न वर्ग का शब्द के अंत में होना।

अभ्यास

1. रिक्त स्थानों पर सही शब्द भरो —
   (अ) हिंदी भाषा के ..... लिंग हैं। (चार, तीन, पाँच, एक, दो)
   (आ) हिंदी भाषा अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग ज्ञान करना ..... है। (सरल, सहज, आसान, कठिन)
   (इ) हिंदी व्याकरण में अप्राणीवाचक छोटी, कोमल और पतली वस्तुओं को ..... माना जाता है। (स्त्रीलिंग, पुंलिंग)
   (ई) हिंदी व्याकरण में अप्राणीवाचक बड़ी कठोर और मोटी वस्तुओं को ..... माना जाता है। (स्त्रीलिंग, पुंलिंग)
   (उ) हिंदी में पुरुषवर्ग शब्दों को ..... और स्त्री वर्ग के शब्दों को ..... कहते हैं। (स्त्रीलिंग, पुंलिंग)
2. नीचे लिखे पुंलिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलो—
   नर, घोड़ा, पहाड़, धोबी, बरुवा, मास्टर, महोदय, श्रीमान्, भगवान, उपदेशक, बालक, अनुगामी, दास, तरुण।
3. नीचे लिखे स्त्रीलिंग शब्दों को पुंलिंग में बदलो —
   नायिका, अध्यापिका, पुत्री, तपस्विनी, पुत्रवती, देवी, सुता, कुम्हारिन, धोबिन।
4. नीचे लिखे वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञाओं के लिंग बताओ —
   बैंगन सड़ा हुआ है।
   चाय बन रही है।
   महेश ने दाल बनाई।
   मीनू का घर इधर है।
   मीठा रस पीओ।

वचन-प्रयोग

जैसा कि पहले हम जान चुके हैं कि विकारी शब्द का वह रूप, जिससे उसकी संख्या का बोध होता है, वचन कहलाता है। हिंदी में केवल दो ही वचन होते हैं, जिससे एक वस्तु का बोध होता है, वह एकवचन और एक से अधिक वस्तु के बोध कराने वाली संज्ञा बहुवचन होती है।

लड़का खेलता है। एकवचन
लड़के खेलते हैं। बहुवचन

(अ) वचन प्रयोग संबंधी कुछ विशेष बातें—

1. आदर सूचित करने के लिए एकवचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है और इसका प्रभाव सीधे विशेषण और क्रिया

पर पड़ता है। जैसे —

रमेश अच्छा लड़का है।

रमेश जी अच्छे लड़के हैं।

गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं।

पिता जी आ रहे हैं।

गुरु जी अच्छे आदमी हैं।

2. हिंदी की कुछ संज्ञाएँ बहुवचन में ही प्रयुक्त होती हैं। जैसे —

मुझे पिताजी के दर्शन हुए।

मेरे तो प्राण सूख गए।

आपके क्या समाचार हैं ?

3. किसी-किसी शब्द का रूप एकवचन और बहुवचन में समान रहता है। ऐसे शब्द का रूप बहुवचन सूचित करने के लिए उसके साथ सब, गण, वृंद, लोग इत्यादि समूहवाचक शब्द लगा देते हैं। जैसे—

सभी विद्यार्थी आपसे मिलने आए हैं।

सदस्यगण चले गए।

छात्रवृंद खेल रहे हैं।

आपलोग यहाँ बैठे।

4. जातिवाचक संज्ञा की अधिकता सूचित करने के लिए बहुधा उसका प्रयोग एकवचन में होता है। जैसे—

सियार चालाक होता है।

इस वर्ष आम खूब फला है।

आदमी विचारशील प्राणी होता है।

मोहम्मद को इनाम में बहुत रुपया मिला।

5. ईकारांत संज्ञा को जब विभक्ति सहित बहुवचन वाली संज्ञा में बदलता हो तब अंत का 'ई' ह्रस्व 'इ' हो जाता है और इसमें 'यों' प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे —

भाई	=	भाई+यों — भाइयों को
माली	=	मालियों को
सखी	=	सखियों को
आदमी	=	आदमियों से
लड़की	=	लड़कियों को

6. इतिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक संज्ञाएँ सामान्यत: एकवचन में प्रयुक्त होती हैं, किंतु जब ये बहुवचन में प्रयुक्त होती हैं, तब जातिवाचक हो जाती हैं और प्राय: संख्या या प्रकार का बोध होता है। जैसे—

पुरियों में सात प्रसिद्ध हैं। (व्यक्तिवाचक)

सब तेलों में ब्राह्मी श्रेष्ठ है। (द्रव्यवाचक)

मेलों में सर्वश्रेष्ठ कुंभ का मेला है। (समुदायवाचक)

खटाइयों में इमली की खटाई का क्या मुकाबला ? (भाववाचक)

एकवचन से बहुवचन बनाने के नियम —

1. अकारांत पुंलिंग को छोड़कर बाकी सभी पुंलिंग संज्ञाओं के रूप विभक्ति रहित कर्ता कारक के एकवचन और बहुवचन में समान रहते हैं। जैसे—

एकवचन	बहुवचन
भाई आया है।	भाई आए।
मित्र गया।	मित्र गए।
शिकारी दौड़ा।	शिकारी दौड़े।
साधु पहुँचा।	साधु पहुँचे।

2. आकारांत पुंलिंग शब्द के अंतिम 'आ' को विभक्ति रहित कर्ता कारक के बहुवचन में 'ए' कर देते हैं। जैसे —

बच्चा	बच्चे
रास्ता	रास्ते आदि।

अपवाद – काका, चाचा, मामा, राजा।

टिप्पणी— उपर्युक्त बहुवचन में विभक्ति लगा देने से एकवचन हो जाएगा। जैसे— बच्चे ने।

3. आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा कर्ता कारक के रूप में हो तो उसके अंतिम 'अ' के स्थान पर बहुवचन में 'एँ' हो जाता है। जैसे—

एकवचन		**बहुवचन**
आँख	=	आँख + एँ = आँखें
गाय	=	गायें
बात	=	बातें
याद	=	यादें
पुस्तक	=	पुस्तकें

4. आकारांत, उकारांत औकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में 'एँ' जोड़कर विभक्ति रहित कर्ता का बहुवचन रूप बन जाता है। जैसे —

एकवचन		**बहुवचन**
माता + एँ	=	माताएँ
लता	=	लताएँ
वस्तु	=	वस्तुएँ
गौ	=	गौएँ

5. इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा को विभक्ति रहित कर्ता के रूप में बहुवचन बनाने के लिए अंत में 'याँ' जोड़ना चाहिए। जैसे —

एकवचन	**बहुवचन**
तिथि	= तिथियाँ
नीति	= नीतियाँ
जाति	= जातियाँ

6. ईकारांत संज्ञा को भी ऊपर के नं. 5 के अनुसार बहुवचन बनाया जाता है।

एकवचन		**बहुवचन**
लड़की	=	लड़की +याँ – लड़कियाँ
साड़ी	=	साड़ी + याँ – साड़ियाँ

(ख) विभक्ति सहित संज्ञाओ का बहुवचन बनाना —

1. विभक्ति लगने से बहुवचन वाली संज्ञाएँ निम्नप्रकार बनाई जाती हैं —

(अ) अकारांत संज्ञा के 'अ' को 'ओं' में बदल कर —

एकवचन	**बहुवचन**
बालक ने	बालकों ने
बात में	बातों में

(आ) आकारंत संज्ञाओं के 'आ' को 'ओं' में बदल कर —

घोड़े को	घोड़ों को
झगड़े	झगड़ों में

(इ) आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में 'ओं' जोड़ कर —

माता ने	माताओं ने
कन्या ने	कन्याओं ने
विधवा ने	विधवाओं ने
अध्यापिका ने	अध्यापिकाओं ने

(ई) उकारांत, एकारांत, औकारांत संज्ञाओं के अंत में 'ओं' जोड़कर—

एकवचन	**बहुवचन**
साधु ने	साधुओं ने
वस्तु को	वस्तुओं को
दूबे ने	दूबेओं ने
गौ को	गौओं को

(उ) ऊकारांत संज्ञाओं के 'ऊ' को 'उ' में बदल कर 'ओं' जोड़ने से —

आलू का	आलुओं का
चाकू से	चाकुओं से
बहू ने	बहुओं ने

(ऊ) ओकारांत संज्ञा से 'ओं' को जोड़ कर —

रासो की	रासोओं की

(अ) विभक्तियुक्त याकारांत संज्ञाओं में 'या' को 'यों' बदल कर—

एकवचन	**बहुवचन**
पहिया से	पहियों से
बिटिया ने	बिटियों ने
खटिया पर	खटियों पर

(आ) इकारांत संज्ञाओं में 'यों' जोड़कर —

पति को	पतियों को
जाति को	जातियों को
रीति को	रीतियों को

(इ) ईकारांत संज्ञाओं की 'ई' को 'इ' में बदल कर 'यों' जोड़ कर—

माली ने	मालियों ने
लड़की को	लड़कियों को

अभ्यास

1. वचन कितने प्रकार के होते हैं ?
2. रिक्त स्थानों पर सही शब्द लिखो—
   (अ) विभक्ति वाली बहुवचन संज्ञाएँ ..... होते हैं। (अकारांत, आकारांत, योकारांत, योंकारांत)
   (आ) ईकारांत संज्ञा के विभक्ति वाले बहुवचन रूप ..... होता है। (आकारांत, योंकारांत)
   (इ) इकारांत संज्ञा के अंत में ..... जोड़ने से बहुवचन रूप होता है। (ए, ई, याँ)
3. नीचे दी हुई एकवचन वाली संज्ञाओं को विभक्ति रहित बहुवचन वाली संज्ञा में बदलो —
   वस्तु, बह, बात, रात, बच्चा, लड़का, लड़की, साड़ी, तिथि, आली, बूढ़ी, पुस्तक, मेखला, चादर।
4. नीचे दी हुई एकवचन वाली संज्ञाओं को विभक्ति सहित बहुवचन वाली संज्ञा में बदलो—
   पति की, लड़की ने, घोड़ी पर, माली ने, नदी को, बालक को, साधु से, आलू की, वस्तु में, गधे को, बैल पर, बकरी से, पहाड़ी पर, नामघर में, बाँस से, भालू को।

➢≺

कारक-प्रयोग

कारक-विभक्तियों के विविध प्रयोग

'ने' विभक्ति (कर्त्ता कारक) का प्रयोग

'ने' कर्ता कारक की विभक्ति है। इसका प्रयोग कुछ परिस्थितियों में ही होता है।

1. भूत कालिक, (सामान्य, आसन्न, पूर्ण और संदिग्ध भूत में) सकर्मक क्रियाओं के कर्ता के साथ 'ने' का प्रयोग होता है।

2. नहाना, छींकना, खाँवन, थूकना आदि अकर्मक क्रियाओं के भूत काल के रूपों के साथ (सामान्य, आसन्न, पूर्ण और संदिग्ध रूपों के साथ) 'ने' प्रयोग होता है।

मैंने नहाया।

शीला ने अभी नहाया।

तुमने आज नहीं नहाया।

बूढ़े ने खाँसा।

3. सजातीय क्रिया के भूत काल में भी 'ने' का प्रयोग हो सकता है। जैसे—वीर बरफुकन ने कई लड़ाइयाँ लड़ीं। अब उसने नई चाल चली।

4. उन संयुक्त क्रियाओं के कर्ता में 'ने' का प्रयोग होता है, जिनकी अंतिम क्रिया सकर्मक हो। जैसे—

उसने मुझे बोलने दिया।

तुमने क्या कहना चाहा ?

तुमने अब बहुत सो लिया।

'ने' का प्रयोग नहीं होता

1. कर्ता को छोड़कर अन्य किसी कारक या शब्द के साथ 'ने' का प्रयोग नहीं होता है। जैसे —

मीरा ने मुझे लड्डू दिए।

2. वर्तमान और भविष्यत् काल में 'ने' का प्रयोग नहीं होता।

3. नहाना, छींकना, खाँसना, थूकना आदि को छोड़कर अकर्मक क्रियाओं के कर्ता कारक में ने विभक्ति नहीं लगती, चाहे ये किसी काल में हों।

जैसे — मैं हँसा, सीता कूदी, सतीश भागा, मैं गया।

4. बोला, भूलना, लाना, सकना आदि सकर्मक क्रियाओं के कर्ता में 'ने' का प्रयोग नहीं होता।

हाजरिका बोला इधर आओ।
कंदली बिलकुल झूठ बोला।
बरुवाजी हमें क्यों भूले हैं?
सुनो बच्चो! शइकीया मिठाई लाया।
मैं बायन के घर नहीं जा सका।

5. यदि संयुक्त क्रिया का उत्तरार्द्ध अकर्मक हो तो कर्ता कारक के साथ 'ने' नहीं लगता। जैसे —

हम पढ़ चुके।
तुम नहा चुके।
वे जा चुके।

'को' विभक्ति— (कर्म कारक) का प्रयोग

'को' विभक्ति कर्म कारक की विभक्ति है, परंतु प्रयोग के आधार पर यह अन्य कारक के साथ भी जा सकती है।

'को' विभक्ति कहाँ लगती है?

1. प्रधानत: प्राणीवाचक कर्म कारक में 'को' विभक्ति लगती है। जैसे-

नीमा ने नीलू को मारा।
पिताजी इसको पढ़ा रहे हैं।

2. जब कर्म कारक पर जोर देना हो तो अप्राणीवाचक कर्म कारक के साथ भी 'को' विभक्ति लगती है।

अपनी संस्कृति को बचाओ।

किताब को बेच दो और भीख माँगो।

3. नमस्कार, आशीर्वाद, धिक्कार आदि करते समय जिसके प्रति किया जाए, उसके आगे 'को' लगता है।

मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

राम उनको नमस्कार करता है।

अन्य कारकों के साथ 'को' विभक्ति का प्रयोग—

कर्ता कारक के साथ 'को'

राम को स्कूल जाना ही पड़ेगा।

गुरुजी को कल घर जाना ही है।

कहीं तुमसे मिलने को जी चाहता है।

बच्चे को इनाम मिला।

मुझको जब आप मिल गए तो सब मिल गया।

क्रिया की अनिवार्यता, चाहना क्रिया, प्राप्ति अर्थ आदि में 'को' विभक्ति का प्रयोग कर्ता कारक के साथ होता है।

संप्रदान कारक के साथ 'को'—

भूखे को रोटी दो।

वे चाय पीने को गए हैं।

ऊपर के वाक्यों में भूखे के लिए, पीने के लिए अर्थात् संप्रदान कारक की विभक्ति 'के लिए' के स्थान पर 'को' विभक्ति का प्रयोग हुआ।

अधिकरण कारक के साथ 'को' विभक्ति -

रात को भोजन मत करना।

अब सीधा घर को जाऊँगा।

आप दिन को आएँगे या रात को?

ऊपर के वाक्यों में रात को, घर को, दिन को आदि अधिकरण कारक हैं। अधिकरण कारक की विभक्ति है में, पर। अत: ऊपर के उदाहरणों में रात में, घर पर, दिन में होना चाहिए था, परंतु 'को' विभक्ति भी इसी अर्थ में प्रयुक्त हुई है।

'को' विभक्ति का प्रयोग कहाँ नहीं होता?

1. अप्राणीवाचक कर्म के साथ 'को' विभक्ति नहीं लगना चाहिए।

(यदि अर्थ स्पष्ट या जोर डाल कर प्रकट करना चाहें तो 'को' विभक्ति का व्यवहार कर सकते हैं।)

शेखर फल खाता है।

मैं पुस्तक पढ़ता हूँ।

2. सकर्मक क्रिया का कर्म अगर कर्ता के रूप में प्रयुक्त हो तब 'को' नहीं लगना चाहिए।

भात पकता है।

मकान बन रहा है।

'से' विभक्ति (करण कारक, अपादान कारक) का प्रयोग

करण कारक में 'से' विभक्ति लगती है। जैसे —

परेश ने लाठी से साँप मारा।

चम्मच से भात खाओ।

अन्य अवस्था में 'से' का प्रयोग—

1. कर्म वाच्य और भाव वाच्य में कर्ता कारक के साथ—

मुझसे भात नहीं खाया जाता।

नौकर से यह काम नहीं होता।

2. कर्म कारक के साथ —

मैंने उनसे हाल कह दिया।

सतीश से कहो वह तुम्हारी बात सुनेगा।

3. अपादान कारक के साथ —

वृक्ष से पत्ता गिरा।

मैं स्टेशन से आया।

4. जिससे कोई लाभ या प्रयोजन हो या न हो, उस शब्द के साथ 'से' लगता है। जैसे—

ऐसे आदमी से हमें क्या लाभ?

तुमसे मतलब?

हमें तो काम से मतलब है।

5. रीति या विधिवाचक क्रिया-विशेषण के साथ भी 'से' लगता है। जैसे—

धीरे से बोलो।

शांति से रहो।

आप किधर से आ रहे हैं?

6. भय के अर्थ में भय-प्रधान संज्ञा के साथ 'से' लगता है।

आपसे भगवान बचाए।

गरीब से कौन डरता है।

7. खाद्य पदार्थ के सहकार में पदार्थ के साथ 'से' का प्रयोग होता है। जैसे—

चीनी से रोटी खा लो।

दूध से भात खा लो।

8. अवधि या सीमावाचक शब्दों के मध्य भी 'से' का प्रयोग होता है। जैसे—

मैं सुबह से शाम तक काम करता हूँ।

हम असम से गुजरात तक घूम चुके हैं।

प्रयोग में 'से' विभक्ति का क्षेत्र व्यापक है, परंतु 'से' के स्थान पर वाक्यों में शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे—

के कारण = (से)

पुण्य के कारण आपका भाग्य चमक गया।

के द्वारा = (से)

चम्मच के द्वारा भात खाना ठीक नहीं है।

के सहारे = (से)

मैं रस्सी के सहारे कुएँ में उतरा।

के निमित्त = (से)

धन के निमित्त मोहन बड़ा है, परंतु बुद्धि के निमित्त छोटा हैं।

के बल = (से)

शक्ति के बल उसने मुझे दबा दिया।

को, के, लिए — विभक्ति (संप्रदान कारक) का प्रयोग

को, के लिए संप्रदान की विभक्ति है। जैसे—

रमेश को तीन आम दो।

रमेश के लिए दो आम दो।

रमेश के वास्ते तीन आम दो।

ऊपर के वाक्यों में को, के, लिए, के वास्ते संप्रदान कारक की विभिक्तियाँ हैं।

में, पर विभक्ति (अधिकरण कारक) का प्रयोग

में, पर, के ऊपर, पै — ये सब अधिकरण की विभक्तियाँ हैं। जैसे —

मेज पर दवात है।

मेज पै दवात है।

मेज के ऊपर दवात है।

दवात में स्याही है।

अधिकरण का अर्थ है आधार अर्थात् क्रिया के घटित होने के स्थान या वस्तु की स्थिति का बोध इन विभक्तियों से होता है। जब वस्तु किसी अन्य वस्तु पर बिना ढँकी हुई रखी जाती है तो समान अर्थ वाली विभक्ति पर, पै, के ऊपर आदि का प्रयोग होता है। जब आसपास या ऊपर से ढँक कर वस्तु को रखते हैं तो 'में' विभक्ति का प्रयोग होता है। 'में' के स्थान पर अन्य शब्दों का भी प्रयोग होता है। जैसे —

कुएँ में पानी है।

कुएँ के भीतर पानी है।

कुएँ के अंदर पानी है।

के भीतर, के अंदर समान अर्थ वाले शब्द हैं, जो अधिकरण की विभक्ति 'में' के स्थान पर आते हैं।

अन्य स्थानों पर अधिकरण की विभक्तियों का प्रयोग -

1. करण कारक के साथ— में, पर = (से)
   ऐसा काम करो, जिसमें कि देश की शान मिटने न पाए। (में =से)
   इसी बात पर वह चिढ़ गया। (पर=से)
2. संप्रदान कारक के साथ—
   एक रुपये में क्या तुम्हारी जान निकल जाएगी। (के लिए)
   मैं कल शाम में आपके घर जाऊँगा। (को)
   मैं आधा वेतन माता-पिता पर खर्च करता हूँ। (के लिए)
   इसी बात पर आप मर मिटे। (के लिए)
3. दूर और समीप अर्थ वाले शब्दों के साथ—
   पास में मंदिर है।
   थोड़ी दूर पर डाकघर है।
4. काल, हेतु, अंतर — अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों के साथ —
   अंग्रेजों ने 1826 में असम को अपने अधिकार में कर लिया।

वह दो घंटे में पान बाजार पहुँचता है।

दो-दो घंटे पर चाय पीना अच्छा नहीं है।

सलीम में और राकेश में क्या अंतर है ?

5. पारस्परिक प्रेम, दुश्मनी आदि का अस्तित्व प्रकट करना हो तो 'में' विभक्ति ही लगती है।

सलीम और राम में गहरी दोस्ती है।

सूर्प और नकुल में घोर दुश्मनी है।

6. समुदाय के लोगों में किसी एक व्यक्ति की विशेषता अधिक प्रकट करनी हो तब समुदाय वाचक शब्द के आगे 'में' विभक्ति लगती है।

सब लड़कों में उमेश तेज है।

उन सबसे बड़ा मोहन है।

7. स्थितिवाचक शब्द के साथ 'में' विभक्ति—

मैं आनंद में हूँ।

सुरेश होश में नहीं है।

8. सामीप्यसूचक शब्द के साथ 'पर' विभक्ति—

फाटक पर चौकीदार खड़ा है।

मेरा घर सड़क पर है।

कालवाचक, स्थानवाचक, क्रिया-विशेषण यदि अकारांत या आकारांत हो तो में, पर विभक्तियों का प्रयोग नहीं होता। जैसे —

मैं पाँच बजे उठता हूँ। (में)

उस समय मैं वही था। (पर)

1. 'पै' का प्रयोग केवल कविता में ही होता है। जैसे—

'अँचवत पै तानों जब लागो रोवत जीभ गढ़ै।' (सूरदास)

अभ्यास

1. सही उत्तर दो—
   (अ) हिंदी में कितनी विभक्तियाँ हैं ?
   (आ) क्या विभक्तियाँ परिवर्तनशील होती हैं ?
   (इ) 'ने' विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है ?
   (ई) 'को' विभक्ति का कौन-कौन से कारकों के साथ प्रयोग होता है ?
   (उ) 'से' विभक्ति का किन-किन कारकों के साथ प्रयोग होता है ?
2. नीचे दी हुई विभक्तियों को अपने वाक्यों में प्रयोग करो—
   ने, को, से, द्वारा, के लिए, में, पर।
3. 'से' विभक्ति का प्रयोग कर्ता, करण, अपादान कारक के साथ वाक्य बनाओ।
4. 'को' विभक्ति का प्रयोग कर्ता, कर्म, संप्रदान कारक के साथ-साथ करके वाक्य बनाओ।

प्रत्यय-परिचय

1. प्रत्यय—

मूल शब्द या धातु के साथ जो शब्द-खंड लगते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। इन वाक्यों को यदि मूल शब्द से अलग कर लें तो कोई अर्थ नहीं होता। जैसे—

तुमने पत्र लिखकर कहाँ भेजा ?
ऊपर के वाक्यों में – ने, कर, आ (भेज + आ) प्रत्यय है।

2. प्रत्यय के प्रकार —

मूल शब्द में प्रत्यय हमेशा मध्य या अंत में ही लगता है। कुछ प्रत्यय अविकारी होते हैं तो कुछ विकारी होते हैं। अत: प्रत्ययों का वर्ग इस प्रकार हो सकता है–

1. शब्द के आधार पर प्रत्ययों के प्रकार

(अ) संज्ञा–सर्वनाम में लगने वाले प्रत्यय –

राम ने मोहन को धीरे से बुलाया।

तुमने मुझको क्यों मारा ?

ने, को, से प्रत्यय हैं। इन्हें विभक्ति भी कहा जाता है। ये अपरिवर्तशील है। इसी प्रकार में, पर, के लिए आदि भी प्रत्यय हैं।

उसका भाई तुम्हारा नाम जानता है।

आपका घर ही मेरा घर है।

का, के, का, रा, रे, री, ना, ने, नी संबंधवाचक प्रत्यय है, जो संज्ञा सर्वनाम को मूल कारक की संज्ञा के साथ जोड़ते हैं।

(आ) संज्ञा–सर्वनाम–विशेषण–क्रिया में लगने वाले प्रत्यय –

हम आज अच्छे आदमियों से मिलेंगे।

वे पहाड़ियों पर जा रहे हैं।

ऊपर के वाक्यों में अच्छे, आदमियों, मिलेंगे, पहाड़ियों, रहे हैं – क्रमश: ए, एँगे, यों, रहे–प्रत्यय हैं, इनका रूप वचन, लिंग, काल आदि के प्रभाव से बदलता जाता है।

2. प्रयोग के आधार पर प्रत्यय

भाषा में सभी शब्दों के साथ प्रत्यय आते हैं। शब्द–निर्माण में प्रत्ययों का विशेष महत्व है। प्रयोग के आधार पर प्रत्ययों को हम दो भागों में रख सकते हैं – 1. कृत प्रत्यय 2. तद्धित प्रत्यय

कृत प्रत्यय –

क्रियाओं के साथ प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे—

पढ़ + ना = पढ़ना

पढ़ + आ = पढ़ा

पढ़ + ई = पढ़ी

पढ़ + ओ = पढ़ो

पढ़ + एँ = पढ़े

पढ़ + ता = पढ़ता

तद्धित प्रत्यय –

संज्ञा या अन्य शब्दों के साथ प्रयुक्त परिवर्तनशील प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे —

पहाड़ + ओं = पहाड़ों

पहाड़ + इयाँ = पहाड़ियाँ

पहाड़ + ई = पहाड़ी

(इ) संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त अपरिवर्तनशील प्रत्यय विभक्ति कहलाते हैं। ये कारक चिह्न माने गए हैं।

शब्द प्रत्यय –

उस + ने = उसने

उस + को = उसको (उसे)

उस + में = उसमें

उस + से = उससे (उसे)

उस + पर = उसपर

(ई) संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त परिवर्तनशील और केवल कर्ता से संबंध बतानेवाला प्रत्यय 'संबंध प्रत्यय' कहलाता है। इसी संबंध विभक्ति भी माना जाता है।

संबंध प्रत्यय–

संबंधवाचक प्रत्यय विशेष रूप के साथ लग कर मुख्य संज्ञा या कर्ता के साथ संबंध जोड़ता है। यह परिवर्तनशील भी है।

शब्द		**प्रत्यय**		**संबंधवाचक शब्द**		**मुख्य शब्द**
हम	+	रा	=	हमारा	–	घर
उस	+	का	=	उसका	–	घर
आप	+	ना	=	अपना	–	घर

परिभाषा –

1. ''यदि कारक चिह्न का क्रिया से सीधा संबंध हो तो वह संबंध विभक्ति कहलाते हैं।''

2. ''जब संबंधी के बारे में विशेष कहना हो तो संबंधवान (भेदक) के साथ जो प्रत्यय लगता है, उसे संबंध कहते हैं।''

संबंध प्रत्यय का प्रयोग –

संबंध प्रत्यय का हिंदी भाषा में व्यापक रूप प्रयोग होते हैं। लिंग वचन के आधार पर इसका परिवर्तन होता है। इसका मुख्य कार्य संबंध जोड़ना है, लेकिन केवल मूल संज्ञा या कर्ता के साथ। जैसे —

मेरे भाई का लड़का आ रहा है।

उनके घर के सामने मेरी बहन की लड़की रहती है।

ऊपर के वाक्यों में मेरे का संबंध भाई से, भाई का संबंध लड़के से जोड़ने वाले प्रत्यय क्रमश: 'रे' और 'का' है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में के–के, री–की प्रत्यय भी क्रमश: उन + घर; घर + सामने; में + बहन; बहन + लड़की को आपसी संबंध जोड़ रहे हैं।

मूल संबंध–प्रत्यय तीन हैं–

का = उसका–राम का = 'का' का प्रयोग सर्वनाम के तृतीय पुरुष और संज्ञाओं के साथ होता है।

रा = मेरा–हमारा–तेरा तुम्हारा = 'रा' का प्रयोग सर्वनाम के प्रथम और दूसरे पुरुष में होता है।

ना = अपना, = 'आ' का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम के साथ होता है।

का–रा–ना लिंग वचन के अनुसार क्रमश: के = की, रा = रे, ने = नी, हो जाते हैं। जैसे —

उमेश का भाई मेरा भाई अपना भाई

उमेश की बहन	मेरी बहन	अपनी बहन
उमेश के रुपये	मेरे रुपये	अपने रुपये

संबंध प्रत्यय के विभिन्न प्रयोग –

1. अभेदवाचक शब्दों में – (का)
   क्रिकेट का खेल
   फुटबॉल का खेल
   सरसों का तेल
2. अंग–अंगी भाव में – (का)
   बच्चे की आँख
   सिर के बाल
   सौ पृष्ठों की कविता
3. जन्य–जनक भाव में – (क)
   मेरी माँ
   मेरे पिता
   मंत्री का बेटा
4. कर्ता कर्म भाव में – (का)
   शंकरदेव का कीर्तन घोषा
   कहानी का लेखक
5. सेव्य–सेवक भाव में – (का)
   मालिक का नौकर
   मेरी नौकरानी
6. गुण–गुणी भाव मैं – (का)
   चीनी की मिठास
   नींबू की खटास
7. नाते–रिस्ते में –(का)
   मेरा भाई
   पत्नी का भाई
8. मोल वस्तु में – (का)
   चार रुपये में आम
   कपड़े का दाम
9. परिमाण वाचक में – (का)
   पाँच मीटर की साड़ी
   चार हाथ का पट्टा

10. काल-वयस में - (का)

चार वर्ष का लड़का

एक दिन की बात

11. देशांतर और रूपांतर में - (का)

रंक का राजा

तिल का ताड़

कुछ का कुछ होना

12. विभिन्न कारकों के साथ

कर्ता - मेरे जाने पर

कर्म - गाँव की फूट

करण - चक्की का पिसा

अपादान - जेल का भागा

अधिकरण - पहाड़ की चढ़ाई (आदि)

अभ्यास

1. प्रत्यय किसे कहते हैं ?
2. प्रत्यय कितने प्रकार के हैं ?
3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 'हाँ' या 'नहीं' लगा कर दो-
   (अ) क्या कारक और विभक्ति एक ही है ?
   (आ) क्या विभक्तियाँ विकारी प्रत्यय के अंग हैं ?
   (इ) क्या का-रा-ना संबंध प्रत्यय है ?
   (ई) क्या क्रिया के साथ लगने वाले प्रत्ययों का तद्धित कहते हैं ?
   (उ) क्या संज्ञा सर्वनाम के साथ लगने वाले प्रत्यय कृदंत कहलाते हैं ?
4. रिक्त स्थानों में सही शब्द लिखो -
   (अ) संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगने वाले प्रत्यय ..... कहलाते हैं। (कृदंत, विभक्ति, तद्धित, कारक)
   (आ) विभक्ति ..... प्रत्यय। (कारक, विकारी, अविकारी)
   (इ) संबंध वाचक प्रत्यय ..... होता है। (अपरिवर्तनशील, परिवर्तनशील)
   (ई) संबंध प्रत्यय का क्षेत्र ..... है। (संकुचित, सीमित, व्यापक)
5. निम्नलिखित प्रत्ययों के नाम बताओ।

   ने, कर, अन, याँ, एँ, से, में, का, रा, पर, के, लिए, ना, परा, रहा, है, या।

क्रिया के काल

काल —

'काल' का अर्थ है समय। क्रिया के रूप से क्रिया-व्यवहार के समय का बोध होता है, उसे काल कहते हैं।

काल के प्रकार -

मोहन विद्यालय जाता है।

नीलू विद्यालय जाती है।

गिरीश चिड़ियाघर गया।

सीता चिड़ियाघर गई।

राधिका स्कूल जाएगी।

ऊपर के वाक्यों में जाता है, जाती है, गया, गई, जाएगी क्रमश: वर्तमान काल, भूत काल और भविष्यत् काल की क्रियाएँ हैं। काल तीन प्रकार के होते हैं -

(अ) वर्तमान काल (आ) भविष्यत् काल (इ) भूत काल।

वर्तमान काल —

बिमल बिहु गीत गाता है।
कमला गा रही है।
नरेन घर जाता होगा।

ऊपर के वाक्यों में गाता है, गा रही है और जाता होगा क्रिया रूप कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध कराते हैं। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में होना प्रकट हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के तीन भेद हैं -

1. सामान्य वर्तमान
2. तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान
3. संदिग्ध वर्तमान

1. सामान्य वर्तमान -

राम गीत गाता है।

राधा गाती है।

यदु और मधु गीत गाते हैं।

वर्तमान में ऊपर के बड़े शब्दों से क्रियाओं के कार्य आरंभ होने का बोध होता है। अत: क्रिया के उस रूप को सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, जिससे कार्य के आरंभ करने के साथ ही होने का बोध होता है।

2. तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान -

लड़का **पढ़ रहा है**।

जॉन और थॉमस **पढ़ रहे हैं**।

गीता **पढ़ रही है**।

बड़े अक्षरों वाले क्रिया-रूपों से कार्य का वर्तमान में चलते रहने का बोध होता है। अतएव क्रिया के उस रूप को तात्कालिक वर्तमान कहते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि कार्य वर्तमान में हो रहा है।

3. **संदिग्ध वर्तमान** –

लड़का **पढ़ता होगा**।

लड़के **पढ़ते होंगे**।

लड़की **पढ़ती होगी**।

बड़े अक्षरों के शब्दों से क्रियाओं के प्रयोग में क्रियाओं का कार्य वर्तमान काल में चलते रहने का बोध होता है, परंतु वह अनिश्चित है। ऐसी क्रियाओं के काल को संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं।

4. **भविष्यत् काल** –

आदमी घर **जाएगा**।

लड़के घर **जाएँगे**।

लड़की घर **जाएगी**।

बड़े अक्षरों वाली ऊपर की क्रियाएँ भविष्य में होने का संकेत करती हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने का बोध होता है, उसे भविष्यत् काल की क्रिया कहते हैं।

भविष्यत् काल की क्रियाएँ दो प्रकार की हैं –

1. सामान्य भविष्यत्

2. संभाव्य भविष्यत्

1. **सामान्य भविष्यत्**

रेखा कल नगाँव **जाएगी।**

मोहन विद्यालय **जाएगा।**

लड़के पाठ **पढ़ेंगे।**

बड़े शब्दों से क्रिया रूपों से आने वाले समय में होने की सामान्य सूचना मिलती है। इस प्रकार की क्रिया को सामान्य भविष्यत् कहते हैं, जिससे आगे कार्य होने का सामान्य संकेत मिलता है।

2. **संभाव्य भविष्यत्**

गुरुजी आ **जाएँ।**

मैं चला **जाऊँ।**

लड़की आ **जाए।**

बड़े अक्षरों वाली क्रियाएँ भविष्य में कार्य के होने की संभावना मात्र का बोध कराती है। अत: ऐसी क्रियाओं को संभाव्य भविष्यत् की क्रियाएँ कहते हैं।

भूत काल

हमने भात **खाया**। लड़का **पढ़ता था**।

लड़की ने पाठ **पढ़ा है**। लड़का **गया होता** तो जल्दी **आया होता**।

हम पढ़ **चुके थे**। लड़की ने रोटियाँ **खायीं**।

बड़े अक्षरों वाली क्रियाएँ बीते हुए समय में होने के बोध करती हैं। अत: क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में हो का बोध होता है, उसे भूत काल कहते हैं।

भूत काल छः प्रकार के होते हैं–

1. सामान्य भूत
2. आसन्न भूत
3. संदिग्ध भूत
4. पूर्ण भूत
5. अपूर्ण या तात्कालिक भूत
6. हेतुहेतु मद् भूत

1. सामान्य भूत

लड़का घर **चला**।

गीता ने पाठ **पढ़ा**।

बड़े अक्षरों वाली क्रियाओं से कार्य की समाप्ति का ज्ञान सामान्य रूप से होता है। अतः क्रिया के उस रूप को सामान्य भूतकाल कहते हैं, जिससे कार्य का सामान्य रूप से समाप्त हो जाने का बोध होता है।

2. आसन्न भूत

बालक ने पाठ पढ़ा है।

आदमी उठा है।

उपर्युक्त क्रिया रूपों से कार्य के अभी–अभी समाप्त होने का बोध होता है। इसलिए क्रिया के रूप को आसन्न भूत कहते हैं, जिनसे कार्य तुरंत समाप्त होने का ज्ञान होता है।

3. संदिग्ध भूत

गोपाल घर गया होगा।

लड़की ने भात खाया होगा।

बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी।

उपर्युक्त क्रिया–रूपों में कार्य का भूतकाल में समाप्त होने का संदिग्ध बोध होता है। अतः क्रिया के जिस रूप से कार्य का भूत काल में होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध भूत काल कहते हैं।

4. पूर्ण भूत

लड़का **आया था**।

लड़की **आयी थी**।

बालक ने रोटी **खायी थी**।

बड़े अक्षरों वाले क्रिया–रूपों से कार्य के भूतकाल में ही समाप्त होने का बोध होता है। इसी प्रकार क्रिया के भूत काल में समाप्त होने का बोध हो, उसी भूत कहते हैं।

5. अपूर्ण भूत

बालक **पढ़ रहा था**।

लड़के **खेल रहे थे**।

लड़की **जा रही थी**।

बड़े अक्षरों वाले क्रिया–रूपों से कार्य भूत काल में समाप्त होने का बोध नहीं होता, अपितु कार्य अनवरत चलते रहने का भाव स्पष्ट होता है। अतः क्रिया के जिस रूप से उनके व्यापार का भूत में समाप्त न होकर चलते रहने का भाव मिले, उसे अपूर्ण भूत कहते हैं।

अपूर्ण भूत के अन्य रूप इस प्रकार हैं –

आदमी बचपन में खेलता था।

राजा दशरथ आखेट खेलते थे।

6. हेतु हेतु मद् भूत

आप **आते** तो हम **जाते**।

उमानंद तक पुल **होता**, तो हम रोज **जाते**।

मीनू **पढ़ती** तो जरूर उतीर्ण **होती**।

बड़े अक्षरों वाले क्रिया-रूपों से यह बोध होता है कि क्रिया का कार्य भूत काल में ही समाप्त हो जाता, परंतु कुछ कारणवश अपूर्ण रहा।

इसी प्रकार -

आप चलते, तो मैं जाता।

परिश्रम करते, तो फल मिलता।

क्रिया-प्रत्ययों से काल की पहचान -

साधारणत: काल के अनुसार क्रियाओं में प्रत्यय निम्न प्रकार लगते हैं। जैसे -

'पढ़ना' क्रिया

काल	**काल के उपभाग**	**क्रिया**	**काल-प्रत्यय**
भूतकाल	सामान्य भूत	पढ़ा, पढ़ी, पढ़े	पढ़ + आ-ई-ए
	आसन्न भूत	पढ़ लिया है।	पढ़ + लिया है-
		चुका है	ली हैं-लिये हैं, चुका है-चुकी है-चुके हैं
	अपूर्ण भूत	पढ़ रहा था	पढ़ + रहा था-रही थी- रहे थे, पढ़ + आ + था
	पूर्ण भूत	पढ़ा था	(पढ़ + चुका + था) पढ़ी थी, पढ़े थे, पढ़ी थी
भूतकाल	संदिग्ध भूत	पढ़ लिया होगा	पढ़ + लिया + होगा, पढ़ ली होगी-लिए होंगे
	हेतुहेतुमद् भूत	आप आते तो मैं	यदि आते + तो आता।
		आता! आप पढ़ते	आती, आते (पढ़ते + तो मैं पढ़ता ती + पढ़ता)
वर्तमान	सामान्य	पढ़ता है	पढ़ ती + पढ़ता) ता है-
काल	वर्तमान		ती है-ते हैं
	अपूर्ण	पढ़ रही हूँ	पढ़ + रहा हूँ, रही हूँ,
	वर्तमान		रहे हैं, रही हैं
	संदिग्ध	पढ़ता होगा	पढ़ + ता + होगा (ते
	वर्तमान		होगे, ती + होगी (होंगी)
भविष्यत्	सामान्य	पढ़ूँगा	पढ़ + ऊँगा-ऊँगी
काल	भविष्यत्	शायद पढ़ूँगा	एँगे, एँगी
	सांभाव्य	शायद पढ़ूँ	शायद पढ़ + ए
	भविष्यत्		पढ़ + ऊँ
	हेतुहेतुमद	आप पढ़ेंगे तो मैं	पढ़ेंगे तो पढ़ूँगा
	भविष्यत्	पढ़ूँगा	(पढ़ेंगी, पढ़ेंगे)

अभ्यास

1. 'काल' किसे कहते हैं ?
2. काल कितने प्रकार के होते हैं ?
3. नीचे लिखी क्रियाओं के काल बताओ।

   पढ़ता है, पढ़ेगा, पढ़ता होगा, पढ़ा था।
4. नीचे लिखी क्रिया-प्रत्ययों को अपने वाक्यों में प्रयोग करो —

   (अ) ता, है, ती, है, रही, है, ता होगा।

   (आ) ऊँगा, एँगी, ऊँ, ओ, एँ।

   (इ) ता, था, इ, थी, रही थी, या था, चुका था।

वाच्य

जितेंद्र कोकोकोला पीता है।

रमेश से कोकोकोला नहीं पिया जाता।

सीता से चला नहीं जाता।

प्रथम वाक्य की क्रिया 'पीता है' कर्ता जितेंद्र के अनुसार है। द्वितीय वाक्य की क्रिया 'पिया जाता' कर्म 'कोकोकोला' के अनुसार है और तृतीय वाक्य की क्रिया चला जाता = कर्ता-कर्म से अलग अर्थात स्वतंत्र है।

''क्रिया के जिस रूपांतर से यह जाना जाए कि वाक्य में क्रिया द्वारा किए गये विधान (कही गई बात) का विषय कर्ता है अथवा कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं।''

वाच्य के प्रकार -

वाच्य तीन प्रकार के होते हैं।

(अ) कर्तृवाच्य, (आ) कर्मवाच्य, (इ) भाववाच्य

(अ) कर्तृवाच्य

आनंदराम नामघोषा पढ़ता है।
दुर्गेश्वरी पिताजी को बुलाती है।
गीता फुलमाला पहनती है।
अब्दुल्ला और सुलेमान रोटी खाते हैं।

पढ़ता है, बुलाती है, पहनाती हैं, खाते हैं - क्रियाएँ लिंग, वचन के अनुसार क्रमशः कर्ता आनंदराम, दुर्गेश्वरी, गीता, अब्दुल्ला और सुलेमान का अनुकरण कर रही हैं। इस प्रकार क्रिया का रूप हमेशा कर्ता के अनुसार ही रहता है।

जिस क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से हो, याने कर्ता ही प्रमुख उसे कर्तृवाच्य कहते हैं।

1. कर्तृवाच्य सकर्मक-अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं में होता है।

जैसे - सीता फल खाती है।
सीता नहाती है।

2. कर्तृवाच्य का प्रयोग भविष्यत काल में होता है। जैसे–

माताजी भात खाएँगी।

गुरुजी हिंदी पढ़ाएँगे।

वाच्य में प्रयोग –

कर्तृवाच्य में क्रिया के तीन प्रकार के प्रयोग होते हैं–

1. कर्तरि प्रयोग 2. कर्मनि प्रयोग 3. भावे प्रयोग

1. कर्तरि प्रयोग

रमेश बाजार गया।

माधव खाना खाता है।

सीता किताब पढ़ेगी।

ऊपर के कर्तृवाच्य के वाक्यों में गया, खाता है, पढ़ेगी क्रियाएँ कर्ता के अनुसार हैं। अत: यहाँ कर्तरि प्रयोग हुआ है।

2. कर्मनि प्रयोग

रमेश ने खाना खाया।

सीता ने पत्र लिखा।

ऊपर के कर्तृवाच्य वाक्यों में खाया और लिखा क्रिया, क्रमश: 'खाना' और 'पत्र' के अनुसार है। अत: यहाँ कर्तृवाच्य में कर्मनि प्रयोग हुआ है।

3. भावे प्रयोग

रमेश ने खाया।

ऊपर के कर्तृवाच्य के वाक्य में 'खाया' और 'लिखा' क्रिया कर्ता के अनुसार न होकर स्वतंत्र है। अत: यहाँ कर्तृवाच्य में 'भावे प्रयोग' हुआ है।

(अ) कर्मवाच्य

चंद्रकांत से पुस्तक पढ़ी जाती है।

ऊपर के वाक्य में क्रिया रूप 'पढ़ी जाती है' कर्म पुस्तक के अनुसार है। इस प्रकार के क्रिया रूप को, जिसमें कर्म ही प्रमुख हो, कर्म वाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में क्रिया की गति लिंग, वचन आदि वाच्य में प्रयुक्त मुख्य कर्म के अनुसार होती है।

कर्मवाच्य में कर्म का उल्लेख होने पर कर्मनि प्रयोग होता है तथा कर्म का उल्लेख न होने पर भावे प्रयोग होता है। जैसे–

सीता से किताब नहीं पढ़ी गई।

सीता से पढ़ नहीं गया।

राम से रोटी नहीं खाई गई।

राम से खाया नहीं गया।

कर्मवाच्य का प्रयोग –

1. सकर्मक क्रिया का ही कर्मवाच्य होता है। (अकर्मक क्रियाओं की कर्मवाच्य नहीं होता) कर्मवाच्य के साथ वाच्य में कर्ता के साथ 'से' 'के द्वारा' विभक्यिाँ रहती हैं।

उदाहरण –

कर्तृवाच्य	**कर्मवाच्य**
पिताजी ने पुस्तक पढ़ी थी।	पिताजी से पुस्तक पढ़ी गई थी।
रघुनाथ ने जलेबी खाई थी।	रघुनाथ से जलेबी खाई गई थी।
शायद विमला ने हिंदी पढ़ी थी।	शायद विमला से हिंदी पढ़ी गई थी।

2. वर्तमान काल की सकर्मक क्रिया का कर्ता जब क्रिया करने में आशक्त हो जाए, ऐसी अवस्था में क्रिया कर्म के अनुसार हो जाती है। जैसे –

गणेश से सब्जी नहीं खाई जाती।

बच्ची से पाठ नहीं पढ़ा जाता।

3. कभी–कभी कर्मवाच्य में कर्ता का उल्लेख नहीं होता। जैसे–

पुस्तक काफी पढ़ी गई।

चिट्ठी लिखी गई।

(इ) भाववाच्य

वाक्य में अकर्मक क्रिया की गति व रूप जब कर्ता के अनुसार न हो, यानि क्रिया या भाव ही प्रमुख हो, तब भाववाच्य होता है।

बालक से चला नहीं जाता।

बालिका से चला नहीं जाता।

बालक और बालिका से चला नहीं जाता।

'चला नहीं जाता' पर कर्ता में लिंग, वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है बल्कि इसमें केवल भाव यानि क्रिया की प्रधानता है। इसलिए इसको भाववाच्य कहा जाता है।

हिंदी में भाववाच्य का प्रयोग ज्यादातर निषेध या असमर्थता सूचक अर्थ में होता है।

वाच्य परिवर्तन

कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य होता है। कर्तृवाच्य से भाववाच्य भी होता है, परंतु कर्मवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन नहीं होता। जैसे–

कर्तृवाच्य	**कर्मवाच्य**
हम पुस्तक पढ़ते हैं।	हमसे पुस्तक पढ़ी जाती है।
मैं भात खाऊँगा।	मुझसे भात खाया जाएगा।
राम ने काम किया।	राम से काम किया गया।

कर्तृवाच्य	**भाववाच्य**
सीता दौड़ती है।	सीता से दौड़ा जाता है।
लड़का नहीं गया।	लड़के से जाया नहीं गया।
रोगी नहीं उठा।	रोगी से उठा नहीं गया।

अभ्यास

1. वाच्य किसे कहते हैं ?
2. वाच्य कितने प्रकार के होते हैं ?
3. नीचे लिखे कर्तृवाच्य के वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलो –

   (अ) गैंडा घास खाता है।

   (आ) मैं कटहल नहीं खा सकता।

   (इ) महेश ने चाय पी।

   (ई) पीताजी ने पत्र लिखा।
4. नीचे लिखे कर्तृवाच्य के वाक्यों को भाववाच्य में बदलो –

   हम खेलते हैं।

   सीता नहीं नहाती।

   महाराणा दौड़ता है।

   नथुनी नहीं सोता।

उपसर्ग

शब्द के पूर्व जोड़ कर नये शब्द बनाने वाले अक्षर या अक्षरसमूह को उपसर्ग कहते हैं।

उपसर्ग के प्रकार –

भाषा के आधार पर हिंदी में तीन प्रकार के उपसर्ग होते हैं।

1. संस्कृत के उपसर्ग
2. उर्दू के उपसर्ग
3. हिंदी के अपने उपसर्ग

संस्कृत के उपसर्ग

उपसर्ग	उपसर्ग का अर्थ	उपसर्ग से बने शब्द
अति	बहुत, अधिक	अतिवृष्टि, अत्यधिक
अधि	अधिक, श्रेष्ठ	अधिमास, अधिकार
अनु	साथ, पीछे	अनुकरण, अनुचर, अनुगामी
अप	बुरा, रहित	अपमान, अपशय, अपशब्द
अभि	ऊपर, श्रेष्ठ	अभ्युदय, अभिषेक, अभिवादन

अव,	हीन, नीचे, कभी	अवगुण, अवतार, अवमूल्यन
आ	की ओर, विलोम, तक	आकाश, आदान, आजन्म
उत्	ऊपर, विकाश	उत्कर्ष, उत्साह
उप	सामीप्य, अधीन	उपकार, उपराष्ट्रपति, उपदेश
दुः (दूर)	बुरा, कठिन	दुर्भिक्ष, दुरात्मा, दुर्गति, दुर्गम
नि	निम्नता, भरपूर	निग्रह, निमग्न, नियम
निर	निषेध	निर्मोही, निराकार, निर्भय
परा	दूर, पीछे	परिक्रमा, पराधीन, पराभय
परि	चारों ओर	परिक्रमा, परिचर्चा, परिधान
प्र	आगे, बाहर, ऊँचा	प्रगति, प्रस्थान, प्राचार्य
प्रति	की ओर, विरुद्ध, हर एक	प्रतिनिधि, प्रतिकार, प्रतिदिन
वि	पृथक, उल्टा, परिवर्तन	वियोग, विक्रय, विकार
सम्	साथ, पूर्णता, सामीप्य	संभाषण, संताप, समर्थ, संस्थान
सु	सुंदर, सहज	सुदर्शन, सुयोग्य, सुलभ

उर्दू के उपसर्ग

उपसर्ग	**उपसर्ग का अर्थ**	**उपसर्ग से बने शब्द**
अल	पूर्ण, अत्यंत	अलमस्त, अलविदा
ऐन	ठीक	ऐनवक्त, ऐनमौका
कम	थोड़ा, रहित	कमजोर, कमअक्ल
शुक	अच्छा, शुभ	खुशनसीब, खुशखबरी
गैर	निषेध, विरुद्ध	गैरहाजिर, गैरकानूनी
दर	में	दरअसल, दरमियान
ना	अभाव	नामुमकिन, नगवार
फी	प्रति	फी-सदी, फी-आदमी
ब	के साथ	बदस्तूर
बद	बुरा	बदमिजाज, बदबू
बर	ऊपर	बरकरार, बरदाश्त
बा	अनुसार	बाकायदा, बाअदब
बिला	बिना	बिलाशक
बे	रहित	बेईमान, बेअदब, बेकार

ला	रहित	लाजवाब, लापरवाह
सर	मुख्य	सरकार, सरताज, सरदार, सरहद
हम	साथ, समान	हमसफर, हमदम, हमदर्द
हर	प्रत्येक	हरदम, हर बार

हिंदी के अपने उपसर्ग

उपसर्ग	**उपसर्ग के अर्थ**	**उपसर्ग से बने शब्द**
अ, अन	अभाव	अलग, अथाह, अनमेल
अध	आधा	अधपका, अधमरा
उ	अलग	उचक्का, उजागर, उजाड़
उन	एक कम	उत्रीस, उनतीस
औ	हीन	औगुण, औधड़
दु	खराब, हीन	दुकाल, दुबला
नि	रहित	निडर, निधड़क, निकम्मा
बिन	निषेध, अभाव	बिन कारण, बिन देखा
भर	पूरा, सारा	भरपूर, भरदिन, भरपेट
सु, स	उत्तम	सुकाज, सुबोल, सपूत, सगुन
कु, क	खराब	कुकर्म, कुसंगत, कपूत

उपर्युक्त उपसर्गों का हिंदी में प्रयोग होता है। इसलिए इनके बारे में जानकारी रखना आवश्यक है। जैसे–

रमेश का **अनुकरण** नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह **बेईमान** और **कुकर्मी** लड़का है।

दरअसल सलीम **खुशमिजाज**, **निष्कपट**, **सपूत** है।

ऊपर के वाक्यों में बड़े अक्षर वाले शब्दों में उपसर्ग लगे हैं।

उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के पूर्व में लगते हैं और मूल शब्द के अर्थ को भी बदल देते हैं।

अभ्यास

1. उपसर्ग किसे कहते हैं ?
2. हिंदी में किस–किस भाषा के उपसर्ग हैं ?
3. निम्नलिखित उपसर्गों से शब्द बनाओ।

   बद, बे, उन, भर, अप, दूर्, प्रति, हर, प्र, ऐन, गैर, कम, हम, सर, फी, उत्।
4. नीचे लिखे शब्दों से उपसर्ग अलद करो –

   आजन्म, अवगत, निष्काम, निरादर, सुयोग्य, वाकायदा, हर, बार, लापरवाह, सरकार, दुबला, उजाड़, अथाह।

पद-व्याख्या

वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। इन पदों का रूप और आपसी संबंध जानने के लिए उनकी व्याख्या करना जरूरी होता है। इससे हम प्रत्येक पद का अर्थ और उसकी स्थिति को अच्छी तरह जान सकते हैं।

संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया-विशेषण, समुच्चयबोधक, संबंधसूचक विस्मयादिबोधक इन सभी पदों के प्रकार-लिंग, वचन, काल, पुरुष, कारक, वाच्य आदि की जानकारी पद-व्याख्या से मिल जाती है। जैसे -

वाक्य - ''मैंने भात खाया''

पद - मैंने-भात-खाया

पद-व्याख्या

मैंने - सर्वनाम, प्रथम पुरुष, एकवचन, प्रधान कर्ता कारक 'खाया क्रिया' का।

भात - संज्ञा, जातिवाचक, पुंलिंग, एकवचन, निर्विभक्तिक, कर्म कारक, 'खाया क्रिया' से अधिकृत।

खाया - क्रिया, सकर्मक, कर्मवाच्य, भात, कर्म, पर अधिकार भूतकालिक। ऊपर की पद व्याख्या से हमें वाक्य के सभी पदों का ठीक-ठीक ज्ञान हो गया। पद-व्याख्या के ही अन्य प्रचलित नाम हैं-पद-निर्देश, पद-परिचय, पद-विन्यास, पद-विच्छेद, पदान्वय, शब्दान्वय आदि।

''वाक्यगत पदों के रूप और परंपरा संबंध बनाने को पद-निर्देश कहते हैं।''

अभ्यास

1. पद-व्याख्या का क्या अर्थ है ?
2. पद-व्याख्या से क्या लाभ है ?
3. पद-व्याख्या के अन्य नाम कौन-कौन से हैं ?
4. नीचे लिखे हुए वाक्य के पदों की व्याख्या करो -
   रामनाथ भला आदमी है।
   डंबरू दत्त हिंदी खूब बोलता है।

पंचम अध्याय

वाक्य-विवेचन

वाक्य-परिचय

वाक्य :

वाक्य के लिए एक या एक से अधिक सार्थक शब्द का होना जरूरी है। उनमें क्रम भी होना चाहिए। शब्दों का आपसी संबंध भी हो। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा हो, जिससे वक्ता अपनी बात को दूसरे के सामने रख सके और श्रोता उसे समझ सके। जैसे —

रोगी—श्रीमान। क्या मैं अन्दर जा सकता हूँ?

डॉक्टर—आइए।

रोगी—क्या अपना छाता भी साथ लेता आऊँ?

डॉक्टर—नहीं।

रोगी और डॉक्टर का वार्त्तालाप वाक्यों के माध्यम से हो रहा है। रोगी पूरा वाक्य बोल रहा है। परंतु डॉक्टर एक शब्द ही बोल रहा है। फिर भी रोगी उस शब्द का भाव समझ रहा है, अर्थात एक शब्द भी वाक्य है।

''पूर्ण अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द-समूह को वाक्य कहते हैं।''

वाक्य के आवश्यक तत्व :

वाक्य निर्माण के लिए पद-क्रम (शब्द-क्रम), अन्वय (मेल), सार्थकता (योग्यता) और आकांक्षा (जिज्ञासा) के होना जरूरी है।

1. पद-क्रम

वाक्य में पद-क्रम का होना जरूरी है।

(अ) हैं बहुत असम चाय बागान में।

ताजमहल में आगरे है।

एक बड़ा भारत देश हमारा है।

(आ) असम में चाय बागान बहुत हैं।

ताजमहल आगरे में है।

हमारा भारत एक बड़ा देश है।

ऊपर 'अ' वर्ग के शब्द ठीक क्रम में नहीं हैं और 'आ' वर्ग के शब्द ठीक क्रम में हैं। इसलिए 'अ' वर्ग के वाक्यों से हमें अर्थ नहीं मिल रहा है, किंतु 'आ' वर्ग के वाक्यों से ठीक अर्थ मिल रहा है। वाक्य में पहले कर्ता फिर कर्म और बाद में क्रिया होनी चाहिए। इसे ही आदर्श पद-क्रम कहते हैं।

टिप्पणी - बातचीत या कविता की भाषा में पद-क्रम इधर-उधर हो सकता है।

2. पदों में अन्वय या मेल

वाक्य में क्रिया पद के साथ कर्ता या कर्म का, विशेषण के साथ विशेषण (संज्ञा) का मेल होना जरूरी है। यदि वाक्य में वह मेल न रहे तो इच्छित अर्थ की प्राप्ति में कठिनाई होती है।

(अ) कलावती असम की महिलाएँ होती हैं।

यूरोप की महिलाओं से भारत की महिलाएँ अधिक प्रगतिशील होती हैं।

बिहु नृत्य का असम उत्साहवर्द्धक है।

गर्बा-नृत्य का गुजरात मनोमुग्धकारी है।

(आ) असम की महिलाएँ कलावती होती हैं।

भारत की महिलाओं से यूरोप की महिलाएँ अधिक प्रगतिशील होती हैं।

असम का बिहु नृत्य उत्साहवर्द्धक है।

गुजरात का गर्बा-नृत्य मनोमुग्धकारी है।

'अ' वर्ग के वाक्यों के पदों का आपसी मेल (अन्वय) ठीक नहीं है। इसलिए इच्छित अर्थ प्राप्ति नहीं हो रही है, परंतु 'आ' वर्ग के वाक्यों के पदों का आपसी मेल ठीक है। इसलिए इच्छित अर्थ की प्राप्ति हो रही है। 'अ' वर्ग के वाक्यों में की, का संबंधवाचक प्रत्यय को उसके निश्चित स्थान पर रख दिया गया है, इसलिए अर्थ भी बदल गया है। इसी तरह 'अ' वर्ग के वाक्य के 'से' तुलनामूलक प्रत्यय को निश्चित स्थान से हटा दिया गया, इसलिए अर्थ ही बदल गया है।

'पद-मेल' का अर्थ है कर्ता-क्रम से क्रिया का मेल और विशेषण से संज्ञा का मेल। 'पद-मेल' पर ध्यान रखने से इच्छित अर्थ की प्राप्ति होती है।

3. सार्थकता या योग्यता

वाक्य में सार्थक शब्दों को ही रखना चाहिए। वाक्य के समूह में शब्द से दूसरे शब्दों के अर्थ में मेल होना चाहिए। यदि हम शब्द संबंधी अर्थ व्यवस्था पर ध्यान नहीं रखेंगे तो पूरा वाक्य अर्थहीन हो जाएगा।

(अ) बैल दूध देता है।

आग से सिंचाई होती है।

आँखों से हम सुनते हैं।

(आ) गाय दूध देती है।

पानी से सिंचाई होती है।

आँखों से हम देखते हैं।

'अ' वर्ग के वाक्य में पद और अर्थ का समन्वय नहीं है। प्रकृत गुण युक्त अर्थ उससे नहीं मिलता, परंतु वर्ग 'आ' के वाक्यों का अर्थ हमारी समझ में आ रहा है, क्योंकि उसमें योग्य पद तथा पदों का आपसी अर्थ-संबंधी तादात्म्य है। उनसे प्रकृति के अनुकूल अर्थ निकलता है, जो लोकजीवन में सत्य है। अत: पहले प्रकार के वाक्य आदर्श वाक्य नहीं हो सकते।

''वाक्य में ऐसे योग्य पदों के प्रयोग को, जिससे प्रकृत अर्थ की प्राप्ति हो सके, पदों की सार्थकता या योग्यता कहते हैं।''

4. आकांक्षा

वाक्य के एक शब्द पद को सुनने के बाद श्रोता में दूसरे संबंधित पद को सुनने की सहज इच्छा होती है। इसलिए वाक्य के सभी पदों को आदर्श क्रम के आधार पर उसी समय बोलना चाहिए। रुक-रुक कर बोलने से वाक्य का अर्थ भी नहीं समझ सकते और सुनने वाले की आकांक्षा भी समाप्त हो जाती है।

उदाहरण :

(अ) फकरुद्दीन ..... मस्जिद.... जा...ता.....है।

कुरान ..... पवित्र ग्रंथ .....है।

बाइबिल ..... पवित्र.....ग्रंथ..... है।

नामघर ....पवित्र ..... स्थान..... है।

(आ) फकरुद्दीन मस्जिद जाता है।
कुरान पवित्र ग्रंथ है।
बाइबिल पवित्र ग्रंथ है।
नामघर पवित्र स्थान है।

'अ' वर्ग के वाक्य में पद की आवृत्ति समयानुसार नहीं है। वक्ता रुक-रुक कर पदों को बोल रहा है, जिससे श्रोता की जिज्ञासा आवेश में बदल जाती है और वह धैर्य खो कर वक्ता की बात नहीं सुनना चाहता।

'आ' वर्ग के वाक्यों में पदों का क्रम और आवृत्ति आकांक्षा के अनुकूल है। वक्ता अपने निश्चित क्रम और समय से उन्हें बोल रहा है।

अत: हमे वाक्यों का प्रयोग करते समय श्रोता की आकांक्षा को ध्यान में रखना तभी वाक्य सार्थक हो सकेगा।

वाक्य के एक पद को सुनने के बाद अगले पद को सुनने की जो सहज उत्कंठा होती है, उसे आकांक्षा कहते हैं।

टिप्पणी - उपर्युक्त तत्वों के साथ ही वाक्य के स्पष्टता, प्रवाह और भावानुकूल पद-व्याख्या भी होनी चाहिए।

अभ्यास

1. वाक्य किसे कहते हैं ?
2. वाक्य के मुख्य तत्व कौन-कौन से हैं ?
3. अंतर बताओ-
   (अ) पद और वाक्य। (आ) पद-क्रम और पद-अन्वय। (इ) सार्थकता और आकांक्षा।
4. नीचे लिखे वाक्यों को उपयुक्त वाक्यों में बदलो-
   (अ) हूँ मैं बड़ा गोपाल का भाई। (आ) रहा पढ़ता हूँ मैं चार दिनों से।
   (इ) विद्वानों सब दूर पूजा की होती है। (ई) सीता भात से दाल खाएगी।
   (उ) पानी से लकड़ी जलाओ। (ऊ) नाक से सुनो।

वाक्य के अंग

'मोहन वही लड़का है, जिसने मुझे मारा था।'

पूर्ण वाक्य में कर्ता-कर्म-क्रिया का होना जरूरी है और पूर्ण अर्थ की प्राप्ति भी होनी चाहिए। तभी हम उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य को हम कोई भागों में विभक्त कर सकते हैं। उन्हें वाक्य का अंग कहते हैं। वैसे एक पद भी वाक्य का अंग है, परंतु संबंधित पदों के समूह को ही हम अंग कह सकते हैं।

ऊपर का वाक्य पूर्ण वाक्य है, इस वाक्य को यदि हम विभिन्न अंगों में विभाजित करें तो तीन आधारों पर ध्यान रखना होगा -

1. संबंधित पद-समूह या वाक्यांश। 2. वाक्य के खण्ड (भाग)। 3. उपवाक्य।

ऊपर के वाक्य में 'जिसने मुझे मारा था' वाक्यांश है। वाक्य के किसी अर्थपूर्ण अंश को वाक्यांश कहा जाता है।

'सोहन वही लड़का है' वाक्य के इस खंड में अर्थ की प्रतीति होने पर भी वह पूर्ण वाक्य नहीं है। ऐसे वाक्यों के अर्थ युक्त खण्ड को 'वाक्य-खण्ड' कहा जाता है।

एक वाक्य अगर किसी दूसरे मुख्य वाक्य के अधीन हो, तो उसे 'उपवाक्य' कहते हैं। जैसे - सोहन वही लड़का है, जिसने मुझे मारा था। इस वाक्य में 'सोहन वही लड़का' और 'मुझे मारा था' ये दोनों ही 'उपवाक्य' हैं।

अभ्यास

1. वाक्यांश किसे कहते हैं ?
2. वाक्य खण्ड किसे कहते हैं ?

वाक्य में विराम-चिह्न

विराम-चिह्न का अर्थ

विराम का अर्थ है - ठहरना। भाषा में भी भावों और अर्थों को अच्छी तरह समझने के लिए ध्वनि, पद, वाक्य के अंतर्गत ठहरना जरूरी है। वक्ता यदि विराम-चिह्न पर ध्यान न दें या लेखक विराम-चिह्न का प्रयोग करना ही भूल जाएँ तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है।

'भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए वाक्य या वाक्यों के अंतर्गत जिन चिह्नों का प्रयोग होता है, उन्हें विराम-चिह्न कहते हैं।'

विराम-चिह्न के प्रकार

हिंदी में निम्न प्रकार के विराम-चिह्नों का प्रयोग होता है। जैसे -

	नाम	चिह्न	वाक्य में प्रयोग
1.	पूर्ण विराम	(।)	= मैं पढ़ती हूँ। वह सोता है।
2.	अल्प विराम	(,)	= गणेश, करीम, थॉमस, और सांगमा स्कूल जाते हैं।
3.	अर्द्ध विराम	(;)	= मैं दुखी हूँ; मुझे मत मारो।
4.	प्रश्नवाचक चिह्न	(?)	= क्या तुम पिकनिक चलोगे ?
5.	विस्मयादिबोधक चिह्न	(!)	= हाय ! मेरी बाल्टी कुएँ में गिर गयी।
6.	उद्धरण चिह्न	(‘‘ ’’)	= सुभास चंद्र बोस ने हमें ‘‘जयहिंद’’ का नारा दिया।
7.	कोष्ठक चिह्न	( ) [ ]	= राष्ट्रपिता (गांधीजी) को हमकभी नहीं भूलेंगे।
8.	विभाजक चिह्न	(-)	= कविता-कहानी कुछ तो लिखनाचाहिए।
9.	विवरण चिह्न	(:-)	= निम्नलिखित खण्ड को व्याख्या करो :-
10.	लोप चिह्न	(.....)	= मैं आगे कुछ नहीं कह .....।
11.	हंसपदक (त्रुटि पूरक)	(Λ)	= पुस्तक

चिह्न Λ गणेश ने पढ़ ली है।

12. अपूर्णताबोधक चिह्न (x x) = राम ने कहा कि x x x

13. पुनरुक्ति चिह्न (,, ,,) = सुबह उठने से बुद्धि बढ़ती है।

,, ,, ,, शक्ति बढ़ती है।

विराम चिह्न का विश्लेषण

1. **पूर्ण विराम (।) —** वाक्य के पूर्ण होने पर यह चिह्न लगाया जाता है। जैसे - मैं इंदौर जाऊँगा।

2. **अल्प विराम (,) —** जिस वाक्य या वाक्यों में थोड़ी देर रुकने की आवश्यकता हो, वहाँ अल्पविराम का प्रयोग होता है।

जैसे - रमेश, गणेश, दिनेश और रमण पढ़ने गये। मैं, जब पढ़ रहा था, अचानक लालटेन बुझ गयी।

3. **अर्द्धविराम (;) —** जहाँ पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक देर तक रुकना पड़े, वहाँ अर्द्ध विराम का प्रयोग है। इसका प्रयोग प्राय: मिश्र वाक्य में होता है।

जैसे - राम चोर है; उसे पकड़ो। वह भूखा है; उसे रोटी दो।

4. **प्रश्नवाचक (?) —** जिस वाक्य से प्रश्न करने या पूछने का बोध होता हो, उसके अंत में प्रश्नवाचक चिह्न लगाते हैं।

जैसे - क्या आप घर जा रहे हैं? वह कौन चिल्ला रहा है? वे किससे बाते करते थो?

5. **विस्मयादिबोधक (!) —** मन के सुख-दुख, शोक, लज्जा आदि भावों को व्यक्त करने के लिए इनका प्रयोग आश्चर्यबोधक शब्द के बाद और पूरे वाक्य के बाद किया जाता है।

जैसे - हाय! मुझे बचाओ। ओ हो ! तुम आ गये।

6. **उद्धरण चिह्न (‘‘ ’’) —** महान व्यक्तियों के कहे गये कथनों को ज्यों-का-त्यों लिखते समय उद्धरण चिह्न का प्रयोग किया जाता है।

जैसे- ‘‘स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।’’ मैं ‘‘जय जवान, जय किसान’’ में विश्वास रखता हूँ।

7. **कोष्ठक चिह्न ( ) —** वाक्य में आये हुए अस्पष्ट अर्थ वाले शब्द के आगे कोष्ठक रख कर उसका सरल शब्द लिखने के लिए इसका प्रयोग होता है।

जैसे - राम (दशरथ-पुत्र) को कोई नहीं भूल सकता।

8. **विभाजक चिह्न (-) —** दो या दो से अधिक शब्दों को एक-दूसरे से मिलाने के लिए विभाजक चिह्न का व्यवहार किया जाता है। इसे सामासिक या योजक चिह्न भी कहते हैं।

जैसे - वह बार-बार झूठा बोलता है। राधा-कृष्ण की लीला अद्वितीय थी।

9. **विवरण चिह्न (:-) —** किसी के बारे में विस्तार से कहने के लिए इसका व्यवहार किया जाता है।

जैसे -

वल्लभ भाई पटेल पुरुष थे। जैसे :- .....। गोपीनाथ बरदलै आदर्श नेता थे। जैसे :- .....।

10. **लोपसूचक चिह्न (....) —** जब हम बोलते-बोलते कारणवश रुक जाते हैं, तब लोपसूचक चिह्न का व्यवहार करते हैं। वाक्य में भी छूटे हुए अंश के साथ इसका प्रयोग होता है।

जैसे- मेरी माँ तो आ गयी किंतु .... (बीमार है)

11. **त्रुटिपूरक चिह्न (Λ) —** इसे ‘हंसपदक चिह्न’ भी कहते हैं। जब वाक्य में लिखते-लिखते हम कुछ शब्दों को छोड़ देते हैं और बाद में उन भूलों को सुधार कर वाक्य के ऊपर लिखते हैं, उस समय इस चिह्न को व्यवहार किया जाता है और इस ठीक

चिह्न के ऊपर छुटा-हुआ शब्द या अंश लिख देते हैं। जैसे -

बजे

वह आज चार Λ दिल्ली जाने वाला है।

महापुरुष

तुलसीदास, शंकरदेव और चैतन्य महाप्रभु भारत के सच्चे Λ थे।

12. अपूर्णताबोधक (x) — लिखते समय कुछ पंक्तियाँ छूट जाती हैं, उस समय अपूर्णताबोधक चिह्न का व्यवहार किया जाता है। कहानी को संक्षिप्त करने में या कविता को छोटी करते समय इसका प्रयोग होता है। जैसे-

मेरा भाई नागपुर कल गया था।

x x x और आज आ गया।

कविता में

चारु चंद्र की चंचल किरणों x x x

x x x अवनी और अंबर तल में।

13. पुनरुक्ति चिह्न (,, ,, ,,) — जब एक ही विषय के बारे में बार-बार कहना हो तब पहले कहे हुए शब्दों के नीचे पुनरुक्तिबोधक चिह्न को लगाया जाता है। जैसे -

मेरी भारत भूमि महान है।

,, ,, ,, पवित्र है।

,, ,, ,, विशाल है।

,, ,, ,, मेरी माँ है।

,, ,, ,, का मैं रक्षक हूँ।

,, ,, ,, का इतिहास बहुत प्राचीन है।

विराम चिह्नों का महत्व

भाषा में यदि विराम-चिह्नों का प्रयोग छोड़ दे तो हमें अर्थ प्राप्ति में कठिनाई होती है या भाषा को विस्तार के साथ लिखना होता है। ये जितने भी चिह्न हैं, सब भाषा इस संबंधी कठिनाई और परिश्रम को दूर करते हैं। लिखित भाषा में इसका महत्व अधिक बढ़ जाता है। अत: चिह्नों के माध्यम से हम उसके वास्तविक अर्थ को समझ लेते हैं। जैसे - (चिह्नों के द्वारा अर्थ-बोध)

राम विद्यालय गया, तुम इधर आओ।

आप घर जा रहे हैं ?

आप घर जा रहे हैं।

आप घर जा रहे हैं मेरे लिए .....।

राम, मोहन और सोहन अब आ रहे हैं।

माता-पिता का कहना मानो।

अब गांधीजी नहीं रहें। ..... आदि।

यदि उपर्युक्त वाक्यों में सभी चिह्नों को हटा दें तो अर्थ-प्राप्ति में बाधा होगी। जैसे-

चोर को पकड़ो मत जाने दो

पुलिस को रोको मत आने दो

वह चला गया तुम आ गये

गणेश उमेश शेखर कल जा रहे हैं

तुम उनको बुलाओ पशु पक्षी फूल पौधे सब प्राणवान हैं

अभ्यास

1. विराम शब्द का क्या अर्थ है ?
2. वाक्य में विराम-चिह्नों के प्रयोग को क्या आवश्यकता है ?
3. नीचे के विराम-चिह्न के नाम बताओ-
   (।), (!), (x x x), (.....), (;), (?), (,),(‘‘ ’’), (,, ,, ,,),
   ( ), (:-), (—)
4. नीचे लिखे वाक्यों में विराम-चिह्न लगाओ।
   (अ) राम विद्यालय जा रहा है
   (आ) क्या आप कल मेरे घर आएंगे
   (इ) हाय रे बेटा तू कहा चला गया
   (ई) रमेश अब्दुल और कृष्णकांत आज अनुपस्थित है
   (उ) मैं पिकनिक जाता यदि मेरे पास पैसे .....
   (ऊ) स्त्री पुरुष सभी समान है

छठा अध्याय

रचना

1. रचना-परिचय

रचना का अर्थ

रचना से तात्पर्य है अपने भावों को वाक्यों के द्वारा सूचित, समुचित क्रम से विन्यास करना। हम अपने विचारों को वाक्यों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। वाक्यों का समूह ही एक भाषा का रूप ले लेता है। भाषा का वक्ता और श्रोता दोनों पर प्रभाव पड़ता है। भाषा जितनी सरल-सहज होगी, उसे पढ़ने में उतनी ही सरलता होगी।

रचना-तत्व

1. सामान्य अशुद्धियों के प्रति सर्तकता।
2. विशेष शब्द और समूह का प्रयोग।
3. मुहावरे और कहावतों की जानकारी और प्रयोग।
4. अनुवाद-कला की सामान्य जानकारी।
5. पत्र-लेखन और निबंध-लेखन का व्यावहारिक ज्ञान।
   (आदर्श पत्र और निबंधों सहित)

यदि हम ऊपर के पाँच तत्वों का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर लें तो हिंदी भाषा को सरलता से बोल और लिख सकते हैं तथा दूसरों के विचारों को ग्रहण कर सकते हैं।

विशेष शब्द और शब्द-समूह का भी भाषा में विशेष महत्व होता है। मुहावरों और कहावतों का भी रचना में विशेष महत्व है।

पत्र-लेखन और निबंध-लेखन भी भाषा के मुख्य आधार हैं। पत्र और निबंध की भाषा भी ठोस, गठित और प्रभावोत्पादक होती है। इसलिए पत्र- लेखन का अच्छा अभ्यास होना चाहिए और अनेक प्रकार के निबंध पढ़कर सुगठित भाषा में निबंध लिखना चाहिए।

ऊपर के सभी तत्व व्यावहारिक भाषा-ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है। इनके अभाव में कोई भाषा कमजोर और निष्प्राण हो जाती है। राष्ट्रभाषा को प्रभावशाली और अपने विचारों को शुद्ध और प्राणवान भाषा के रूप में प्रकट करने के लिए ऊपर सभी तत्वों की सामान्य जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि इन तत्वों से ही हमारी भाषा-संबंधी सृजनात्मक शक्ति बढ़ती है।

भाषा को ओज, पूर्ण बोधगम्य और सहज बनाने वाले तत्वों को रचना-तत्व कहते हैं।

अभ्यास

1. 'रचना' से तुम क्या समझते हो?
2. 'रचना' के प्रमुख तत्व कौन-कौन से हैं?
3. 'रचना' से हमें क्या लाभ होता है?
4. 'रचना' का संबंध भाषा से है। - इस वाक्य को स्पष्ट करो।

2. भाषा संबंधी सामान्य अशुद्धियाँ

सम्मोच्चरित शब्दों का प्रयोग

हिंदी में संस्कृत आदि से आए हुए शब्द की सभी ध्वनियों का उच्चारण आजकल नहीं हो रहा है। इसलिए उच्चरित और लिखित शब्द रूप में भी अंतर आ जाता है।

अत: इस प्रकार के शब्दों की उच्चारण-संबंधी विशेषताओं की जानकारी रखते हुए उसका प्रचलित रूप ही लिखना चाहिए। जैसे-

(अ) शब्द संबंधी अशुद्धियाँ

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
अगामी	आगामी	गनना	गणना	पुन्य	पुण्य
अद्वितिय	अद्वितीय	गनित	गणित	प्रज्जवलित	प्रज्ज्वलित
अध्यन	अध्ययन	गुणि	गुणी	प्रदेशिक	प्रादेशिक
अनाधिकार	अनधिकार	गौन	गौण	प्रमाणिक	प्रामाणिक
अनिष्ठ	अनिष्ट	जत्न	यत्न	प्रशंशा	प्रशंसा
अनुकुल	अनुकूल	जेष्ठ	ज्येष्ठ	प्रान	प्राण
अनुशरण	अनुसरण	तलाब	तालाब	बुढ़ा	बूढ़ा
अभ्यस्थ	अभ्यस्त	स्वास्थ	स्वास्थ्य	बह्मा	ब्रह्मा
अस्थान	स्थान	दिपिका	दीपिका	भय्या	भया
कनिष्ट	कनिष्ठ	देहिक	दैहिक	शक्ती	शक्ति
कन्हय्या	कन्हैया	नारायन	नारायण	शताब्दि	शताब्दी
कलस	कलश	नारि	नारी	संसारिक	सांसारिक
कल्यान	कल्याण	निरिक्षण	निरीक्षण	समीती	समिति
कुशाशन	कुशासन	पत्नि	पत्नी	सिंदुर	सिंदूर
केंद्रीयकरण	केंद्रीकरण	परिक्षा	परीक्षा	सृंगार	श्रृंगार
कोतुहल	कौतूहल	पुज्य	पूज्य	स्वास्थ्य	स्वास्थ्य

(आ) प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
अध्यात्मक	आध्यात्मिक	गायका	गायिका	वास्तविक में	वास्तव में
आलस्यता	आलस्य	गोपिनी	गोपी	शक्तिवान	शक्तिमान
ऐक्यता	एकता	ज्येष्ठी	ज्येष्ठा	साम्यता	साम्य
कौशलता	कुशलता	तरुणा	तरुणी	सौंदर्यता	सुंदरता
दशरथि	दाशरथि	पिशाचिनी	पिशाची	सिंहिनी	सिंही
निश्चयता	निश्चय	विदुषा	विदुषी	सुलोचनी	सुलोचना
भाग्यमान	भाग्यवान	माधुर्यता	मधुरता	श्रीमान् महारानी	श्रीमती महारानी
कुशांगिनी	कृशांगी	मान्यनीय	माननीय	साधुनी	साध्वी
कोमलांगिनी	कोमलांगी	मेत्रता	मित्रता		

(इ) संधि समास संबंधी अशुद्धियाँ

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
अत्याधिक	अत्यधिक	सन्मुख	सम्मुख	निर्गुणी	निर्गुण
आविस्कार	आविष्कार	सन्यासी	संन्यासी	निर्दयी	निर्दय
उपरोक्त	उपर्युक्त	सम्वाद	संवाद	पिताभक्ति	पितृभक्ति
तदोपरांत	तदुपरांत	स्वयम्बर	स्वयंवर	मंत्रीमंडल	मंत्रिमंडल
निरोग	नीरोग	दुरावस्था	दुरवस्था	माताहीन	मातृहीन
यशलाभ	यशोलाभ	निरापराध	निरपराध	विद्यार्थिगण	विद्यार्थीगण
विछेद	विच्छेद	निरव	नीरव	सकुशलपूर्वक	सकुशल
शिरमणि	शिरोमणि	निरस	नीरस	सानंदित	सानंद
सदोपदेश	सदुपदेश	कृतघ्नी	कृतघ्न	स्वामीभक्त	स्वामिभक्त
सन्मान	सम्मान				

(ई) हलंत, चंद्रबिंदु और अनुस्वार अशुद्धियाँ

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
अर्थात	अर्थात्	श्रीमान	श्रीमान्	चांद	चाँद
अष्टम्	अष्टम	परिषद	परिषद्	जहां	जहाँ
दशम्	दशम	पांचवाँ	पाँचवाँ	जाउँगा	जाऊँगा
पंचम्	पंचम	आंख	आँख	दांत	दाँत
पृथक	पृथक्	उंगली	उँगली	दोनो	दोनों
भागवत्	भागवत	ऊंचा	ऊँचा	हंसना	हँसना
विद्यमान्	विद्यमान	गाँधीजी	गांधीजी		

वाक्यगत अशुद्धियाँ

अशुद्ध	शुद्ध
तलवार एक उपयोगी अस्त्र है।	तलवार एक उपयोगी शस्त्र है।
राम और सीता आ रही है।	राम और सीता आ रहे हैं।
बच्चा माँ के बगल में बैठा है।	बच्चा माँ की बगल में बैठा है।
रमेश को चार गायें हैं।	रमेश की चार गायें हैं।
उमेश को एक लड़की हुई।	उमेश की एक लड़की हुई।
राम, सीता और मैं जाऊँगा।	राम, सीता, और हम जाएँगे।
मैं अपने मित्र को दो रुपये दिये हूँ।	मैंने अपने मित्र को दो रुपये दिये हैं।
इस पत्र को किसने लिखा है ?	यह पत्र किसने लिखा है ?
मुर्गी ने छै अण्डा दिया।	मुर्गी ने छः अण्डे दिये।
कोई-कोई ऐसा भी कहता है।	कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं।
मैं, वह और तुम शहर जाओगे।	हम, तुम और वे शहर जाएँगे।
मैंने रोटी को खाया।	मैंने रोटी खायी ।
इस समय आपकी आयु क्या ?	इस समय आपकी आयु कितनी है ?
मेरा नाम श्रीउमाराम कलिता है ?	मेरा नाम उमाराम कलिता है।

कृपया आप ही पत्र लिखने की कृपा करें।	कृपया आप ही पत्र लिखें।
कल तुम जरूर वापस लौट आना।	कल तुम जरूर लौट आना।
आप दोनों को परस्पर आपस में नहीं लड़ना चाहिए।	आप दोनों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए।
सब लोग अपनी बात कहें।	सब लोग अपनी-अपनी बात कहें।
मैं उनसे यह बात मना लूँगा।	मैं उनसे यह बात मनवा लूँगा।
वह दो महीना से बीमार है।	वह दो महीनों से बीमार है।

अभ्यास

1. नीचे दिए हुए अशुद्ध रूपों को शुद्ध करो
   (अ) पत्नि, नारि, ऐक्यता, कोमलांगिनी, मान्यनीय।
   (आ) सदोपदेश, सन्यासी, स्वयम्बर, पिताभक्ति, माताहीन।
   (इ) पंचम्, जहां, हंसना, आंख, दोनो, पांचवाँ।
   (ई) रमेश को चार भाई है।
   मैंने रोटी को खाया।
   मेरा नाम श्रीमहेश दास है।
   वह दो महीना से बीमार है।

3. विशेष शब्द और शब्द-समूह का प्रयोग

भाषा में कई प्रकार के शब्द-रूपों का व्यवहार होता है। एक ही शब्द के अनेक रूप होते हैं, तो दूसरी ओर अनेक शब्दों के लिए भी एक शब्द रहा है। इसी प्रकार शब्द-समूह से भी भाषा आकर्षक और शैली प्रभावोत्पादक होती है। विभिन्न प्रकार के शब्दों, शब्द-समूह का परिचय नीचे लिखे अनुसार है। जैसे-

1. श्रुतिसम शब्द 2. एकार्थक शब्द 3. अनेकार्थक शब्द
4. समानार्थक (पर्यायवाची) शब्द 5. विपरीतार्थक (विलोमार्थी) शब्द 6. विशेष शब्द-समूह

उपर्युक्त सभी शब्द-रूपों से भाषा की रचनात्मक-शक्ति बढ़ती है। प्रत्येक शब्द-रूप के उदाहरण नीचे दिए गए हैं।

1. श्रुतिसम शब्द

श्रुतिसम शब्द के अर्थ है एक जैसा सुनाई देना या बोलते समय उच्चारण में समानता होना। इनका अंतर समझ लेना हमारे लिए जरूरी है। श्रुतिसम शब्दों को ही शब्द-युग्म, समोच्चारित शब्द और श्रुति समभिन्नार्थक शब्द आदि भी कहते हैं। ये समान रूप से सुनाई देते हैं, पर अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं।

जब दो या दो से अधिक शब्द सुनने में एक जैसे लगे, किंतु अर्थ में भिन्नता हो, उन्हें श्रुतिसम शब्द कहते हैं।

उदाहरण

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
अंस	- कंधा	अवलंब	- सहारा
अंश	- हिस्सा	अविलंब	- तुरंत
अंत	- समाप्त	अभय	- निर्भय

अत्य	– अंतिम	उभय	– दोनों
अँगना	– घर का आँगन	अमित	– अत्यधिक
अंगना	– स्त्री	अमीत	– शत्रु
अन्न	– अनाज	असित	– काला
अन्य	– दूसरा	अशित	– खाया हुआ
अणु	– कण	अध्ययन	– पढ़ना
अनु	– पीछे	अध्यापन	– पढ़ाना
अभिराम	– सुंदर	अरि	– शत्रु
अविराम	– लगातार	अरी	– एक संबोधनवाचक शब्द
अपेक्षा	– से (तुलना में)	अलि	– भौंरा
उपेक्षा	– तिरस्कार	अली	– सखी
आदि	– आरंभ	कर्कट	– केंकड़ा
आदी	– अभ्यस्त	करकट	– कूड़ा
अवधि	– समय की सीमा	छत्र	– छात्रा
अवधी	– अवध क्षेत्र की भाषा	छात्र	– विद्यार्थी
आरति	– पीड़ा	ग्रह	– तारे
आरती	– देवता की पूजा	गृह	– घर
आवास	– निवास	गूड़	– मीठा खाद्य विशेष
आभास	– प्रतीत होना	गूढ़	– गंभीर
आर्त्त	– दुखी	चिर	– हमेशा रहने वाला
आर्द्र	– गीला	चीर	– पुराना वस्त्र खंड
इत्र	– सुगंध	चिता	– शव जलाने का आधार
इतर	– दूसरा	चीता	– बाघ
औसर	– अवसर	जड़	– मूल
ऊसर	– बंजर भूमि	जड़ा	– बुढ़ापा
कुल	– वंश	तरणि	– सूर्य
कूल	– किनारा	तरणी	– नाव
कलि	– कलियुग	तरुणी	– स्त्री
कली	– मुँह बंधा फूल	दिन	– दिवस
कृपण	– कंजूस	दीन	– गरीब
कृपाण	– कटार	नीर	– पानी
कुंतल	– सिर के बाल	नीड़	– घोंसला
कुंडल	– कान का आभूषण	नियत	– निश्चित
कुच	– स्तन	नीयत	– इरादा
कूच	– प्रस्थान	निश्चल	– अटल
द्रव	– रस	निश्छल	– कपटरहित
द्रव्य	– पदार्थ	पवन	– हवा
नाई	– तरह	पावन	– पवित्र करने वाला

नाईं	– हजाम	पथ	– रास्ता
नारी	– स्त्री	पथ्य	– आहार
नाड़ी	– नब्ज	पुर	– नगर
प्रसाद	– कृपा, भोग	पूर	– बाढ़, भरा
प्रासाद	– महल	बहन	– बहिन
प्रणय	– प्रेम	वहन	– ढोना
परिणय	– विवाह	बात	– वचन
पानी	– जल	वात	– हवा
पाणि	– हाथ		

एकार्थक शब्द (विशेष भावबोधक शब्द)

एक निश्चित अर्थ रखने वाले शब्द को एकार्थक शब्द कहते हैं। ये निश्चित अर्थ वाले शब्द होते हैं, जो अर्थ की दृष्टि से विशेष उपयुक्त होते हैं।

उदाहरण

1. आत्मा — अभौतिक, तत्त्व, जिसका कभी नाश न हो।
2. अज्ञेय — जो जाना न जा सके।
3. अधिवेशन — किसी विषय पर आयोजित अस्थायी सभा।
4. सभापति — सभा का प्रधान।
5. अनुग्रह — छोटे व्यक्ति के लिए किया जाने वाला उपकार।
6. आसक्ति — मोहजनित प्रेम।
7. अनुरोध — दूसरों से की जाने वाली प्रार्थना।
8. अन्वेषण — अज्ञात वस्तु की खोज।
9. पाप — नैतिक नियमों का उल्लंघन।
10. किसान — खेती करने वाले।
11. घमंड — अपने को बड़ा समझने की भावना।
12. पूजा — भक्तिपूर्ण उपासना।
13. अलौकिक — असाधारण।
14. आयु — जीवन की अवधि।
15. आज्ञा — बड़े व्यक्तियों द्वारा दिया गया निर्देश।
16. पूजनीय — पिता-गुरु-सम्मानीय पुरुषों के प्रति सम्मानपूर्वक शब्द।
17. अनाथ — जिसकी देख-रेख करने वाला कोई न हो।
18. आराधना — इष्टदेव के प्रति की गई पूजा या अर्चना।
19. समालोचना — किसी विषय के गुण-दोषों का सम्यक् विवेचन।
20. हर्ष — आनंद।
21. कामना — वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा।
22. द्वेष — शत्रुता।
23. स्पर्धा — दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा।
24. उदाहरण — किसी नियम के विषय में दिया गया दृष्टांत।

25. उद्योग — उद्यम, कुछ काम करने का प्रयत्न।
26. पौरुष — वीरतापूर्ण कार्य करने की क्षमता, पुरुष के गुण।
27. कंगाल — पेट पालने के लिए भीख माँगने वाला।
28. दीन — दरिद्र।
29. करुणा — दुखियों प्रति दया।
30. कर्तव्य — करने लायक कार्य।
31. पीड़ा — दुख, कष्ट।
32. ग्लानि — पश्चात्ताप में पछतावे की भावना।
33. कुशल — निपुण।
34. अभिनेत्री — अभिनय करने वाली स्त्री।
35. पत्नी — किसी की विवाहिता स्त्री।
36. स्त्री — कोई भी साधारण नारी।
37. पर्यटन — चारों ओर घूमना, भ्रमण।
38. भ्रमण — घूमना-फिरना।
39. पुत्र — अपना बेटा।
40. बालक — कोई भी लड़का।
41. प्रेम — अनुराग की भावना।
42. स्नेह — छोटे के प्रति अनुराग की भावना।
43. भ्रम — भूल।
44. संदेह — अनिश्चित समय तक की उलझन।
45. मित्र — सखा, दोस्त।
46. बंधु — स्वजन, भाई।

अनेकार्थक शब्द

भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं, जिनके अनेक अर्थ होते हैं। जैसे —

मैं आम खाता हूँ। (आम - फल)

आम जनता को मालूम है कि रिश्वत से काम बनता है।

(आम - सर्वसाधाराण)

अन्य उदाहरण

अंक — संख्या, गोद, नाटक के अंक, गिनती के अंक।
अर्थ — धन, कारण, मतलब, लिए।
अक्षर — ब्रह्म, वर्ण, अमर।
अंबर — आकाश, गगन, कपड़ा।
अमृत — जल, दूध, जिससे मृत्यु न हो।
अग्र — आगे, सिर, मुख्य, श्रेष्ठ।
अरुण — लाला, सूर्य, सिंदूर।
अतर — फर्क, फासला, आत्मा, अवधि।
उत्तर — उत्तर दिशा, हल, बाद का।
कटाक्ष — तिरछी नजर, व्यंग्य, आक्षेप।

कर — हाथ, टैक्स, किरण, कर, प्रत्यय।
कोट — ऊँची दीवार, पहनने का कोट।
खर — गधा, दुष्ट, एक राक्षस, तिनका, तेज।
खग — पक्षी, तारा, वायु।
खल — दुष्ट, नीच।
गति — चाल, दशा, मोक्ष, प्रवाह।
घन — मेघ, घना।
जीवन — जिंदगी, प्राण, जीविका।
जलज — कमल, चंद्रमा, मछली, जल के प्राणी।
ताल — हाथ की हथेली, संगीत का ताल, तालाब।
ठाकुर — पूज्य देवता, क्षत्रिय जाति, रसोइया।
द्विज — ब्राह्मण, पक्षी, चंद्रमा।
तारा — नक्षत्र, भाग्य, आँख की पुतली, बाली की स्त्री।
दंड — डंडा, सजा।
पक्ष — तरफ, पीछे, 14 दिन की अवधि।
पद — पैर, डग, स्थान, ओहदा, पद्य का चरण।
पानी — जल, इज्जत, चमक।
मधु — शहद, शराब, वसंत ऋतु।
फल — पेड़ का फल, नतीजा, संतान, बदला, तीर का अग्रभाग।
भूत — अतीत काल, प्राणी, प्रेत जगत।
रस — स्वाद , सार, आनंद, द्रव, उमंग।
वर्ण — रंग, जाति, शब्द।
सर — तालाब, सिर, महाशय (अंग्रेजी)।
हंस - एक जलपक्षी , प्राण, ब्रह्म, कामदेव।

समानार्थक शब्द

समानार्थक शब्द ही पर्यायवाची शब्द है। एक शब्द के स्थान पर जब उसी अर्थवाला दूसरा शब्द आए तो ऐसे शब्दों को समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे-

अध्यापक पढ़ा रहे हैं।
शिक्षक पढ़ा रहे हैं।

अध्यापक और शिक्षक समान अर्थवाले शब्द हैं। एक के स्थान पर दूसरा आ सकता है, इसलिए 'अध्यापक ' शब्द का 'शिक्षक' पर्यायवाची शब्द हुआ।

अन्य उदाहरण

अरण्य - जंगल, विपिन, वन, कानन, अटवी।
असुर - दनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर, शुक्रशिष्य, दितिसुत।
आँख - नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु, दृष्टि।
आकाश - व्योम, गगन, अंबर, नभ, आसमान, अनंत, अंतरिक्ष, शून्य।
आनंद - मोद, प्रमोद, मुद, हर्ष, आमोद, सुख, प्रसन्नता, उल्लास, आह्लाद।
इच्छा - आकांक्षा, अभिलाषा, चाह, कामना, मनोरथ, वांछा, कांक्षा, लिप्सा, मन।

कपड़ा – वस्त्र, पट, वसन, अंबर, चीर।
कमल – सरोज, नीरज, जलज, इंदीवर, पंकज, सरसिज, पद्म, नलिन, कंज, राजीव, शतदल, अंबुज।
गदहा – खर, गधा, गर्दभ।
घर – निकेतन, गृह, भवन, सदन, आलय, मंदिर, आवास, वास, कुटी, शाला, आयतन, गेह, धाम।
चंद्र – चाँद, चंद्रमा, सुधाकर, शशि, राकापति, इंदु, राकेश।
जल – पानी, नीर, अंबु, वारि, अमृत, जीवन, धन, रस, तोय।
दुख – पीड़ा, यंत्रणा, कष्ट, क्षोभ, संकट, शोक, पीर, वेदना।
धन – द्रव्य, संपत्ति, संपदा, वित्त, दौलत, अर्थ, विभूति।
पंडित – विद्वान, कोविद, कवि, मनीषी, प्राज्ञ।
पक्षी – चिड़िया, खग, पखेरू, विहंग, अंडज, द्विज।
पति – भर्तार, स्वामी, वल्लभ, साजन, प्रियतम।
पत्नी – अर्द्धांगिनी, भार्या, सहधर्मिणी, गृहिणी, तिय, बहू, दारा, प्राणप्रिया, जीवन-संगिनी, जोरू, कांता, लुगाई, स्त्री, औरत।
पुत्र – बेटा, सुत, आत्मज, नंदन, लड़का, तनय, छोकरा।
पुत्री – बेटी, सुता, आत्मजा, नंदिनी, लड़की, तनया, छोकरी, दुहिता।
पुष्प – फूल, सुमन, प्रसून, कुसुम, पुहुप।
पृथ्वी – भूमि, भू, धरा, धरती, वसुधा, वसुंधरा, अवनि, मेदिनी, अदला, मही, विश्वंभरा, माता।
बिजली – विद्युत, दामिनी, बिजुरी, चपला, चंचला।
मेघ – बादल, पयोधर, घन, वारिद, नीरद, अंबुद।
राजा – नृप, भूप, नरपति, नरेश, राव, सम्राट, भूपेश।
रात्रि – निशा, रैन, रजनी, रात, यामिनी, विभावरी।
वृक्ष – पेड़, तरु, विटप, द्रुम, गाछ, पादप।
समूह – समुदाय, वृंद, गण, संघ, राशि, समुच्चय, दल, झुंड, टोली, मंडली, जत्था।
सुंदर – रम्य, सुहावना, मनोहर, मंजुल, रमणीक, मनभावन, अभिराम, ललित, कमनीय, चारु, खूबसूरत, उत्तम।
हवा – वायु, वात, बयार, समीर, अनिल, पवन, श्वसन।
पत्थर – प्रस्तर, पाषाण, पाहन, शिला।
पर्वत – पहाड़, गिरि, भूमिधर, शैल, अचल।
देवता – सुर, देव, अमर, आदित्य।
चतुर – योग्य, विज्ञ, होशियार, निपुण, प्रवीण, पटु, सयाना, कुशल, दक्ष।
दास – नौकर, चाकर, सेवक, परिचारक, भृत्य।

विपरीतार्थक शब्द

एक-दूसरे के प्रतिकूल (उलटा) अर्थ वाले शब्द परस्पर विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण –

शब्द	विपरीतार्थक शब्द	शब्द	विपरीतार्थक शब्द
अंत	आदि	अच्छा	बुरा
अंतरंग	बहिरंग	अतिवृष्टि	अनावृष्टि
अंतर्मुखी	बहिर्मुखी	अधुनातन	पुरातन
अंधकार	प्रकाश	आय	व्यय
अगला	पिछला	आयात	निर्यात

अनाथ	सनाथ	आरंभ	अंत
अनुकूल	प्रतिकूल	आवश्यक	अनावश्यक
अपना	पराया	आशा	निराशा
अपमान	सम्मान	आस्तिक	नास्तिक
अपेक्षा	उपेक्षा	इच्छा	अनिच्छा
अमावस्या	पूर्णिमा	उच्च	निम्न
अमृत	विष	उत्कर्ष	अपकर्ष
अल्पज्ञ	बहुज्ञ	उत्तम	अधम
अल्पसंख्यक	बहुसंख्यक	उत्थान	पतन
अल्पायु	दीर्घायु	उदार	अनुदार
अवनति	उन्नति	उधार	नगद
अस्त	उदय	उपयोगी	अनुपयोगी
आकर्षण	विकर्षण	उपसर्ग	प्रत्यय
आगम	निगम	उपस्थित	अनुपस्थित
आगामी	विगत	कनिष्ठ	ज्येष्ठ
आचार	अनाचार	कपूत	सपूत
आदान	प्रदान	कृत्रिम	अकृत्रिम
आधार	निराधार	क्रय	विक्रय
भीतर	बाहर	नैतिक	अनैतिक
आमिष	निरामिष	न्याय	अन्याय
क्षणिक	शाश्वत	पाश्चात्य	प्राच्य
क्षमा	दंड	प्रत्यक्ष	परोक्ष
खंडन	मंडन	प्रारंभिक	अंतिम
खीझना	रीझना	भौतिक	आध्यात्मिक
गरीब	अमीर	महात्मा	दुरात्मा
गुरु	लघु	मनुज	दनुज
ग्रामीण	नागरिक, शहरी	यथार्थ	कल्पित
घटाना	बढ़ाना	योग	वियोग
चढ़ाना	उतारना	योगी	भोगी
चेतन	अचेतन	रक्षक	भक्षक
क्षत	अक्षत	विधवा	सधवा
जड़	चेतन	विमुख	सम्मुख
जन्म	मृत्यु	व्यावहारिक	सैद्धांत्मिक
जवानी	बुढ़ापा	शांति	अशांति
तारीफ	शिकायत	श्रव्य	दृश्य
दुराचारी	सदाचारी	सगुण	निर्गुण
नकली	असली	सज्जन	दुर्जन
निगलता	उगलता	सहयोगी	प्रतियोगी
निरक्षर	साक्षर	हिंसा	अहिंसा

विशेष शब्द-समूह

वाक्य में विशेष शब्द-समूह के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली और समृद्ध बनती है। ये शब्द-समूह भाषा-रचना की दृष्टि से विशेष महत्व है। जैसे-

सोमेश्वर आजकल मारा-मारा फिर रहा है।

मैं घर-घर घूमता रहा।

अब मैं एक-एक को देख लूँगा।

ऊपर के वाक्यों में मारा-मारा, घर-घर, एक-एक विशेष शब्द-समूह हैं।

अन्य उदाहरण

1. अच्छा से अच्छा (विशेषण)
   अच्छा से अच्छा खाना भी उनको पसंद नहीं आता।

अन्य उदाहरण

बुरा से बुरा
कम से कम
अधिक से अधिक
बढ़िया से बढ़िया
कमजोर से कमजोर

2. गुवाहाटी से आगरा (क्रिया-विशेषण)
   मैं गुवाहाटी से आगरा तक गया हूँ।

अन्य उदाहरण

यहाँ से वहाँ
इधर से उधर
उत्तर से दक्षिण
अफसर से चपरासी
कहाँ से कहाँ

3. पढ़-पढ़ कर (क्रिया-विशेषण)
   वह पढ़-पढ़ कर कमजोर हो गया।

अन्य उदाहरण

रो-रो कर, दौड़-दौड़ कर, खा-खा कर, पी-पी कर, चल-चल कर, मार-मार कर आदि।

4. जाते हुए (क्रिया-विशेषण)
   मैने राम को जाते हुए देखा।

अन्य उदाहरण

सोते हुए, रोते हुए, पढ़ते हुए।

5. पढ़ने वाला (क्रियार्थक-विशेषण)
   मुझे हिंदी पढ़ने वाला कोई नहीं है।

अन्य उदाहरण

सुलाने वाला, सोने वाला, लेने वाला, हँसाने वाला।

6. धोती वाला (संज्ञा-विशेषण)
   वह धोती वाला आदमी कहाँ गया है?

अन्य उदाहरण

जूते वाला, चश्मे वाला, लंबे वाला, सुंदर आँखों वाली।

7. द्वार-द्वार (हिंदी शब्द)
   मै द्वार-द्वार भटकता रहा।

अन्य उदाहरण

शहर-शहर, जंगल-जंगल, गली-गली, पठार-पठार

8. कभी न कभी (अनिश्चयवाचक)
   आप मेरे गाँव में कभी न कभी तो आएँगे।

अन्य उदाहरण

कहीं न कहीं, कोई न कोई, किसी न किसी, कुछ न कुछ।

9. ऐसा न हो कि -
   ऐसा न हो कि राम असफल हो जाए।

10. हद होना (बहुत ज्यादा होना)
    झूठ की भी हद होती है।

अभ्यास

1. भाषा की रचना के लिए कौन-कौन से तत्त्व जरूरी हैं?
2. वाक्य में शब्द-समूह से हमें क्या मिलता है?

(अ) इन शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द बनाओ :
कल, दिन, आदमी, खाना, सोना, पढ़ना, लड़का

(आ) समानार्थी शब्द बनाओ
अध्यापक, विद्यार्थी, घर, वृक्ष, पुस्तक, मित्र, ग्राम, फूल, आँख, कान, पक्षी

(इ) इन शब्द-समूहों के लिए एक-एक शब्द बनाओ :
पढ़ाने वाला आदमी, खूब तैरने वाला,
पड़ने वाले लड़के, पूजा करने वाला,
सभा का मुखिया, गाँव का मुखिया,
स्कूल का मुखिया।

(ई) इनको अपने वाक्यों में प्रयोग करो :
झट-पट, जंगल-जंगल, धीरे-धीरे, खा-खा कर, रात भर, कम से कम

(उ) वाक्य गठन के अनुसार वाक्यों को पूरा करो :
न तो..... नहीं .....। जैसे ..... वैसे .....।
जहाँ ..... वहाँ ..... । उधर ..... जिधर।

हिंदी की कुछ लोकोक्तियाँ और मुहावरे

लोकोक्तियाँ

	लोकोक्ति	अर्थ
1.	अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता।	(अकेला आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता)
2.	अधजल गगरी छलकत जाए।	(कम ज्ञान वाला खुद की प्रशंसा करता है)
3.	अंधा क्या चाहे दो आँखें।	(जिस वस्तु की जरूरत हो यदि वह मिल जाए तो बस सब कुछ मिल गया)
4.	अंधा पीसे कुत्ता खाए।	(कमाने वाला कोई और खाने वाला दूसरा)
5.	अंधों में काना राजा।	(मूर्खों के बीच थोड़ी बुद्धि वाले को इज्जत मिलती है)
6.	अपनी गली में कुत्ता शेर।	(अपने मकान में डरपोक भी बहादुर होता है)
7.	अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गयी खेत।	(काम बिगड़ने के बाद पछताने से कोई लाभ नहीं)
8.	अक्ल बड़ी या भैंस।	(बल से बुद्धि बड़ी होती है)
9.	आगे कुआँ और पीछे खाई।	(दोनों ओर दुविधा)
10.	आप भले तो जग भला।	(अच्छे आदमी के साथ अच्छा बर्ताव ही होता है)
11.	आम का आम गुठलियों का दाम।	(दोनों तरह से लाभ)
12.	उल्टा चोर कोतवाल को डाँटे।	(अपराधी निरपराध को डाँटता है)
13.	ऊँची दुकान फीका पकवान।	(नाम बड़ा परंतु काम छोटा)
14.	ऊँट के मुँह में जीरा।	(पेट के अनुसार भोजन न मिलना)
15.	उधो का लेना न माधो का देना।	(सब झगड़ों से अलग)
16.	एक अनार सौ बीमार।	(वस्तु कम, माँग ज्यादा)
17.	एक पंथ दो काज।	(एक ही उपाय से दो काम करना)
18.	एक हाथ से ताली नहीं बजती।	(दोनों ओर से क्रिया होती है, तभी कोई घटना होती है)
19.	ओछे की प्रीत बालू की भीत	(बुरे आदमी से दोस्ती करना खतरनाक है)
20.	बंदूक से छूटी हुई गोली और मुँह से निकली बात वापस नहीं आती।	(वाक्-संयम आवश्यक है)
21.	खग जाने खग ही की भाषा।	(जो जिसके साथ रहता है वही उसके विचारों से परिचित है)
22.	खोदा पहाड़ निकली चुहिया।	(परिश्रम बहुत, फल थोड़ा)
23.	घर की मुर्गी दाल बराबर।	(घर की चीज की इज्जत न करना)
24.	चट मंगनी पट ब्याह।	(काम जल्दी हो जाना)
25.	चलती का नाम गाड़ी है।	(जब तक हाथ-पाँव चलते-फिरते हैं आदमी के काम भी होते हैं)
26.	चाम प्यारा नहीं काम प्यारा है।	(सूरत की इज्जत नहीं, काम की होती है)
27.	चिकना मुँह सब चाटते हैं।	(बड़े लोगों की खुशामद सब करते हैं)
28.	चोर-चोर मौसेरे भाई।	(एक ही काम करने वाले)
29.	जाको राखे साइयाँ, मार सके न कोय।	(ईश्वर ही सबसे बड़ा रक्षक है)
30.	जो बोओगे सो काटोगे।	(जैसा करोगे वैसा पाओगे।)

मुहावरे

	मुहावरा		अर्थ
1.	अंगूठा दिखाना	=	इनकार करना।

इस दयनीय अवस्था में आज बड़े भाई ने अंगूठा दिखा दिया।

2.	अंतड़ियों में बल पड़ना	=	पेट दुखने लगना।

आपकी विनोदपूर्ण बातें सुन कर तो हमारी अंतड़ियों में बल पड़ने लगा है।

3.	अंधे की लकड़ी	=	एकमात्र सहारा।

यह मेरी छोटी -सी दुकान ही मेरे लिए अंधे की लकड़ी है।

4.	अक्ल का दुश्मन	=	मूर्ख।

हरिमोहन तो अक्ल का दुश्मन है।

5.	अगर-मगर करना	=	व्यर्थ की बातें करना।

देखो मित्र, मेरे पैसे दे दो, अगर-मगर मत करो।

6.	अपना उल्लू सीधा करना	=	अपना काम निकालना।

तुम मीठी बातें करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हो?

7.	अपने पैरों पर खड़ा होना	=	स्वावलंबी होना।

पहले मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँ तब शादी करूँगा।

8.	आग बबूला होना	=	गुस्से से लाल होना।

अरे भाई! तुम तो जरा सी बात में ही आग बबूला हो गए।

9.	आग में घी डालना	=	झगड़ा बढ़ाना।

मोहन बात यही समाप्त करो और क्यों आग में घी डाल रहे हो।

10.	आपे से बाहर होना	=	बहुत गुस्से में आना।

मैंने लीलाधर को चोरी करने से मना किया तो वह आपे से बाहर गया।

11.	ईंट का जवाब पत्थर से देना	=	दुष्ट के साथ दुगुनी दुष्टता करना।

बदमाश को तो ईंट का जवाब पत्थर से ही देना चाहिए।

12.	ईद का चाँद होना	=	बहुत दिनों के बाद दिखाई देना।

आजकल सतीश तो ईद चाँद हो रहा है।

13.	उन्नीस बीस होना	=	अधिक अंतर नहीं, लगभग, बराबर।

मीना और लीना आपस में उन्नीस-बीस हैं।

14.	उल्लू बनाना	=	मूर्ख बनाना।

आपने मोहन को आज अच्छा उल्लू बनाया।

15.	कागजी घोड़ा दौड़ाना	=	केवल लिखा पढ़ी करना।

सुनो मित्र-कागजी घोड़ा दौड़ाने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें खुद साहब के पास जाना चाहिए।

16.	काम तमाम करना	=	मार डालना।

पुलिस ने दो का काम तमाम कर दिया।

17.	किताबी कीड़ा	=	सदा पुस्तक पढ़ने वाला।

उमेश तो आजकल किताबी कीड़ा बन गया है।

18. खाक छानना = मारा-मारा फिरना।
आजकल बी.ए. पास होने पर भी खाक छाननी पड़ती है।
19. खून का प्यासा = जान का दुश्मन।
आजकल भाई-भाई ही आपस में खून के प्यासे हो जाते हैं।
20. घाट-घाट का पानी पीना = जगह-जगह रहना।
गणेश को आप क्या सिखाएँगे, वह तो घाट-घाट का पानी पी चुका है।
21. घाव पर नमक छिड़कना = दुखी को और दुखी करना।
मैं तो परीक्षा में फेल हो चुका हूँ और तुम घाव पर नमक क्यों छिड़क रहे हो?
22. घुटने टेक देना = हार मानना।
पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए।
23. चंपत हो जाना = भाग जाना।
चोर चोरी करके चंपत हो गया।
24. चुल्लू भर पानी में डूब मरना = अधिक लज्जित होना।
तुमने चोरी करके खानदान का नाम बदनाम कर दिया।
अब चुल्लू भर पानी में डूब मरो।
25. छक्के छुड़ाना = परेशान कर देना।
असम की फुटबॉल टीम ने पंजाब की फुटबॉल टीम के छक्के छुड़ा दिए।
26. छान मारना = अच्छी तरह खोजना।
मैंने सब जगह छान मारा, किंतु कहीं नौकरी नही मिली।
27. जान पर खेलना = प्राण संकट में डालना।
परेश ने अपनी जान पर खेल कर बच्चे को ब्रह्मपुत्र में से निकाल लिया।
28. टपक पड़ना = अकस्मात् आ जाना।
हरीश, तुम यहाँ कहाँ से टपक पड़े।
29. टुकड़े तोड़ना = दूसरे की कमाई पर पलना।
भाई, अब टुकड़े तोड़ने से लाभ नहीं, कुछ काम करो।
30. टूट पड़ना = एकाएक हमला करना।
लाचित सेना मुगल सेना पर एकाएक टूट पड़ी।
31. ठोकर खाना = मुसीबत उठाना।
ठोकर खाने से ही ज्ञान मिलता है।
32. तन-मन से = पूरे ध्यान से।
तन-मन से पढ़ोगे तो पास हो जाओगे।
33. दंग रह जाना = चकित रह जाना।
उसका खेल देख कर मैं तो दंग रह गया।
34. दिन फिरना = सुख के दिन आना।
लॉटरी के रुपये मिलने से अब तो मेरी दिन फिर गए।
35. धोती ढीली होना = डर जाना।
पिताजी की डाँट से मेरी धोती ढीली हो गई।

अभ्यास

1. नीचे लिखी लोकोक्तियों को अपने वाक्यों में प्रयोग करो :

   अंधों में काना राजा । अक्ल बड़ी या भैंस । आप भले तो जग भला । एक पंथ दो काज। चोर-चोर मौसेरे भाई। अपनी गली में कुत्ता शेर।

2. नीचे लिखे मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग करो :

   खाक छानना। चंपत हो जाना। टूट पड़ना। तन-मन से। दिन फिरना। ठोकर खाना।

अनुवाद कला और उनके प्रकार

1. अनुवाद क्या है ?

   अनुवाद का अर्थ है रूपांतरण या भाषांतरण। अर्थात् एक भाषा के विचारों को दूसरों भाषा में बदल देना ही अनुवाद है।

   परिभाषा-''किसी एक भाषा के भाव का दूसरी भाषा में प्रकट करने का नाम ही अनुवाद है।''

2. अनुवाद के प्रकार :

   अनुवाद मुख्यत: तीन प्रकार के होते हैं -

   (अ) **शब्दानुवाद** - इसमें शब्दों के बदले शब्द और वाक्यों के बदले भावों को प्रकट रखना चाहिए।

   (आ) **भावानुवाद** - इसमें भाव की प्रधानता रहती है। लेखक के भावों को प्रकट करने के लिए भाषा के शब्दों या वाक्यों को घटाया-बढ़ाया या बदला जा सकता है, परंतु भाव की रक्षा की जाती है।

   (इ) **स्वतंत्र अनुवाद** - इसे छायानुवाद भी कहते हैं। इसमें मूल भाव का अध्ययन करके स्वेच्छानुसार तोड़-मरोड़ कर अनुवाद किया जाता है। इसलिए इस प्रकार के अनुवाद में बहुत परिवर्तन होने से वह रचना मौलिक-सी हो जाती है।

   इन तीनों अनुवादों में दूसरे अनुवाद का ढंग अच्छा है, क्योंकि हम भावों या विचारों को जानने के लिए ही अनुवाद करते हैं। और इसकी प्राप्ति हमें अनुवाद के दूसरे प्रकार से ही होती है।

3. अनुवाद के लिए आवश्यक जानकारियाँ :

   जब हम किसी भाषा की रचना को अपनी भाषा में रूपांतरित करें तो निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए -

   (अ) सर्वप्रथम अनुवाद की जाने वाली रचना ध्यान से पढ़ कर कठिन शब्दों का रेखांकित कर लेना चाहिए।

   (आ) अनुवाद की भाषा व्याकरण सम्मत और प्रकृति के अनुरूप होनी चाहिए।

   (इ) भाव को स्पष्ट करने के लिए अनुवाद के प्रचलित भाषा रूपों को ही महत्व देना चाहिए।

   (ई) अनुवाद की भाषा में भी शब्द-क्रम, वाक्य-क्रम या ध्वनि-क्रम अपनाना चाहिए।

   (उ) मूल रचना के जटिल वाक्यों को सरल वाक्य में बदल देना चाहिए।

   (ऊ) भाव की स्पष्टता के लिए अनुवाद की भाषा में कुछ शब्द या वाक्य जोड़ देना चाहिए या आवश्यकता पड़े तो मूल रचना के शब्दों को छोड़ देना चाहिए।

अभ्यास

(क) हिंदी से मातृभाषा में अनुवाद करो :

(1) कामाख्या देवी का मंदिर गुवाहाटी के नीलाचल पहाड़ पर अवस्थित है। इसके बिलकुल किनारे ही महाबाहु बहता है। पहाड़ की एक चोटी पर शिवजी का मंदिर है। यह पहाड़ जमीन से करीब डेढ़ मील ऊँचा है। कामाख्या पहाड़ के ऊपर से देखने पर गुवाहाटी नगर बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है।

(2) असमीया के 'बिहु' उत्सव की विशेषता है कि यह बिलकुल असांप्रदायिक है। इसे असम में बसी हुई सभी जाति, धर्म-समाज, संप्रदाय के लोग एक साथ मना सकते हैं। 'बिहु' असमीया जाति की एकता का प्रतीक है।

(ख) अनुवाद से तुम क्या समझते हो?

(ग) अनुवाद कितने प्रकार के होते हैं?

(घ) अनुवाद करते समय किन-किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए?

सारांश-लेखन

1. सारांश लेखन का अर्थ :

लेखक अपने भावों या विचारों को कई प्रकार की शैलियों में व्यक्त करता है। लेखक के विचारों को संक्षेप में लिखना ही सारांश-लेखन है।

2. सारांश-लेखन के लिए आवश्यक बातें :

(अ) सारांश, मूल रूप का तृतीयांश होना चाहिए, इसमें अलग से कोई नई बात जोड़नी नहीं चाहिए।

(आ) सारांश में स्पष्टता होनी चाहिए, जिससे सारांश को पढ़ते समय भाव को सरल रूप ग्रहण किया जा सके।

(इ) मूल भाव को संक्षिप्त रूप में क्रमिक ढंग से रख कर सारांश लिखना चाहिए।

(ई) सारांश लिखते समय सरल और उपयुक्त भाषा का प्रयोग करना चाहिए। क्लिष्ट, सामासिक और आंलकारिक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

(उ) सारांश की भाषा प्रांजल, एकार्थक, स्पष्ट और प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए।

(ऊ) सारांश लिखते समय मूल अंश को बार-बार पढ़ना चाहिए और मूल भाव या स्थल को रेखांकित करना चाहिए। तत्पश्चात मूल अंश के सारांश को सरल भाषा में लिखना चाहिए।

(ए) सारांश का शीर्षक भी लिखना चाहिए।

3. सारांश-लेखन के कुछ उदाहरण

(अ) मूल अंश :

ज्ञान-राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। सब तरह के भावों को प्रकट करने की योग्यता रखने वाली और निर्दोष होने पर भी, यदि कोई भाषा अपने निज का कोई साहित्य नहीं रखती तो वह रूपवती भिखारिन की तरह कदापि आदरणीय नहीं हो सकती। उसकी शोभा, उसकी श्री-संपन्नता, उसकी मान-मर्यादा, उसके साहित्य पर ही अवलंबित रहती है। सामाजिक शक्ति या सजीवता, सामाजिक आसक्ति या निर्जीवता और सामाजिक सभ्यता तथा असभ्यता का निर्णायक एक मात्र साहित्य ही है। जिस जाति-विशेष में साहित्य का अभाव रहा या उसकी न्यूनता आपको दिखाई पड़े तो आप निस्संदेह निश्चित समझिए कि यह जाति असभ्य किंबा अपूर्ण सभ्य है। जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसे होती है, उसका साहित्य भी वैसा ही होता है। जातियों की क्षमता और सजीवता यदि कहीं प्रत्यक्ष देखने को मिल सकती है तो उसके साहित्य रूपी आईने में ही मिल सकती है।

मूल अंश का सारांश :

साहित्य का महत्व

किसी जाति या राष्ट्र का ज्ञान उसके साहित्य में संचित रहता है। प्रत्येक भाषा का साहित्य होना चाहिए। साहित्य से किसी देश या जाति को ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक स्थिति का पता चलता है। इससे उसकी सभ्यता, संस्कृति और मनोभाव का परिचय भी मिलता है। वस्तुत: साहित्य समाज या जाति का दर्पण है।

(आ) मूल अंश :

विद्यार्थी आत्मा पर संस्कार डालने में गांधीजी को बड़ा परिश्रम करना पड़ा। उन्होंने उसकी आत्मिक शिक्षा के लिए धार्मिक पुस्तकों का बहुत कम आश्रय लिया था। धार्मिक मूल तत्वों को समझ लेना तथा धर्म-ग्रंथों का साधारण ज्ञान होना विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त है। परंतु आत्मा की शिक्षा कुछ और ही है। आत्मा का विकास करना, चरित्र-निर्माण करना, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना, आत्मज्ञान संपादन करना हैं। गांधीजी के सामने प्रश्न यह था कि आत्मिक शिक्षा कैसे दी जाए। इसके लिए उन्होंने विद्यार्थियों से भजन गवाना शुरू किया। नीति की पुस्तकें पढ़ कर सुनाईं, परंतु फिर भी उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। जैसे-जैसे वे विद्यार्थियों से परिचित हुए, वैसे-वैसे उन्हें मालूम हुआ कि यह पुस्तकों द्वारा नहीं हो सकता। जैसे शारीरिक शिक्षा कसरत द्वारा और बौद्धिक शिक्षा बुद्धि द्वारा ही दी जा सकती है, वैसे ही आत्मिक शिक्षक का आचरण है। सावधान शिक्षक अपने आचरणों से शिष्यों की आत्मा को हिला सकता है।

मूल अंश का सारांश :

आत्मिक शिक्षा

गांधीजी ने विद्यार्थियों को आत्मिक शिक्षा प्रदान करने के लिए अनेक प्रयोग किए। उनके अनुसार अपनी आत्मा का विकास करना और अपने चरित्र का निर्माण करना ही आत्मिक शिक्षा है। भजन गाने, पूजा करने या नीति की पुस्तक पढ़ने-पढ़ाने से अधिक लाभ नहीं होता। केवल शिक्षक अपने शुद्ध आचरण से ही विद्यार्थियों की आत्मिक शिक्षा प्रदान कर सकता है।

(इ) मूल अंश :

भारत में अनेक प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। उत्तर भारत के दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, दक्षिण भारत का ओणम, महाराष्ट्र का पलो, पंजाब का लोहड़ी आदि त्योहार दुनिया में प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार बिहु त्योहार भी खुशियों का त्योहार है। त्योहार हमें आनंद और एकता का संदेश देते हैं। प्रत्येक भारतीय के हृदय में त्योहारों के प्रति आत्मीयता और श्रद्धा है। प्रत्येक त्योहार के साथ एक न

एक शिक्षा जुड़ी रहती है। अत: त्योहार पवित्रता और जागृति के प्रतीक भी है। त्योहारों में हमारी भारतीय संस्कृति छिपी रहती है। अत: हमें भारतीय त्योहारों के प्रति पवित्र भावना रखनी चाहिए। चाहे बंगाल, पंजाब या महाराष्ट्र का त्योहार हो या चाहे मद्रास का त्योहार हो, सभी त्योहार हमारे हैं, क्योंकि ये सभी भारतीय त्योहार हैं। ईद और क्रिसमस भी हमारे त्योहार हैं। ये सब भारत की निधि हैं।

मूल अंश का सारांश :

त्योहारों का देश भारत

भारत में वर्ष भर कोई-न-कोई त्योहार मनाया जाता रहता है। भारतीय लोगों में त्योहार के प्रति आस्था है, क्योंकि त्योहार से हमें पवित्रता और एकता की शिक्षा मिलती है और ये हमारी संस्कृति के रक्षक हैं। अत: हमारा कर्तव्य है कि प्रत्येक त्योहार के प्रति सद्‌भावना रखें और 'त्योहार का देश भारत' को विश्व में महान बनाए।

अभ्यास

1. सारांश-लेखन से तुम क्या समझते हो?
2. सारांश-लेखन में किन-किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए?
3. सारांश-लेखन से क्या लाभ है?
4. निम्नलिखित अंश का सारांश लिखो-

''प्रत्येक मनुष्य के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। यदि तुम्हारा कोई उद्देश्य नहीं तो तुम जीवन में सफल न होगे। 'क्या करोगे' इसको तुम्हें जानना आवश्यक है। उद्देश्यहीन मनुष्य बिना पतवार की नाव की तरह है। विभिन्न मनुष्यों के विभिन्न उद्देश्य होते हैं। कुछ लोग धन कमाना चाहते हैं। विद्यार्थियों का उद्देस्य 'देश सेवा ' होना चाहिए। भारत एक निर्धन देश है। वहाँ के किसान, बच्चे सरल और पवित्र हैं। वे भूमि में श्रम करके भी अच्छी मजदूरी नहीं निकाल पाते। विद्यार्थीगण उन्हें योग्य और सफल किसान बनाने का उद्योग कर सकते हैं।''

पत्र-लेखन

पत्र-लेखन का महत्व :

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रह कर वह प्रतिदिन समाज के कार्यकलापों में भाग लेता है। समाज के लोगों से विचारों का आदान-प्रदान करता है। विचारों का आदान-प्रदान वह तीन रूपों में करता है।

1. प्रत्यक्ष बोल कर।
2. विभिन्न प्रकार के संकेतों द्वारा।
3. लिख कर।

आधुनिक युग मशीनों और कागज का युग है। हमारा संबंध भी अब सारे पृथ्वी के लोगों से हो गया है, क्योंकि विज्ञान ने इस संसार को एक छोटा-सा परिवार जैसा बना दिया। अत: हम कम समय में दूर के लोगों से विचारों का आदान-प्रदान केवल कागज पर लिख कर ही कर सकते हैं। पत्र-लेखन को ही पत्रचार या पत्र-व्यवहार कहते हैं।

(अ) पत्रों के प्रकार

पत्र प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं –

1. निजी पत्र (गैर सरकारी)
2. व्यावसायिक पत्र (सरकारी)

निजी पत्र के अंतर्गत कई प्रकार के पत्र आते हैं। जैसे–

1. वैयक्तिक पत्र 2. पारिवारिक पत्र 3. सामाजिक पत्र 4. बधाई पत्र 5. निमंत्रण पत्र 6. परिचय पत्र 7. प्रशंसा पत्र 8. शोक पत्र 9. आवेदन पत्र।

(आ) निजी पत्रों की विशेषताएँ

1. ये पत्र पिता–भाई आदि पारिवारिक लोगों के साथ एवं गुरु, मित्र और संबंधियों को लिखे जाते हैं।
2. ये पत्र अनौपचारिक और आत्मीयतापूर्ण होते हैं।
3. इन पत्रों में प्राय: व्यक्तिगत जीवन–संबंधी विषय–वस्तु रहती है।
4. इन पत्रों की भाषा और विचार स्वच्छंदता लिए होते हैं।

(इ) निजी पत्रों का इतिहास और नमूने

निजी पत्र प्राचीन समय से ही किसी न किसी रूप में लिखे जाते रहे हैं। समयानुसार पत्र लिखने की प्रणाली में कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहा।

आजकल दो प्रणालियों से पत्र लिखे जाते हैं।

प्राचीन प्रणाली – इस प्रकार की प्रणाली में ईश्वर का नाम, अनेक उपमाएँ तथा आलंकारिक शब्दावलियों का प्रयोग होता है। यह प्रणाली आजकल पुरानी और अप्रचलित मानी जाती है। हिंदी भाषी प्रदेशों के ग्रामीण लोग आज भी इसका प्रयोग करते हैं, परंतु हमें इस प्रणाली के अनुसार पत्र नहीं लिखना चाहिए।

प्राचीन प्रणाली के एक पत्र का नमूना –

पिता को पत्र

श्री गणेशाय नमः

''सिद्ध श्री 7 अनेक उपमा योग्य'' स्नेह–सागर, प्रयाग शुभ स्थान विद्यमान श्री पिताजी की सेवा में आज्ञाकारी विश्वेश्वर का प्रणाम समूह पहुँचे। मैं आपके आशीर्वाद से सकुशल हूँ। आपके कुशल–वृत्त का श्रीनारायण से आकांक्षा रखता हूँ। वृत्त यह है कि मैं आपके भेजे हुए 50 रु. पा गया। आपके आज्ञानुसार घर आते समय चाँदी लेते आऊँगा।

इति शुभम्।

फागुन बदी 7 संवत् 2070

2. **आधुनिक प्रणाली** – इस प्रकार की प्रणाली में प्रारंभ में ईश्वर का नाम या अनेक उपमा संबंधी शब्दों को छोड़ दिया गया है। केवल आवश्यक और महत्वपूर्ण बातों को ही पत्र में स्थान दिया जाता है। भाषा और भाव सरल व क्रमिक होते हैं। हमें इस प्रणाली के अनुसार ही पत्र लिखना चाहिए।

आधुनिक प्रणाली के पत्र का नमूना

आधुनिक प्रणाली के अनुसार पत्र लिखते समय पत्र को सात भागों में विभाजित कर लिखना चाहिए। प्रत्येक भाग का शीर्षक नीचे पत्र के साथ लिखा गया है, किंतु पत्र लिखने समय शीर्षकों को नहीं लिखना चाहिए।

पिता को पत्र

1. पत्र लिखने वाले का पता और दिनांक

(पत्र की दायीं ओर)
शांति कुटीर, शिलपुखुरी
गुवाहाटी – 3
20/7/15

2. पत्र प्राप्त करने वाले को संबोधन और अभिवादन

(पत्र की बायीं ओर)

पूजनीय पिताजी,

सादर चरण स्पर्श।

3. पत्र का आरंभ

मैं ईश्वर की कृपा से प्रसन्न हूँ। आपका पत्र कल ही मिला। छोटी बहन परीक्षा में पास हो गयी है, यह पढ़कर आनंद हुआ।

4. पत्र का मध्य भाग (मुख्य भाग)

मैं पूजा की छुट्टी में घर आऊँगा, लेकिन पहले ही छात्रावास का शुल्क जमा करना है। इसलिए जल्दी ही सौ रुपए भेज दीजिए।

5. पत्र का अंतिम भाग

माताजी, बड़े भाई को चरण स्पर्श और छोटे भाई-बहन को प्यार। गलतियों के लिए क्षमा कीजिएगा। परिवार का शुभ समाचार जल्दी दीजिएगा।

6. पत्र पाने वाले से संबंध (पत्र की दायीं ओर)

आपका आज्ञाकारी पुत्र
उमेश

7. पत्र पाने वाले का पता (डाक टिकट के नीचे की ओर)

(टिकट)
श्री खगेन चंद्र कलिता
गाँव – डिप्लिंग
पो. – भजो
पिन –
जिला – शिवसागर, (असम)

(ई) पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें

1. पत्र लिखने वाले का पत्र और पत्र लिखने की तारीख पत्र के दाहिने भाग में ऊपर की ओर लिखना चाहिए।
2. पत्र की बायीं ओर ऊपर पत्र पानेवाले के प्रति संबोधन और अभिवादन जरूर लिखना चाहिए।
3. पत्र की विषय-वस्तु को तीन भागों में लिखना चाहिए। भाषा सरल, सुबोध और विचार क्रमिक और स्पष्ट होना चाहिए।
4. पत्र समाप्त होने के बाद पत्र पाने वाले का पत्र लिखने वाले से क्या संबंध है, इसे संक्षेप में पत्र समाप्त होने के बाद पत्र की दाहिनी तरफ नीचे लिखना चाहिए।

5. पत्र पानेवाले का सही पता (नाम, गाँव का नाम, डाकघर का नाम, पिन, जिला और राज्य का नाम) लिखना चाहिए, यदि पता सही नहीं लिखोगे तो पत्र पाने वाले को पत्र नहीं मिलेगा। पता हमेशा डाक टिकट की बगल में या नीचे लिखना चाहिए।

आदर्श पत्र-लेखन में संबोधन-अभिवादन और संबंध बताने वाले शब्दों का व्यवहार किस तरह से करना चाहिए, यह नीचे बताया गया है।

किसके लिए	संबोधन	अभिवादन	सम्बन्ध
1. बढ़ी आयु या ज्ञानी व्यक्तियों के लिए	श्रीमान आदरणीय पूज्यवाद श्रद्धेय पूजनीय पूजनीया	नमस्कार सादर प्रणाम चरण स्पर्श	आज्ञाकारी सेवक सेवक चरणाभिलाषी दर्शनाभिलाषी
2. बराबरवाले व्यक्ति के लिए	श्रीयुत प्रियवर महोदय महाशय मान्यवर	नमस्ते जय हिंद	भवदीय स्नेही, प्रिय मित्र
3. छोटों के लिए	प्रिय चिरंजीव	प्रसन्न रहो खुश रहो	शुभ चिंतक शुभेच्छु, हितैषी

व्यावसायिक या सरकारी पत्र - किसी कार्य या व्यापार को चलाने के लिए कुछ व्यक्तिगत या सामूहिक संघ, कंपनी, या मंडल या सरकार को पत्र भेजे जाते हैं।

सरकारी, अर्द्ध सरकारी और निजी संस्थाओं में विचारों को या समाचारों को भेजने के लिए मर्यादित और संयमित भाषा द्वारा प्रारूप तैयार किए जाते हैं। इन प्रारूपों को ही व्यावसायिक या सरकारी पत्र कहते हैं।

1. व्यावसायिक संस्थाओं या सरकारी विभागों में व्यवहार होने वाले पत्रों को हम 10 भागों में बाँट सकते हैं।

1. सरकारी पत्र, 2. अर्द्ध सरकारी पत्र, 3. स्मरण पत्र 4. कार्यालय ज्ञापन, 5. परिपत्र, 6. अधिसूचना, 7 . प्रेस विज्ञप्ति 9. तार, 10. कार्यालय आदेश।

सरकारी या व्यावसायिक पत्र का नमूना

(शिक्षा सचिव, असम को पत्र)

पत्र-संख्या अ. 203 कामपुर

24.2.2015

प्रेषक - अजय दास
हिंदी शिक्षक
कामपुर हाईस्कूल, कामपुर
जिला-नगाँव, (असम)

प्रति - शिक्षा सचिव, असम सरकार,
शिक्षा विभाग, असम, गुवाहाटी
द्वारा/निदेशक, लोक शिक्षण (असम), गुवाहाटी
द्वारा/जिला शिक्षा निरीक्षक, नगाँव (असम)।

विषय – हिंदी विद्यालय खोलने के संबंध में।

महोदय,

निवेदन यह है कि मैं, अजय दास, हिंदी शिक्षक, कामपुर, असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की 'प्रवीण' परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका हूँ और पिछले सात वर्षों से इस विद्यालय में हिंदी का अध्यापन कर रहा हूँ। यहाँ हिंदी सीखने वाले करीब 50 व्यक्ति हैं। अत: कृपया एक हिंदी विद्यालय खोलने की अनुमति दें। साथ ही इसके लिए उचित धन-राशि स्वीकृत कर हिंदी प्रचार को आगे बढ़ाने में मदद करें।

आपका विश्वासपात्र शिक्षक

अजय दास

सरकारी पत्र के प्रमुख भाग

1. **पत्र संख्या**-कार्यालय का कौन-से नंबर का पत्र आप भेज रहे हैं, उसे लिखें।
2. प्रेषक के कार्यालय का नाम।
3. प्रेषक-(पत्र भेजने वाला) का नाम और पद का नाम व पूरा पता।
4. **प्रेषिती** – (पत्र पाने वाला) का नाम, पद व पूरा पता। साथ ही उसके नीचे पदवाले का पद, नाम।
5. **स्थान और तारीख** – (जहाँ से पत्र भेजना हो और जिस तारीख में भेजना हो)।
6. **विषय** – (पत्र लिखने का कारण)
7. **संबोधन** – (महोदय)
8. **पत्र की विषय-वस्तु**
9. **हस्ताक्षर** (पत्र भेजने वाले के)

4. सरकारी पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें

1. पत्र संख्या तभी लिखें जब अपने कार्यालय से अनेक पत्र भेज चुके हो।
2. प्रेषक का नाम तभी लिखें जब पत्र भेजनेवाला राजपत्रित अधिकारी हो।
3. प्रेषितों का नाम नहीं लिखना चाहिए। केवल पद का नाम ही लिखना चाहिए।
4. अभिवादन में केवल 'महोदय' ही लिखना चाहिए।
5. पत्र की विषय-वस्तु, मर्यादित, क्रमिक और सरल भाषा तथा प्रभावशाली शब्दों में होना चाहिए।
6. औपचारिक रूप में पत्र के अंत में 'विश्वासपात्र' लिख कर नीचे पत्र भेजने वाले को हस्ताक्षर करना चाहिए।
7. सरकारी पत्र की भाषा पर विशेष ध्यान रखना जरूरी है। इसमें कोई निरर्थक या अपमानजनक शब्द नहीं होना चाहिए।

अभ्यास

1. पत्र किसे कहते हैं ?
2. पत्र कितने प्रकार के होते हैं ?
3. निजी पत्र के प्रमुख भाग कौन-कौन से होते हैं ?
4. सरकारी पत्र के कितने भाग होते हैं ?
5. पत्र लिखते समय किन-किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए ?
6. किताब खरीदने के लिए 500 रुपये माँगते हुए अपनी माताजी को पत्र लिखो।
7. अध्यापक की नौकरी करने के लिए 'जिला शिक्षा निरीक्षक' को पत्र लिखो।

1. दैनिक व्यावहारिक पत्रों के कुछ नमूने

मित्र को ग्रीष्मावकाश में अपने यहाँ बुलाने के लिए पत्र

बरुवा भवन, लाबान
शिलांग-4
5-6-2015

प्रिय राकेश,

नमस्ते!

मैं यहाँ स्वस्थ एवं सानंद हूँ। खेद है कि रवाना होते समय तुमसे मिल न सका। आशा है, तुम सपरिवार आनंद से होगे।

मेरी हार्दिक इच्छा है कि कुछ दिन यहाँ आकर मेरे साथ रहो। माताजी भी तुम्हें याद करती है। गर्मी में यहाँ का मौसम ठंडा रहता है। प्राकृतिक सौंदर्य भी बड़ा सुहावना रहता है। तुम विश्वास करो आगरा से तुम्हें यहाँ अच्छा लगेगा। तुमने जो अमरूद्ध का वृक्ष लगाया था, वह भी अब बहुत बड़ा हो गया है। पत्र देना, कब आ रहे हो ताकि मैं स्टेशन पर उपस्थित रहूँ।

माता-पिताजी को चरण स्पर्श और छोटो को प्यार कहना। तुम्हारे पत्र की नहीं, तुम्हारे स्वयं की प्रतीक्षा कर रहा हूँ।

प्रतीक्षा में
तुम्हारा अपना ही
राजेश

पता-

श्रीराकेश वर्मा
मकान नं 45
नया आगरा (उ0 प्र0)

2. प्रधान अध्यापक महोदय को शुल्क माफ करने संबंधी प्रार्थना-पत्र

सेवा में,

श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय,
कॉलेजिएट हाईस्कूल, गुवाहाटी-1
विषय - शुल्क माफ करने संबंधी प्रार्थना-पत्र

महोदय,

निवेदन है कि मैं एक साधारण परिवार का छात्र हूँ। मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। पिछले वर्ष भी मैं कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ था। मेरे अध्ययन और व्यवहार से मेरे सभी अध्यापक प्रसन्न हैं। अत: मेरी विषम आर्थिक परिस्थिति पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर मुझे विद्यालय के शुल्क माफ करने की कृपा करेंगे।

आपका आज्ञाकारी शिष्य,
उमाराम कलिता
कक्षा-7 (अ)
दिनांक-3-8-2015

3. हिंदी शिक्षक की विदाई पर अभिनंदन-पत्र

शिक्षक प्रवर श्रीजीतेंद्र नारायण दासजी के कर-कमलों में सादर समर्पित

वाणी के वरद पुत्र!

आज का दिन हमारे लिए मुख्य रूप से अहिंदी भाषी स्थान के लिए परम सौभाग्य का दिन है, जब आप जैसे कर्मठ एवं हिंदी के अनन्य सेवक का दर्शन हमें हो रहा है।

कर्तव्यपालक एवं कर्मयोगी!

अपने अपने जीवन में कर्तव्य को ही सब कुछ माना है। आपने हमें यही समझाया है कि कर्तव्य ही जीवन है। आप हिंदी

के एक आदर्श रूप में आज हमारे बीच विराजमान हैं।

हिंदी के कुलभूषण!

राष्ट्रभाषा के प्रचार-प्रसार के योगी के रूप में आपने ज्ञानोपार्जन एवं ज्ञानदान को ही अपना महान तप माना है। आपके कार्यों से हिंदी धन्य हो गयी है।

सच्चे शिक्षक!

हिंदी प्रचार की दिशा में आपने जो सीख दी है, वह एक नवीन प्रकाश है, जो राष्ट्र की भावनात्मक एकता को बनाए रखने के लिए हमारा पथ-प्रदर्शन करता रहेगा।

हमें विश्वास है कि हम अहिंदी भाषी क्षेत्र के हिंदी प्रेमी छात्र जब भी आपको बुलाएँगे, आप सस्नेह आकर हमारा पथ-प्रशस्त करने की कृपा करेंगे।

भगवान आपको दीर्घायु करें, यही हमारी प्रार्थना है।

नगाँव — हम हैं आपके गुणमुग्ध

5-7-2015 — नगाँव हाईस्कूल के छात्र-गण।

4. वी. पी. द्वारा पुस्तकें मँगवाने के लिए पुस्तक-विक्रेता को पत्र :

नवकांत लिगिरा
माजुली हाईस्कूल
17-6-2015

प्रति,

पुस्तक व्यवस्थापक
असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति,
गुवाहाटी-32

महोदय,

मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है -

1. हिंदी व्याकरण और रचना, कक्षा 9-10
2. गणित, कक्षा 9-10
3. हिंदी असमीया शब्दकोश
4. हिंदी साहित्य, कक्षा 9-10

कृपया उपर्युक्त सभी पुस्तकों की 10-10 प्रतियाँ शीघ्र ही वी.पी.पी. द्वारा भेजने की व्यवस्था करें एवं पुस्तक भेजने की सूचना भी शीघ्र दें।

धन्यवाद।

पता-

पुस्तक व्यवस्थापक — नवकांत लिगिरा
असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति,
गुवाहाटी-32

5. नौकरी के लिए प्रार्थना-पत्र

श्रीमान सचिव महोदय,

हिंदी हाईस्कूल, शिवसागर

महाशय,

निवेदन है कि मुझे दैनिक समाचार-पत्र 'दैनिक-असम' तिथि 15-8-2015 में प्रकाशित विज्ञापन द्वारा ज्ञात हुआ है कि आपके विद्यालय में हिंदी विषय पढ़ाने के लिए एक शिक्षक की आवश्यकता है। अत: मैं भी उस पद के लिए प्रार्थी होना चाहता हूँ।

मैं अपनी शैक्षिक योग्यता एवं अभिज्ञता का पूर्ण विवरण नीचे दे रहा हूँ। प्रमाणित प्रतिलिपियाँ भी साथ संलग्न हैं।

नाम : देवकांत हाजरिका

पता : शांति सदन, डिब्रुगढ़, असम

आयु : 20 वर्ष

योग्यता : विशारद (प्रथम श्रेणी)

मैंट्रिक (प्रथम श्रेणी)

अध्यापन अनुभव : जनवरी 2005 से दिसंबर 2012 तक राष्ट्रभाषा विद्यालय शिलांग में हिंदी शिक्षक के रूप में कार्य किया था।

आशा है, श्रीमान मुझे इस विद्यालय में सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे।

दिनांक 25-8-2015 भवदीय

डिब्रुगढ़ देवकांत हाजरिका

अभ्यास

1. परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाने पर मित्र को एक सांत्वना पत्र लिखो।
2. दो दिन का अवकाश लेने के लिए प्रधान अध्यापक को एक प्रार्थना-पत्र लिखो।
3. प्रधान अध्यापक की विदाई पर एक अभिनंदन-पत्र लिखो।
4. वी.पी.पी. द्वारा कपड़ा मँगाने के लिए कपड़ा विक्रेता को एक पत्र लिखो।
5. छात्रवृत्ति प्राप्त के लिए जिला शिक्षा निरीक्षक को एक प्रार्थना-पत्र लिखो।

निबंध-लेखन

(अ) निबंध क्या है ?

जिस रचना में किसी विषय के संबंध में उचित ढंग से क्रमबद्ध विचार प्रकट किये गये हो, वैसी रचना को निबंध कहते हैं। निबंध के सहारे हम दूसरों के विचारों या भावों को क्रमबद्ध रूप में जान सकते हैं और अपने विचारों की क्रमबद्ध रूप में प्रकट कर सकते हैं। पृथ्वी की सभी वस्तुओं पर निबंध लिखा जा सकता है, किंतु निबंध-रचना के मुख्य आधार हैं-

1. गठित भाषा
2. प्रभावोत्पादक शैली
3. विषयवस्तु में क्रमबद्धता
4. निबंधकार का व्यक्तित्व (स्वयं का प्रभाव)

परिभाषा

''निबंध आधुनिक साहित्य की उस गद्य विद्या को कहते हैं, जिसका क्रमबद्ध और मर्यादित आकार हो, व्यैक्तिकता और भाषा शैली में वैशिष्ट्य हो।''

(आ) निबंध लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें

1. जिस विषय पर निबंध लिखना हो उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।
2. विषय की जानकारी प्राप्त होने के बाद उसकी रूप-रेखा (ढाँचा) बना लें। रूप-रेखा बनाते समय क्रमबद्धता पर ध्यान दें।
3. पूरी निबंध-रचना को अनेक परिच्छेदों में विभक्ति कर लिखना चाहिए, किंतु ध्यान रहें एक परिच्छेद में एक ही भाव हो।
4. निबंध में सरल और प्रचलित शब्द, छोटे-छोटे वाक्यों का प्रयोग किया जाए और कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा भावों को प्रकट करने की कोशिश की जाए।
5. एक ही भाव या वाक्य बार-बार न दोहराए।
6. निबंध रचना में प्रभावोत्पादक शब्द-समूह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ तथा बीच-बीच में विद्वानों या कविता की उक्तियाँ भी देनी चाहिए।
7. सुबोध, सुस्पष्ट, क्रमबद्धता, शुद्ध भाषा, वैयक्तिक प्रभाव और सरस शैली - इन बातों पर ध्यान देते हुए निबंध लिखना चाहिए।

(इ) निबंध के प्रकार

विषय-वस्तु के आधार पर हम निबंध के तीन प्रकार मान सकते हैं।

1. वर्णनात्मक निबंध - किसी वस्तु, दृश्य या स्थान का वर्णन कर देना ही वर्णनात्मक निबंध है।

त्योहार, मेला, यात्रा, नगर, खेल, महान लोग, विशेष प्राणी पर वर्णनात्मक निबंध लिखे जा सकते हैं।

2. विवरणात्मक निबंध - ये निबंध अधिकतर घटनात्मक होते हैं। इसमें घटनाओं का क्रमिक विवरण लिखा जाता है। विवरण के साथ लेखक अपनी कल्पना भी जोड़ता है। पौराणिक, ऐतिहासिक और आधुनिक कथा, यात्रा, संस्करण आदि के विषय में विवरणात्मक निबंध लिखा जाता है।

3. विचारात्मक निबंध - इन निबंधों के अंतर्गत अधिकतर बुद्धितत्व या विचार की प्रधानता होती है। इसमें भाव और आत्मीय तत्वों पर विचार किया जाता है। दया, ममता, करुणा, श्रद्धा, स्नेह, क्रोध, ग्लानि आदि विषयों पर विचारात्मक निबंध लिखे जाते हैं।

(ई) निबंध के विभाग

निबंध लिखने समय विषय-वस्तु को तीन भागों में विभाजित कर लिखना चाहिए। जैसे -

1. **प्रारंभ** - निबंध का प्रारंभ बहुत ही रोचक पद्धति और प्रभावशाली भाषा में करना चाहिए। इसमें संक्षिप्तता पर ध्यान देना चाहिए।

2. **विस्तार** - यह निबंध का मुख्य और विस्तारवाला भाग है। इसमें विषय-वस्तु को कोई छोटे-छोटे अनुच्छेदों में क्रमिक ढंग से लिखना चाहिए। प्रत्येक तत्व और विचार का समावेश इसमें होना चाहिए।

3. **उपसंहार** (समाप्ति) - इसमें निबंध का उद्देश्य, उसका आधुनिक जीवन में महत्व तथा भविष्य के लिए उपयोगिता आदि का संकेत करना चाहिए।

(उ) रूप-रेखा के साथ निबंध के नमूने

विषय - ''वर्षा ऋतु''

रूप-रेखा : 1. प्रस्तावना, (भूमिका), 2. प्राकृतिक सौंदर्य, 3. लाभ, 4. हानि, 5. उपसंहार।

वर्षा ऋतु

प्रस्तावना :

वर्ष में छ: ऋतुएँ होती हैं- हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद। वसंत के बाद वर्षा ऋतु इनमें सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह चराचर जगत को जीवनदान देने वाली है। जेष्ठ और आषाढ़ की गर्मी से संपूर्ण धरती और उसके प्राणी प्यास और गर्मी से विकल हो उठते हैं। नदी-नाले, पोखरे, कुएँ आदि सूखने लगते हैं। पशु-पक्षी वर्षा रानी के वियोग में करुणा भरे स्वर से पुकारने लगते हैं। कृषकवर्ग वर्षा के आगमन की प्रतिक्षा में चातक के समान अपना कृषि-कार्य जल्दी करने लगते हैं।

आषाढ़ का महीना शुरू हुआ कि वर्षा रानी ने भी तृषित प्रकृति की प्यास बुझने का तैयारी कर ली, जो प्रकृति जलते हुए तवे के समान गरम थी, अब वर्षा होने से हरियाली की नई पोषाक पहन लेती है। संपूर्ण प्राणियों में एक नए और अनोखे आनंद की लहर दौड़ने लगती है।

प्राकृतिक सौंदर्य :

कोई भी ऋतु प्रकृति के साथ मिलकर ही शोभा पाती है। वर्षा ऋतु भी प्रकृति के साज-सिंगार में सहयोग देती है। प्रकृति और वर्षा ऋतु के इस आपसी समझौते से वातावरण बढ़ा ही मनमोहक लगता है। वन-बगीचे, खेत हरे-भरे हो जाते हैं। आसमान की मेघमाला प्रकृति-रमणी को और मादक बना देती है। सर-सरिता, ताल-तलैया, मस्ती में रिमझिम करते हैं और इसके साथ मयूर, चातक, दादुर आदि भी मस्त होकर आशा भरे मनोरम संगीत छेड़ देते हैं।

धरती का लाल और जगत का पालक कृष्ण तो आनंद से झूमने लगता है। मेघों का समूह और बूदों की बौछार उसको बलशाली और प्रफुल्लित बना रही है। वह भी वर्षा ऋतु के स्वागत में गीत गाते हुए हल लेकर निकल पड़ता है। बैलों और कृषकों का समूह खेतों में कैसे शोभा देते हैं ? मानो वर्षा रानी को दुल्हन बना कर नच रहे हों। जोती हुई जमीन की सोंधी महक हृदय को प्रफुल्लित कर देता है।

लाभ :

वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं का राजा है, क्योंकि सृजन और पालन की क्षमता है। यदि वर्षा न हो तो संपूर्ण विश्व गर्मी की तपन में जल कर राख हो सकता है। अकाल से संपूर्ण जीव-जाति नष्ट हो सकती है। अन्न की उपलब्धि नहीं हो सकती। प्रकृति का श्रृंगार लूट सकता है। संपूर्ण ज्ञान-विज्ञान की उन्नति ठप हो सकती है। अत: वर्षा संपूर्ण जगत में रस और जीवन का सृजन करने वाली ऋतु है। संसार के प्राणियों का एक मात्र पोषक यह वर्षा ऋतु ही है।

हानि :

वर्षा ऋतु जीवनदायिनी है तो दूसरी ओर विनाशक भी है। अधिक वर्षा होने से नदियों में उफान आने लगता है और बाढ़ की तांडव-लीला से गाँव के गाँव बहे चले जाते हैं। अन्न से भरे हुए खेत नष्ट हो जाते हैं। यह दृश्य हम असम में प्रति वर्ष ब्रह्मपुत्र की तांडव-लीला के रूप में देखते हैं। बाढ़ के कारण अनेक विषैले प्राणी और संक्रामक रोग हमारे समाज के लिए शत्रु बन जाते हैं। गरीबों की रोजी-रोटी पर संकट आ जाता है। यातायात के मार्ग बंद हो जाते हैं। अत: वर्षा ऋतु का भाषण रूप संसार के प्राणियों को अपार क्षति भी पहुँचाता है।

उपसंहार :

संक्षेप में वर्षा ऋतु कल्याणकारी और मनोरम ऋतु है। थोड़ी-बहुत हानि भी सहन करके हम इसका स्वागत करते हैं। प्राचीन समय से ही हमारे भारतीय कवियों और ज्ञानियों ने अनेक ढंग से इसकी महिमा गायी है। कालिदास का 'मेघदूत' विश्व-प्रसिद्ध है। इसी प्रकार के शंकरदेव, उत्तर प्रदेश के तुलसीदास और महाराष्ट्र के तुकाराम ने वर्षा ऋतु का वर्णन बड़े ही मनोरम ढंग से किया है। नि:सन्देह वर्षा ऋतु चराचर जगत के लिए एक वरदान है।

अभ्यास

1. निबंध किसे कहते हैं ?
2. निबंध कितने प्रकार के होते हैं ?
3. वर्णनात्मक और विचारात्मक निबंधों में क्या अंतर है ?
4. निबंध लिखते समय किन-किन बातों पर ध्यान देना चाहिए ?
5. निबंध के प्रमुख कितने भाग होते हैं ?
6. नीचे दी हुई रूप-रेखा के आधार पर 'वसंत ऋतु' पर एक निबंध लिखो।
   (क. प्रस्तावना, ख. प्राकृतिक सौंदर्य, ग. लाभ, घ. हानि, ङ. उपसंहार)

विशेष ज्ञान के लिए कुछ निबंध

1. हमारा विद्यालय

हमारे विद्यालय का नाम 'आनंदराम बरुवा हाईस्कूल' है। यह असम का आदर्श विद्यालय माना जाता है। सरकार ने इसकी स्थापना 1950 में महान विद्वान आनंदराम बरुवा की स्मृति में की। इसका भवन पक्का है।

हमारे विद्यालय का भवन आकर्षक और विशाल है। यह नगर से दो किलोमीटर दूर एक तालाब के किनारे है। इसके चारों ओर तांबूल, नारियल, कटहल, पीपल और बाँस के वृक्ष हैं। उत्तर दिशा की ओर एक सुंदर पहाड़ भी है। विद्यालय के पीछे एक नाला है। इसमें बारह महीने पानी बहता रहता है। विद्यालय की सीमा चारों ओर काँटेदार तारों से घिरी हुई है। विद्यालय के सामने एक बड़ा बरामदा है। इसमें तिरंगे झंडे का एक खंभा भी है। बगल में गुलाब के फूलों का एक सुंदर उद्यान है। विद्यालय के पीछे एक लंबा-चौड़ा मैदान है। इस मैदान में वालीबॉल, फुटबॉल, वास्केटबॉल, बैडमिंटन आदि खेला जाता है। मैदान की अंतिम सीमा पर लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय तथा मूत्रालय बने हुए है। वही थोड़ी दूर पर एक कुआँ है। विद्यालय का मुख्य भवन एक मंजिला ही है। इसमें कुल 20 कमरे हैं। 8 कमरों में कक्षाएँ लगती हैं। इनके अतिरिक्त एक कमरा प्रधान अध्यापक के लिए, एक कमरा अध्यापक वर्ग के लिए है। एक कमरे में कार्यालय, एक कमरे में भंडार घर तथा एक बड़े कमरे में पुस्तकालय है। दो बड़े कमरे लड़के और लड़कियों के सामूहिक रूप से बैठने के लिए है। पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए एक बड़ा वाचनालय कक्ष है। पीछे की ओर एक विशाल कक्ष है। इसमें सभा, नाटक आदि होते हैं। भवन के पीछे दो छोटे कमरे हैं। इनमें चौकीदार रहते हैं।

हमारे विद्यालय में कुल 400 छात्र-छात्राएँ पढ़ते हैं। सह-शिक्षा की व्यवस्था है। इसलिए 300 लड़कों के साथ 1000 लड़कियाँ भी पढ़ती हैं। सभी विषयों के पढ़ाने की व्यवस्था है। अध्यापक भी पर्याप्त हैं। 20 अध्यापक और एक प्रधान अध्यापक तथा कार्यालय के कर्मचारी मिलकर विद्यालय की उन्नति में लगे रहते हैं। तीन अध्यापक हिंदी पढ़ाते हैं। हिंदी भाषा को स्वेच्छा से अनेक छात्र पढ़ते हैं। प्रधान अध्यापक महोदय भी हिंदी शिक्षा पर ध्यान देते हैं, क्योंकि वह हमारी राष्ट्रभाषा है। कार्यालय में

मुख्य लिपिक, एक सहायक लिपिक, एक टंकक तथा रोकड़िया है। ये हमेशा विद्यालय के काम में सक्रिय रहते हैं।

हमारा पुस्तकालय बड़ा है, क्योंकि इसमें एक हजार पुस्तकें हैं और 90 पत्र-पत्रिकाएँ प्रतिदिन आती हैं। पुस्तकालय अध्यक्ष तथा एक पुस्तक-सहायक सदा इसकी उन्नति में लगे रहते हैं। हमारे विद्यालय में सच्चे सेवक हैं हमारे चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी लोग। ये संख्या में कुल 7 हैं। 3 चपरासी, 2 चौकीदार, 1 सफाई वाला और 1 माली। ये हमेशा अपने कार्य में लगे रहते हैं, सफाई वाला वासुदेव है। यह विद्यालय को हमेशा साफ रखता है और माधव माली है। इसने तो विद्यालय की शोभा में चाँद लगा दिए हैं। उद्यान में ऐसे सुंदर-सुंदर फूल लगाए हैं, जो देखते ही बनते हैं। हमारे विद्यालय में कक्षा-व्यवस्था बड़ी अच्छी है। बैंच और डेस्क साफ-सुथरी रहती है। वैसे विद्यालय में 8, 9, 10 प्रमुख तीन कक्षाएँ ही हैं। प्रत्येक कक्षा की तीन उपकक्षाएँ बना दी गई हैं। इससे बैठने और अध्ययन करने में सुविधा होती है।

हमारे विद्यालय में पूरे वर्ष सक्रियता रहती है। सभाएँ, गोष्ठियाँ, कवि सम्मेलन, राष्ट्रीय व सामाजिक त्योहार तथा वाद-विवाद प्रतियोगिता आदि का आयोजन होता रहता है। अध्यापक, छात्र और अभिभावक मिलकर समस्याओं को सुलझाते हैं। अध्यापकों का छात्रों से मधुर संबंध रहता है।

हम सामूहिक रूप में पिकनिक, भ्रमण, खेल गोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। यह आनंद बड़ा ही अनूठा होता है। हमारे विद्यालय का परीक्षाफल भी प्रत्येक वर्ष 60% प्रतिशत रहता है। दूसरे विद्यालयों से खेलों में 50-60 कप भी हम जीत लेते हैं। 15 दिन पहले ही हमने कामरूप विद्यालय को 4 गोल से फुटबॉल मैच में हरा दिया है। हमारे विद्यालय की लड़की सरोजबाला ने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तीन माह पहले हम उत्तर भारत भ्रमण के लिए गये थे।

सच्चे माने में हमारा विद्यालय असम का एक आदर्श विद्यालय है। क्योंकि इसकी संपूर्ण गतिविधियाँ अनुशासित और सक्रिय है। अध्यापक-अभिभावक-छात्र सब इस विद्यालय से प्यार रखते हैं और आस-पास का समाज इसे आदर्श रूप में मानता है।

2. लोकनायक शंकरदेव

समाज को सांस्कृतिक और नैतिक दृष्टि से ऊपर उठाने वाले व्यक्ति ही लोकनायक या महापुरुष कहलाते हैं। भारत-भूमि लोकनायकों की भूमि रही है। प्राचीन काल में मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लीला पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण, सत्यवादी हरिश्चंद्र, दानवीर कर्ण, महान त्यागी गौतम बुद्ध, जगतगुरु शंकराचार्य आदि महान विभूतियों ने जन्म लिया था और विश्व में भारत को सांस्कृतिक केंद्र बनाया। मध्यकाल में मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, संत ज्ञानेश्वर, गुरु नानक, कबीर समन्वयवादी तुलसी, चैतन्य महाप्रभु और लोकनायक शंकरदेव आदि ने प्राचीन भारत की अमर गाथा की पूर्णस्थापना की। आज भी विश्व में भारत का अस्तित्व इन लोकनायकों के कारण बना हुआ है।

पूर्वी भारत के लोकनायक महापुरुष शंकरदेव का इतिहास हमारे लिए बड़ा ही प्रेरणादायक और अनुकरणीय है। बचपन में महापुरुष शंकरदेव को केवल 'शंकर' कहकर पुकारते थे। इनका जन्म सन् 1449 ई. में नगाँव जिले (असम राज्य) के बरदोवा गाँव में हुआ था। बचपन में तो उनका जीवन साधारण ही रहा, परंतु किशोरावस्था में उनके कार्यों से लोकनायकपन झलकने लगा। गुरु महेंद्र कंदली की शिक्षा और तत्कालीन परिस्थितियों ने शंकर को ''शंकरदेव'' बना दिया। शंकरदेव ने असम के गाँवों व नगरों में घूम-घूम कर सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक दृश्यों की विड़ंबनापूर्ण स्थिति देखी। वे यह सब विकृत रूप देखकर तिलमिला उठे। इसलिए वे ज्ञान की खोज में भारत के अन्य नगरों में पहुँचे। उन्होंने दो बार संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। अपने उद्देश्य के लिए कई महापुरुषों से विचार-विमर्श किया। पंजाब के गुरु नानक, महाराष्ट्र के तुकाराम और उत्तर भारत के संत कबीर आदि के विचारों से प्रभावित होकर और समन्वयवादी वैष्णव पंथ की ज्योति लेकर पुन: असम आए। यहाँ उन्होंने सभी क्षेत्रों में सृजनात्मक कार्य आरंभ कर दिया। और 'कीर्तन-घोषा' की रचना की। श्रीमद्भागवत का असमीया में अनुवाद किया। अनेक

अंकीया नाट लिखे। नए-नए वाद्य-यंत्रों का प्रयोग होने लगा। सत्र तथा नामघरों की स्थापना होने लगी। शंकरदेव को पारिवारिक और राजनैतिक कष्ट भी भोगने पड़े, परंतु वे अपने प्रण पर डटे रहे। जब असमीया समाज को कीर्तन-घोषा और श्रीमद्भागवत जैसे अमूल्य ग्रंथ, अंकीया नाट, वाद्य-यंत्र, नामघर और शंकरदेव जैसे लोकनायक मिल गये, वह संपूर्ण रूप से मुग्ध होकर शंकरदेव के पंथ में निमग्न हो गया। शंकरदेव रंगमंच पर स्वयं अभिनय करते, गाते और बजाते थे। शास्त्रार्थ में उनके जैसा कोई विद्वान नहीं था। साहित्यकार, समाज सुधारक, भारतीय संस्कृति के रक्षक, वैष्णव धर्म के प्रचारक, उपदेशक, गायक, नर्तक, वादक आदि बहुमुखी प्रतिभाओं से भरपूर यह महान लोकनायक इस भारत भूमि पर 120 वर्ष तक असमीया समाज के उत्थान के लिए जुटा रहा। सन 1569 ई. को वे इस संसार से चल बसे।

महापुरुष शंकरदेव के अथक प्रयास से संपूर्ण असम में वैष्णव धर्म की तूती बोलने लगी। नामघरों की स्थापना और कीर्तन-घोषा, श्रीमद्भागवत को पढ़ना एक आम रिवाज हो गया। अंकिया नाट से असमीया रंगमंच में एक नयी क्रांति आ गयी। वाद्य-यंत्र, वेशभूषा, नृत्यकला आदि में भारतीय संस्कृति को महत्व दिया गया। भारतीय संस्कृति का स्वर्णयुग असम में पुन: प्रतिष्ठित हो गया। आज शंकरदेव का स्वर्गवास हुए लगभग 450 वर्ष हो गए हैं। फिर भी वे अपने कार्यों के द्वारा अमर हैं। जिस प्रकार शंकरदेव ने समाज का नायकत्व किया, इतने सजीव और सक्रिय तथा नैतिक ढंग से शायद ही किसी महापुरुष ने कभी किया हो। अत: निस्संदेह विभिन्न प्रतिभायुक्त महापुरुष शंकरदेव पूर्वी भारत के एकमात्र लोकनायक थे। आज भारतीय लोगों का कर्तव्य है कि वे इस महान लोकनायक के कार्यों को आगे बढ़ाएं।

3. श्रेष्ठ पशु — 'गाय'

विश्व में अनेक प्रकार के पशु पाए जाते हैं और सब की अपनी विशेषताएँ हैं। टुंड्रा के लोगों के लिए रेंडियर, रेगिस्तान के लोगों के लिए ऊँट, पाश्चात्य लोगों के लिए कुत्ते, कृषकों के लिए बैल, बोझा ढोने वाले के लिए खच्चर या गधे, हिंदुओं के लिए गाय का संबंध किसी न किसी कार्य या सिद्धांत पर आधारित है।

यदि हम तटस्थ-नीति से सर्वश्रेष्ठ पशु का निर्णय करें तो 'गाय' ही विश्व के सभी लोगों द्वारा सर्वश्रेष्ठ मानी जाएगी। भारत में हिंदुओं ने गाय का संबंध हिंदू जाति और हिंदू धर्म के साथ जोड़ा है, किंतु आज स्वयं हिंदू ही गो-पालन कार्य से उदासीन होते जा रहे हैं।

गाय सच्चे अर्थों में विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसके दूध का पृथ्वी पर सर्वत्र महत्व है। दुनिया के बड़े-बड़े डॉक्टरों ने गाय के दूध को मानव के लिए बहुत ही गुणकारी माना है। बच्चों के लिए तो इसका दूध माँ के दूध जैसा ही है। गाय का भोलापन भी हमारे लिए बहुत ही अनोखा है। उसका रूप-रंग भी बड़ा आकर्षक होता है। लाल, सफेद, काली, चितकबरी गायें हमारे मन को लुभा लेती हैं। ऊँचाई में भी कुछ गायें 7-8 फीट तक ऊँची होती हैं। यूरोप की गायें सुंदर, हृष्ट-पुष्ट और ऊँची होती हैं। वहाँ की एक गाय 40 लिटर तक दूध देती है। उनका पालन-पोषण भी वहाँ बहुत तरह होता है। हमारे भारत में पंजाब, हरियाना और उत्तर प्रदेश की गायें ऊँची, हृष्ट-पुष्ट और अधिक दूध देने वाली होती हैं।

गाय से हमें अनेक लाभ हैं। इसके बछड़े बड़े होकर बैल होते हैं, जो खेती के काम में आते हैं। भारत में खेती का भार बैलों पर ही है। गाय के गोबर से खाद बनायी जाती है, जो अधिक पैदा होने में सहायक है। गरीबों के मकानों की लिपाई-पुताई में गोबर बहुत उपयोगी होता है। गाय जब तक जीवित रहती है, मानव-समाज की सेवा करती है, परंतु मरने के बाद भी यह अपने शरीर को मानव-समाज के उपयोग के लिए दे जाती है, क्योंकि इसके चमड़े से जूते बनाये जाते हैं और इसके हड्डी से खाद बनायी जाती है। जूते मानव के पैरों की रक्षा करने में तथा खाद अधिक अन्न उपजाने में सहायक हैं।

अत: गाय मानव के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। अपने असीमित गुणों के कारण यह विश्व के लोगों की माता के समान है। आज यह हमारा पुनीत कर्तव्य है कि इस उपयोगी और सर्वश्रेष्ठ पशु की रक्षा करें।

4. राष्ट्र और विद्यार्थी

'जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी' अर्थात् जननी जन्मभूनि स्वर्ग से भी महान होती है। हमारी जन्मभूमि का ही दूसरा नाम भारतभूमि है। भारत राष्ट्र में असम से गुजरात और कश्मीर से तमिलनाडु तक की सम्पूर्ण भूमि आ जाती है। प्राचीन समय से ही इस राष्ट्र की रक्षा, उन्नति और विकास के लिए असंख्य लोगों ने आत्मोत्सर्ग किया है। इन लोगों में विद्यार्थियों का योगदान सबसे अधिक रहा। भारतीय ऋषियों ने राष्ट्र के विकास के लिए मनुष्य की एक अवस्था में रह कर विद्यार्थी 24 वर्ष तक विद्याध्ययन और समाज-सेवा करते थे। उनकी यह सेवा राष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। आर्य उदयन, भुवनविक्रम, श्रीकृष्ण आदि महान विद्यार्थियों में से थे।

वर्तमान भारत में विद्यार्थियों पर जब हम एक विहंगम दृष्टि डालते हैं तो चारों ओर निराशा दिखायी देती है। आज का विद्याार्थी प्राय: अनुशासनहीन, अकर्मण्य, पाश्चात्य सभ्यता में निमग्न होकर अपने राष्ट्र को भूलता जा रहा है। वह अपने ही राष्ट्र की वस्तुओं को शत्रु राष्ट्र की वस्तु जैसा मानता है। राष्ट्रीय संपदा को नष्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। भारतीय संस्कृति की हँसी उड़ाता है। राष्ट्र के कर्णाधारों और विद्वानों पर व्यंग करता है। वह न तो समाज से मेल रखता है और न परिवार में ही आस्था रखता है। माता-पिता-गुरु की बातों पर विश्वास नहीं करता। अध्ययन में अरुचि और वेशभूषा का भक्त हो जाता है। यह सब देख कर समाज को आशंका होने लगी है कि यदि भारतीय विद्यार्थी इसी पथ पर चलते हैं तो हमारी यह पवित्र भूमि फिर विदेशियों के हाथ में चली जाएगी। संपूर्ण राष्ट्र अवनति की ओर चला जाएगा और हमारा प्राचीन वैभव, संस्कृति तथा उद्योग धंधे सब नष्ट हो जाएंगे।

आज का विद्यार्थी इस प्रकार आशाहीन, अभावग्रस्त, उदासीन, अनुशासनहीन, अकर्मण्य क्यों होता जा रहा है ? इस विषय पर विद्यार्थियों को मिल कर सोचना है और मिल कर निर्णय लेना है। वह निर्णय होगा राष्ट्र सेवा से। राष्ट्र के लिए मरना और राष्ट्र के लिए ही जीना। यह मूल मंत्र सभी विद्यालयों की जिह्वा पर होना चाहिए। राष्ट्र जब टूट रहा हो, अवनति की ओर जा रहा हो, तब इसे केवल विद्यार्थी ही जोड़ सकता है। आज का विद्यार्थी ही भविष्य में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश, वकील, अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर आदि बनेगा। देश-निर्माण का भार इनके ही कंधे पर आएगा। इसलिए यदि विद्यार्थी अपने जीवन को कर्मण्य, अनुशासित, विनम्र और उन्नतिशील बनाए तो वह राष्ट्र-निर्माण में अविरल रूप से काम करने वाला बनेगा और संपूर्ण भारतीय समाज को एक नयी दिशा दे सकेगा।

आज हम सब मिलकर यह निर्णय ले कि हम राष्ट्र के लिए जिएँगे। हमारे लिए पहले राष्ट्र होगा फिर प्रांत या घर होगा। समय पर पढ़ेंगे, गुरुजनों पर श्रद्धा रखेंगे और अनुशासन में रहेंगे। सामाजिक कार्यों में रुचि से भाग लेंगे तथा अपनी संस्कृति की उन्नति और रक्षा के लिए हम प्राणपण से कार्य करेंगे।

यदि हम विद्यार्थीगण उपयुक्त निर्णयों के कार्य करें तो निश्चित ही राम, कृष्ण, शंकरदेव, लाचित बरफुकन, गांधी, नेहरू की यह भारतभूमि संसार के राष्ट्रों में सर्वोच्च होगी और हम भारतीय धन-धान्य से पूर्ण सफल जीवन व्यतीत कर सकेंगे।

5. राष्ट्रभाषा का महत्व

'राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूँगा होता है' अर्थात् जिस राष्ट्र के पास अपनी कोई एक भाषा न हो, उस राष्ट्र का दुनिया में कोई महत्व नहीं है। संसार के सभी राष्ट्रों के पास अपनी-अपनी राष्ट्रभाषा है। हमारे देश में अनेक भाषाएँ बोली, लिखी व पढ़ी जाती हैं, जिनमें असमीया, मणिपुरी, बंगला, उड़िया, तमील, तेलेगू, मलयालम, कन्नड़, मराठी, गुजराती, सिंधी, कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाएँ भारत की निधि हैं, परंतु इनमें वे सभी गुण नहीं हैं, जो कि एक राष्ट्रभाषा के लिए होना चाहिए। हिंदी भारत के सात राज्यों की सरकारी भाषा है। भारत के करोड़ों लोग हिंदी बोलते हैं। इसका विशाल साहित्य है। असम, आंध्र, महाराष्ट्र, गुजरात, कश्मीर, पंजाब जैसे अहिंदी प्रदेशों के लोग इसे हृदय से राष्ट्रभाषा मान चुके हैं। भारत के सभी विश्वविद्यालयों में हिंदी शिक्षण की सुविधा है और विश्व में लगभग 150 विश्वविद्यालयों में भी हिंदी पढ़ाने की व्यवस्था है। केंद्रीय सरकार का अधिकांश काम हिंदी में ही चलता है।

हिंदी के सर्वभारतीय महत्व को देखते हुए महात्मा गांधी ने इसे राष्ट्रभाषा घोषित करते हुए सारे अहिंदी अंचल में इसका व्यापक प्रचार करवाया था।

इसके व्यापक गुणों को देखकर ही राष्ट्र के कर्णाधारों ने 14 सितंबर 1949 में एकमत से हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दी और राष्ट्रभाषा हिंदी अपने पथ की ओर अविरल गति से बढ़ रही है।

राष्ट्रभाषा के महत्व को समझते हुए आज हमारा कर्तव्य है कि इसके गौरव को आगे बढ़ाएं, क्योंकि अपनी राष्ट्रभाषा को यदि हम उन्नति की ओर ले जाएंगे तो राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ होगी। हम अपने विचारों को अपने बंधुओं के सामने प्रकट कर सकेंगे। नौकरी आदि प्राप्त करने में हमें सहायता मिलेगी। भारत की अन्य भाषाओं का विकास होगा।

आज से हम सभी मिलकर राष्ट्रभाषा की उन्नति के लिए निश्चय करें। राष्ट्रीय कार्यों में हिंदी की प्रयोग करें। इससे राष्ट्रभाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में विश्व में स्थान ग्रहण कर सकती है। राष्ट्रीय एकता के साथ भारतीय संस्कृति विकास होगा। इस राष्ट्रीय कार्य का भार विद्यार्थियों के ऊपर है और इसको पूर्ण करना हमारा पुनीत कर्तव्य है।

अभ्यास

1. प्रस्तुत रूपरेखा के आधार पर निम्नलिखित निबंध लिखो।

(क) अपना विद्यालय

(i) प्रस्तावना, विद्यालय का नाम, स्थिति

(ii) विद्यालय भवन का वर्णन

(iii) विद्यालय के कर्मचारी, छात्र का परिचय

(iv) विद्यालय का सक्रियता

(ख) महापुरुष शंकरदेव

(i) प्रस्तावना, महापुरुष और भारत

(ii) शंकरदेव की जीवनी

(ii) शंकरदेव के कार्य

(iv) उपसंहार, शंकरदेव का देश पर प्रभाव

(ग) उपयोगी पशु घोड़ा

(i) प्रस्तावना, अन्य पशुयों से घोड़े का महत्व अधिक होने के कारण।

(ii) घोड़े का परिचय

(ii) घोड़े से लाभ

(iv) उपसंहार, घोड़े के प्रति हमारा कर्तव्य

(घ) विद्यार्थी जीवन

(i) प्रस्तावना, विद्यार्थी जीवन का इतिहास

(ii) विद्यार्थी जीवन का परिचय

(ii) विद्यार्थी जीवन का महत्व

(iv) उपसंहार, समाज और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य

(ङ) राष्ट्रभाषा का महत्त्व

(i) प्रस्तावना, मातृभाषा का अर्थ

(ii) मातृभाषा और हम

(ii) मातृभाषा का महत्व

(iv) उपसंहार, मातृभाषा से भविष्य में विकास।

असम सरकार द्वारा निःशुल्क वितरण हेतु